जनसुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री चांडक एसोसिएट्स एम.एल नम्बर 08/2012 खनन क्षेत्रफल 1260.96 हेक्टेयर निकटग्राम कुरास्या, बनेड़िया चारणान, कँवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेड़ा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरड़ा, मोडियाला, छानमयबाससुर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक राजस्थान द्वारा प्रस्तावित रिवरबेड सेण्ड (माईनर मिनरल) खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार **3.0 Million TPA (ROM)** से **8.2 Million TPA (ROM)** करने हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आयोजित जनसुनवाई दिनांक 26 मई 2025 समय प्रातः 11:00 बजे स्थान पंचायत समिति सभागार, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक का कार्यवाही विवरण :-

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानो की अनुपालना में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/14341 दिनांक 25.03.2025, 18553 दिनांक 02.05.2025 एवं 18617 दिनांक 07.05.2025 (संलग्नक-अ) की अनुपालना में दिनांक 26 मई, 2025 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक राजस्थान में मैसर्स श्री चांडक एसोसिएट्स एम.एल नम्बर 08/2012 खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेड़िया चारणान, कँवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेड़ा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरड़ा, मोडियाला, छानमयबाससुर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक राजस्थान द्वारा रिवरबेड सेण्ड (माईनर मिनरल) खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार **3.0 Million TPA (ROM)** से **8.2 Million TPA (ROM)** करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला-टोंक राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गयीः-

1. श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला टोंक
2. श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी
3. श्री कपिल शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह, जिला टोंक।
4. श्री राहुल पारीक, तहसीलदार टोडारायसिंह, जिला टोंक।

जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी व अन्य लोगो का उपस्थिति-पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक-ब)। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार राष्ट्रीय समाचारपत्र **"द इण्डियन एक्सप्रेस"** में दिनांक 01.04.2025, 05.05.2025, 08.05.2025 और स्थानीय समाचार पत्र **''टोंक भास्कर''** में दिनांक 01.04.2025, 05.05.2025, 08.05.2025 को आमसूचना निर्धारित जनसुनवाई से नियमानुसार निर्धारित **समय** (दिवस) पूर्व

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज0)

प्रकाशित की गई थी, समाचार पत्रों की प्रतिया संलग्न है (संलग्नक–स)। जनसुनवाई की विडियो रिकोर्डिंग डी.वी.डी./ पेन ड्राइव एवं फोटो ग्राफ संलग्न है (संलग्नक–द)।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक द्वारा सभाकक्ष में उपस्थित नागरिको का स्वागत करते हुए जनसुनवाई कि शुरूआत की गई। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को जनसुनवाई की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि यह एक लीगल प्रोसीजर है कि जब भी कोई आवेदक पर्यावरण विभाग से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन करता है तो एक अनिवार्य पार्ट है कि जनसुनवाई करके वहां की जनता वहां के, जनप्रतिनिधि, वहां के लोग के आवेदन प्रति क्या विचार हैं, क्या आपत्ति है, यह जानना होता है। मुलतः यह जनसुनवाई पर्यावरण विभाग की है प्रशासन का इन्वॉल्वमेन्ट इसलिए रखा गया है कि इस जनसुनवाई में अपनी बात प्रमुखता से रख सकें और जो भी बात उन्होने रखी वो हुबहु प्रोसिडिगं (कार्यवाही विवरण) में आ जाये। इसलिये प्रशासन को जनप्रतिनिधि व लोग इस जन सुनवाई में आये वों अपनी बात प्रमुखता से रख सके ओर उन्होंने जो बात रखी हैं वे हूँबहूँ उसकी प्रोसिड़िग में आ जाए इसलिए प्रशासन को इन्वाल्व रखा हैं। अन्यथा पूरी तरह यह कार्य पर्यावरण डिपार्टमेन्ट का है। तो हम यहां पर प्रशासन के ओर एस.डी.एम, तहसीलदार साहब भी उपस्थिति हैं। हम आपकी बात को प्रमुखता से यहां पर रखगें और आप जो बात रख रहे है वो रिकॉर्ड में चली जाये। यह सुनिष्चित करने के लिए उपस्थिति हैं। उन्होंने जनसुनवाई की प्रक्रिया के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि परियोजना प्रस्तावक परियोजना के बारें में जानकारी देगें कि उनका क्या प्रस्ताव हैं, उस प्रस्ताव के क्या योजना हैं। हम उसको ध्यान से सुनेगें, उनके बाद में जिस बिन्दु पर हमारी कोई भी आपत्ति हैं तो उसके बारें में पुछेगें लेकिन पहले इनकी प्रेजेन्टेषन समाप्त होने दे। उसके बाद एक–एक करके अपनी बात रखें, आपत्ति कर सकतें है। कोई बात कहना चाहतें हैं तो कह सकतें हैं। बात कहने वाले व्यक्ति की पहचान बताना भी जरूरी होता हैं। अतः आप पहलें अपना नाम बतायेंगे, पिताजी का नाम फिर एक–एक कर अपनी बात कहेगें इस पूरी प्रक्रिया की विडियों ग्राफी भी करायी जा रही हैं, आप जो बात कहेगें हम उसे नोट भी करेंगे की जानकारी देते हुए क्षेत्रीय अधिकारी को सुनवाई की कार्यवाही करने के लिए आमंत्रित किया।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक की अनुमति से श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जन–समूह को जनसुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जनसमूह से यह अपील की, कि वे परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी उसे सुने तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव या शिकायत हो तो कृपया सब से पहले अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम तथा गाँव बतावें साथ ही सुझाव/शिकायत/आक्षेप जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते है।

उन्होने यह भी अवगत कराया कि इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई में होने वाली कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हम आपके लिखित/मौखिक रूप में प्राप्त सभी सुझाव एवं आक्षेप कलमबद्ध करके वीडियो रिकोर्डिंग मय फोटोग्राफ्स के साथ कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) बनाकर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरुप राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), राजस्थान को प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने परियोजना प्रस्तावक को रिवरबेड सेण्ड (माईनर मिनरल) खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार परियोजना के बारे में उपस्थित जनसमूह को अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया।

इसके पश्चात मैसर्स श्री चांडक एसोसिएट्स, के सलाहकार मैसर्स गोरंग इन्वायरमेन्टल सोल्यूषन प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर की ओर से श्री अनिल अग्रवाल ने रिवरबेड सेण्ड खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार के बारे में उपस्थित जनसमुह को विस्तृत जानकारी पॉवर पॉइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रदान की गई जिसमे परियोजना का विवरण, खनन पटटे के स्थान, खनन पट्टे की अवधि, खनन पट्टा क्षेत्र, भूमि का विवरण, मूल व्यवस्था, खनन का विवरण, खनन की विधि, खनिज, संभावित खनिज भंडार, खनन योग्य भंडार, लक्षित उत्पादन, खनन कार्य की अधिकतम सीमा, भू–जल तालिका, खनन पट्टा स्वीकृति आदेश, संशोधित खनन योजना, परियोजना की प्रमुख विशेषताए, परियोजना स्थल का मानचित्र, परियोजना स्थल की गूगल छवि, खनन विवरण, भूमि उपयोग वर्गीकरण, 10 किमी टोपोशीट, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, पर्यावरणीय बेसलाइन अध्ययन का विवरण, 10 किलो मीटर त्रिज्या अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग/भूमि करव मैप, अध्ययन क्षेत्र का भूमि उपयोग विभाजन, बेसलाइन अध्ययन विवरण, चयनित जाँच स्थल, 10 किलो मानिट्रिंग टोपोशीट, पर्यावरणीय बेसलाइन अध्ययन परिणाम, वायु गुणवत्ता प्रबंधन, जल गुणवत्ता प्रबंधन, ठोस और हैजड्स अपशिष्ट प्रबंधन, ध्यनि प्रदुषण प्रबंधन, हरित पट्टी का विवरण, हरित पट्टी का विकास बफर जोन का जैव विविधता प्रोफाइल, अध्ययन क्षेत्र की जनंसांख्यिकीय की रूप रेखा, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, सामाजिक पर्यावरण, प्रस्तावित परियोजना के लाभ के बारें में जानकारी दी गई है।

तत्पश्चात् श्री षिव कुमार क्षेत्रीय अधिकारी, ने उपस्थित जनसमुह को अपने सुझाव/विचार/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रित किया। उपस्थित जन–समुह द्वारा प्रस्तुत सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप का विवरण निम्नानुसार हैः–

श्री राम चन्द्र, ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंकः– द्वारा जनसुनवाई की प्रक्रिया के बारे में जानकारी चाही गयी।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दीः– द्वारा जनसुनवाई की प्रक्रिया के बारे में पुनः संक्षिप्त में जानकारी दी गयी।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंकः– द्वारा पुछा गया कि कल तक तो जनंसुनवाई ग्राम बरवास में था। आज में टोडारायसिंह में हो गया। इस कोई प्रचार ही नहीं हैं। हम सरपंच हैं, हमें ग्राम बरवास में पता थी।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दीः– द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त आम सुचना अखबार के माध्यम से प्रसारित की गयी व मुनादी भी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज0)

कराई गयी। समाचार पत्रों में जनसुनवाई का स्थान टोडारायसिंह पंचायत समिति कार्यालय ही था।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंकः— द्वारा पुछा कि अन्दर इस मीटिंग/जनसुनवाई में कौन आ सकता हैं ?

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दीः— द्वारा अवगत कराया गया कि यह एक जनसुनवाई हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता हैं।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंकः— ने सुझाव दिया कि अगर आप ग्राम बरवास में जनसुनवाई रख लेतें तो हम प्रेक्टिकल रूप से नदी को देख भी लेतें।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दीः— ने अवगत कराया कि जन सुनवाई का दिन, समय व स्थान नियमानुसार पूर्व में सक्षम स्तर द्वारा निर्धारित किया जाता हैं। आपका यह सुझाव नोट कर लिया गया है। कार्यवाही विवरण के साथ सक्षम स्तर पर प्रेषित कर दिया जायेगा।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंकः— ने कहा कि अगर मैं कोई बात कहू ओर आप उस बात को नहीं माने तो। मैं चाहता हूँ कि आप मौके पर नदी का निरीक्षण करे प्रेक्टिकल रूप से खनन गतिविधि को देख भी लेगें। दुध का दुध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी को पुछने की आवष्यकता ही नहीं पडेगी।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दीः— ने अवगत कराया कि आप जो बात कहेगें हम उसे नोट करेंगें/लिखेगें। आपका कहना हैं कि मौका निरीक्षण किया जाए हम उसको भी नोट करेगें व जनसुनवाई कार्यवाही विवरण में सम्मलित करेगें। आप जो भी कहेगें हम उसे अक्षरषः जनसुनवाई की कार्यवाही विवरण सम्मलित करेगें। अगर कुछ लिखित में भी देना चाहे तो हम उसे भी जनसुनवाई की कार्यवाही विवरण में सम्मलित करेगें।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक,. जिला—टोंकः—ने अवगत कराया कि आप चाहते है कि मौका निरीक्षण किया जाए। हम लिख रहे हैं कि मौका निरीक्षण की मांग की गयी व कार्यवाही विवरण में सम्मलित किया जाएगा। मौका निरिक्षण के लिए सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाएगा तथा जिसको भी सक्षम स्तर से मौका निरीक्षण के लिए निदेर्षित किया जाएगा। वह मौका निरिक्षण करने आएगे।

श्री राम चन्द्र, ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंकः— हम किसी के विरोधी नही हैं लेकिन यह भी नहीं हैं हम जिन्दी मक्खी निगल जाए। उन्होंने पुछा की इस जन सुनवाई में पार्टीसिपेंट (हिस्सा) कोन ले सकता है/कौन अधिकृत है, यहा आने के लिए ? यह बैठे 20 आदमी निर्णय लेगें क्या ? और आप इसे मान जाओगे क्या ? कितना बडा दुर्भाग्य हमारे देष का है कि 20 आदमी वो भी बाहर के आकर पर्यावरण को तय कर देगें कि बजरी खनन कर लिया जाए। यहाँ पर जो लोग है, वह प्रभावित गॉवों से नहीं हैं। उन्होनें उपस्थिति लोगों से उनके गॉव का नाम पुछा। उन्होंने फिर कहा कि ग्राम सेतीवास से कोई नहीं आया, छान से कोई नहीं आया, मोर भाटियान से कोई नहीं आया। ठाठा से कोई नहीं आया, रामपुर से कोई नहीं आया। उन्होंने बताया कि यह खनन परियोजना 17 गॉवों में फैली है व इन गॉवों से कुल

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

मिलाकर भी 17 लोग इस जनसुनवाई में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आप जो उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करा रहे हो, उस पर नाम पते भी लिखवाओं, कौन से गॉव से आये हैं।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दीः— ने उत्तर दिया कि उपस्थिति पत्रक में पता/गॉव का नाम अंकित करवाए जा रहें हैं।

श्री राम चन्द्र, ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंकः— आप महरबानी करके जनसुनवाई को निरस्त कर दीजिए। नदी के किनारे जनसुनवाई कराओ। वहां के लोगों को बुलाएगें।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला—टोंकः— ने अवगत कराया कि आप लोगों की मांग है कि इस जनसुनवाई को निरस्त किया जाए तो हम यही बात कार्यवाही विवरण में लिखेंगें।

श्री रणजीत सिंह, ग्राम गेदिया, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंक,ः— अगर कोई लोग इस परियोजना से प्रभावित है तो इस जनसुनवाई मे आ सकते थे, मना किसने किया है।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंकः— जन सुनवाई का पर्याप्त प्रचार—प्रसार नहीं किया गया। इसे तो पता ही नहीं था इस जनसुनवाई का। आपने (श्री रामचन्द्र सेतीवास) ने बताया तो पता लगा और हम यहां आये।
उन्होंनें ग्राम छानबाससूर्या, बरवास, एवं ग्राम चुली के खसरा संख्या का उल्लेख करते हुए सीमाज्ञान नही होने की बात कही। उन्होंने बाताया की 4 माह पूर्व SDM एवं AME साहब दोनों को मैंने नदी में बुलाया था एवं उन्होंने आष्वासन दिया था कि 07 दिन मे सीमाज्ञान कर देगें लेकिन आज दिन तक सीमा ज्ञान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इन्होंने बताया कि प्रत्येक 1000 मीटर के ब्लॉक के बाद जिसके उपर खनन किया जाता हैं, 50 मीटर की बफर दूरी गैर—खनन ब्लॉक या नियामक प्रधिकरण द्वारा निर्धारित दूरी बनायी रखी जाएगी जबकि मौके पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकुछ सपाट कर दिया गया है कोई बफर नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि इन्होंने (परियोजना प्रस्तावक) बताया कि दोनों तरफ के प्रमुख पुलों और राजमार्ग से 1 किलोमीटर के दायरे में रेत और बजरी निकालना प्रतिबन्धित होगा जबकि मौके पर ऐसा नहीं हैं। उन्होंने पुनः मौका निरीक्षण हेतु प्रस्ताव रखा।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला—टोंकः— ने बताया कि हमने आपकी बात लिख ली है। एवं कार्यवाही विवरण में सम्मलित करते हुए सक्षम स्तर तक पहुॅचाएगें। सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाएगा। तथा यदि वह मौका निरक्षण कराना चाहते हैं तो विषय विशेषज्ञ से निरीक्षण करवायें।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंकः— इन बजरी खनन वालो ने गॉव में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी हैं। कि आने वाले 20 वर्षो में भी लोग आपस में बातचीत नही करेंगें। पूरे गॉव में टुकडे करा दिये है। खनन कार्य करने वाले सभी लोग बाहरी है। एक भी स्थानीय व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया गया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज0)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

श्री राम चन्द्र, ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंकः– द्वारा पुछा गया कि इस जनसुनवाई मे बाहर के लोग क्यो आये है ? लीज वालों की तरफ से दो पॉच लोग आ सकते है बाकी लोग क्यों आयें हैं ? यह जनसुनवाई गॉव में चाहिए थी।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दीः– द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त जनसुनवाई के सम्बन्ध में नियमानुसार एक स्थानीय समाचार पत्र टोंक भास्कर व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र "द इण्डिय एक्सप्रेस" में आम सूचना निर्धारित समयावधि मे प्रकाषित करवाई गई।

श्री रणजीत सिंह, ग्राम गेदिया, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंक,ः– ने अवगत कराया कि यह जनसुनवाई है एवं हिन्दुस्तान का कोई भी व्यक्ति इस जनसुनवाई में भाग ले सकता है।

श्री राम चन्द्र, ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंकः– द्वारा पुछा कि यह जनसुनवाई क्यों की जा रही है व किसके लिए की जा रही है।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दीः– द्वारा अवगत कराया गया कि यह जनसुनवाई मै0 चाण्डक एसोसिएट द्वारा 17 गॉवों में प्रस्तावित खनन क्षमता विस्तार हेतु आयोजित की गयी है। इस जनसुनवाई में कोई भी व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इस जनसुनवाई में इस परियोजना से प्रभावित व्यक्ति अपनी बात रख सकता हैं। मौखिक या लिखित किसी भी रूप में। जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण में सम्मलित करते हुए सक्षम स्तर को प्रेषित किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गयी मुनादी की फोटो पावर पॉईट प्रेजेन्टेषन के माध्यम से दिखाई गयी।

श्री राम चन्द्र, ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंकः– द्वारा पुछा कि जनसुनवाई की अवधि क्या है? उनके द्वारा कहा गया कि सही फैसला लिजिए।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दीः– द्वारा अवगत कराया गया आप जब तक आपत्ति दर्ज कराते रहेगें, हम आपत्ति दर्ज करते रहेगें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवगत कराया गया कि हम इस जनसुनवाई में कोई निर्णय नहीं ले रहे है, हम आप लोगों की बात को इस जनसुनवाई के माध्यम से सक्षम स्तर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

श्री राम चन्द्र, ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंकः– ने अवगत कराया कि पूरा देष जानता है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना खनन कार्य नहीं किया जा सकता है। आप के हाथ में कलम है कि मार दिया जाए या छोड दिया जाए। ईमानदारी से फैसला करना।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दीः– यहां पर हम कोई निर्णय नहीं ले रहे है। आप जो बात कह रहे है। उसे हम नोट कर रहे है हम यहां आपकी बात सुनने के लिए आए है। जो आप बोल रहे है सषब्द मिटिंग मीनेट्स (कार्यवाही विवरण) में लिखा जाएगा

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंकः– मिटिंग मीनेट्स में जाएगा हमें पता है, लेकिन न्याय करो। जस्टिफिकेसन करो।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज0)

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दीः— हम यहां आपकी बात सुनने आये है व आपकी बात को सक्षम स्तर तक पहुंचाने के लिए आये है। हम यहां कोई निर्णय नहीं कर रहे है।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंकः— द्वारा पुछा गया कि क्या यह जनसुनवाई सही है? क्षेत्रीय अधिकारी साहब द्वारा बताया गया कि यह जनसुनवाई निर्धारित **E.I.A Notification** के प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार करायी जा रही है।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंकः— ने कहा कि जन सुनवाई में 10 गाँव के लोगो का आना अनिवार्य हैं। कोई 05 आदमी बाहर के आकर कह देगें तो मान जाओगे क्या ? इतना बडा काम जिससे देष चलता हैं। हजारो लाखों पौधे लगाकर हम जिन्दा रखते हैं लोगों को, इन्सान व पौधे दोनो एक सम्मान है। दोनों प्रकृति की देन है।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला—टोंकः— प्रधान साहब आप जन प्रतिनिधि हो, पूरी पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते है। हम यह मानकर चल रहे है। कि पूरी पंचायत समिति के लोग यहां बैठे है। हम यहां कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, आप जो कहेगें हम उसे नोट करेगें, आप अच्छा कहोगें हम अच्छा लिख देगें आप बुरा कहेगे बुरा लिखेगें तथा कार्यवाही विवरण में सम्मिलित करके सक्षम स्तर को प्रेषित करेगें। आप जो कहेगें उसके अलावा अगर कुछ लिख दिया तो आप बता देना कि यह तो हमने कहा ही नहीं और आपने लिख दिया या आप जो बोल रहे हैं उसमें से कोई बात कार्यवाही विवरण में नहीं की जाये तो बता देना।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंकः— ने जनसुनवाई निरस्त करने हेतु कहा कि आप तो आप जन सुनवाई निरस्त करीये अगली बार जनता जनसुनवाई में आएगी।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला—टोंकः— ने अवगत कराया कि जन सुनवाई की कार्यवाही विवरण में लिखेगें कि जनसुनवाई निरस्त करने की मांग की गयी।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंकः—ने कहा कि ये 17 के 17 गाँव हमसे सम्बन्धित है, हम दो आदमी बैठ के उनका निर्णय कर दे यह तो गलत है। रहना तो हमे वही है, इसलिए कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। और बैठक आप इन लोगों की उपस्थिति में कराओंगे तो यह जस्टिफिकेषन नहीं है। न्याय नहीं क्योंकि ये लोग (Absolutely Outsides) बिलकुल बाहरी है। They are not coming from that Area. ये लोग उस क्षेत्र से नहीं आते है। जो लोग वांछनीय है, अगली बार आप चाहोगे जैसे कर देगे। जनसुनवाई के लिए वहां की जनता का होना आवष्यक हैं। अतः जन सुनवाई मान्य नहीं है।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंकः—ने उपस्थित जन समुदाय का परिचय लेने हेतु बात कही। एवं स्वमं का परिचय दिया कि मै0 रामचन्द्र ग्राम सेतीवास से आया हूँ। तत्पष्चात श्री राम दयाल गुर्जर, ग्राम छानबाससूर्या, तहसील टोंक द्वारा अपना परिचय दिया गया। श्री भेरूलाल शर्मा ग्राम बोटून्दा द्वारा अपना परिचय दिया गया।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंकः— द्वारा अवगत कराया गया कि यह खनन परियोजना बोटून्दा गाँव में नहीं है। प्रधान द्वारा पुनः मौका निरीक्षण हेतु आग्रह किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज.)

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंकः– द्वारा अवगत कराया गया कि आप इस जनसुनवाई में जो कहेगें उसे नोट करेगें। व कार्यवाही विवरण में सम्मलित करेगें।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंकः– द्वारा अवगत कराया कि इस बजरी खनन पट्टाधारी द्वारा कोई वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया, एक भी वृक्ष नहीं लगाया गया।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंकः– ने अवगत कराया कि छानवाससूर्या व बरसवा का नदी में कोई सीमाकंन नहीं है। नदी के पानी से बजरी निकाली जा रही है। एवम इनके द्वारा उत्पादन सम्बन्धी जानकारी चाही गयी। उन्होंने पूछा कि क्या नदी के बहाव को खनन हेतु रोका जा सकता है।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दीः– ने बताया कि उत्पादन सम्बन्धित लेखा व जोखा, खान एवं भू–विज्ञान विभाग द्वारा संधारित किया जाता है। एवम् खनन करने से पहले खनन पट्टाधारी को माईनिंग प्लान, खान एवं भू–विज्ञान विभाग द्वारा अनुमोदित कराना होता हैं। तथा खनन अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार करना होता है। यदि खनन पट्टाधारी माईनिंग प्लान के अनुरूप खनन नहीं करता है, तो खान एवं भू–विज्ञान विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होता है।

श्री रणजीत सिंह, ग्राम गेदिया, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंक,ः– इनका माईनिगं प्लान अनुमोदित हो गया है। यह पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई है। माईनिंग की जानकारी माईनिगं विभाग देगा। माईनिंग का क्षेत्राधिकार उनका है।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंकः– मुझे जनता ने चुनकर भेजा है, मेरा दयित्व है कि जनता का प्रतिनिधित्व ईमानदारी से करू। पर्यावरण को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अधिकारी योग्यता से बनते है। जनप्रतिनिधि जनता के वोट से बनते है। आपकी ड्यूटी बनती है, ईमानदारी से जस्टिफिकेषन करो। उन्होनें कहा कि आज की जनसुनवाई वाजिव नहीं है, जन सुनवाई को निरस्त करते हुए पुनः जन सुनवाई की जाए और उसमें बैठकर निर्णय लिया जाएगा। आप चाहे तो करा देगे भले ही लेकिन यह जनता के लिए सही नही है, कल को लोग हमें गाली देगे कि आपने कैसे फैसला कर दिया। जनसुनवाई में कम से कम 100–200 लोग तो आने चाहिए।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंकः– नदी में गहरे–गहरे खड्डे है। जाकर देख लो। नदी किनारे जगह छोडने की बात कही वह सही नहीं है। नदी किनारे 20 से 25 मीटर जगह छोडने का दायरा था कोई नहीं छोडा।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बून्दीः– द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित लोगों से अनुरोध किया कि यदि कोई अन्य व्यक्ति अपनी बात कहना चाहे, कोई आपत्ति दर्ज कराना तो वह स्वतंत्र है, वह अपनी बात कह सकते है। यहां पर उन गाँव से भी व्यक्ति उपस्थित है, जिन गाँव से यह परियोजना प्रस्तावित है। अतः आप से लोग भी आपने विचार रख सकते है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज0)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

श्री मनोज कुमार चंगल, निवासी ग्राम बरवास तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंकः– ने अवगत कराया कि बजरी खनन परियोजना से प्रभावित 17 गाँव में से केवल 05 से 07 लोग ही इस जन सुनवाई में उपस्थित है।

श्री रणजीत सिंह, ग्राम गेदिया, तहसील टोडारायसिहं, जिला टोंक,:–ने कहा कि यह अन्य व्यक्ति भी उपस्थित है जो उन्ही प्रभावित 17 गाँव से हैं आप उनका परिचय लें। तत्पष्चात् कुछ अन्य लोगों ने भी अपना परिचय दिया ।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दीः– ने जनसुनवाई में उपस्थित लोगों से बात पुनः आग्रह किया कि यदि अन्य कोई व्यक्ति अपनी इन परियोजना के लिए स्वतन्त्र है। उसी के साथ ने सभी का धन्यवाद करते हूए जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की।

उक्त जनसुनवाई के दौरान निम्न प्राप्त लिखित आक्षेप/ आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए जिनकी प्रति संलग्नक हैं (संलग्नक–ग)।

क्र.स.	व्यक्ति संख्या	प्राप्ति दिनांक	विषय
1.	Yogesh Kumar, 303, Sufal Apartment, Sawai Jai Singh Highway, Bani Park, Jaipur (Rajasthan)	26.05.2025	Objection in Public hearing scheduled 26.05.2025 regarding grant of Environment Clearance (EC) for proposed enhancement of production from 3.0 TPA to 8.2 milion TPA (ROM)
2.	जय सिंह नरूका, निवासी ग्राम–खेरड़ा, तहसील–टोडारायसिंह, जिला–टोंक	26.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा वांछित पर्यावरण स्वीकृति वास्ते बजरी खनन तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज करने बाबत्।
3.	मनोज कुमार चंगल, निवासी ग्राम बरवास तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंकः– मो. नं. 9929972733	26.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोक सुनवाई में प्रार्थी की और से आपत्ति दर्ज करने बाबत्।
4.	रामदयाल गुर्जर S/o रामकरण जी, ग्राम–ईस्लामपुरा पो0 बरवास, तहसील –टोडारायसिंह, जिला– टोंक	26.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोक सुनवाई में प्रार्थी की और से आपत्ति दर्ज करने बाबत्।
5.	लियाकत अली, स्वतंत्र पत्रकार, मो0न0 7014653770	26.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोक सुनवाई में प्रार्थी की और से आपत्ति दर्ज करने बाबत्।
6.	समीर–उर–रहमान, सेय्याहो की गली– काफला बाजार (टोंक) मो.नं– 7737363738	26.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोक सुनवाई में प्रार्थी की और से आपत्ति दर्ज करने बाबत्।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज0)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

7.	नाम— केशवराज सैन, पता—न्यू महावीर नगर, रजके वाले बाबा की गली, टोंक (राज.) मो0नं0 7014471095	26.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोक सुनवाई में प्रार्थी की ओर से आपत्ति दर्ज करने बाबत्।
8.	**जिला परिषद सदस्य**, ग्राम **रलावता, EX-मण्डल अध्यक्ष मोर BJP रलावता**, (संरपच) बरवास, **कालराम** सैठीवांस, छीतर रलावता, हंसराज, मोडसा, पूर्व संरपंच मोर भाटियान, राजेश मीण मण्डल अध्यक्ष, BJP मोर,दिलराज गुर्जर मोडियाला, मनोहर लाल गुर्जर जैथल्या, बाबूलाल मीणा, (प्रशासक बरवास)	27.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़कर 8.2 मिलियन को टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।
9.	श्रीमति सन्तरा देवी गुर्जर, सरपंच, ग्राम पंचायत छाण बास सूर्या, तहसील — टोडारायसिंह, जिला— टोंक	27.05.2025	नियमों के विरूद्ध अवैध खनन करके पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने बाबत्।
10.	शिला राजकुमार मीणा प्रशासन, ग्राम पंचायत बोटून्दा, प0स0— टोडारायसिंह, जिला— टोंक	27.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में जन सुनवाई में प्रार्थी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।
11.	निर्मला देवी बैरवा, प्रशासन, ग्राम पंचायत—मोरभाटियान, प0स0— टोडारायसिंह, जिला— टोंक मो.न.—9414579738	27.05.2025	बनास नदी मे बजरी खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति नही दिये जाने बाबत्।
12.	गायत्री देवी शर्मा, प्रशासक, ग्राम पंचायत खरेडा, पं.स. — टोडारायसिंह (टोक)	27.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़कर 8.2 मिलियन को टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।
13	श्रीमति सन्तरा देवी, प्रशासक, ग्राम पंचायत बस्सी, पं0स0— टोडारायसिहं जिला टोंक	27.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़कर 8.2 मिलियन को टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज0)

			करने बाबत्।
14	रामपाल गुर्जर, उप प्रशासक, ग्राम पंचायत – कंवरावास, पं0स0 –टोडारायसिहं जिला टोंक	27.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़कर 8.2 मिलियन को टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।
15	ग्रामवासी ग्राम रलावता, बरवास, सैतीवास, मोर भाटियान, मोडियाला, आदि।	27.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़कर 8.2 मिलियन को टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।
16	श्रीमती सीता देवी गुर्जर, प्रधान पंचायत समिति टोडारायसिंह	26.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़कर 8.2 मिलियन को टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।

अन्तः में क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी द्वारा उपस्थित सभी जन–समुदाय को धन्यवाद् करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला टोंक की अनुमति से लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(शिव कुमार)
क्षैत्रिय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बून्दी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

10/6/25
(राम रतन सौंकरिया)
अति0 जिला कलक्टर टोंक,
जिला–टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज0)

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमाकः– / न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 18617 दिनांकः–07 / 05 / 2025

संशोधित आदेश

कार्यालय हाजा के पत्रांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 18572 दिनांक 05.05.2025 से टोंक जिले में स्थित ग्राम कुरासिया, बनेड़िया चाणणान, कंवरावास, चांदपुरा, सालग्यावास, गोलेड़ा, रलावता, ठाठा, सेंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोरभाटियान, मोडियाला, छाण बाससूर्या, बरवास एवं चूली ग्राम में बनास नदी से रवरबेड सैंड (लघु खनिज) के खनन परियोजना की उत्पदान क्षमता बढ़ाये जाने हेतु दिनांक 26.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे **कार्यालय उपतहसील बरवास** में पर्यावरणीय जनसुनवाई नियत की गई थी। उक्त पर्यावरणीय जनसुनवाई **कार्यालय उपतहसील बरवास के स्थान पर पंचायत समिति सभागार टोडारायसिंह में नियत की जाती है।**

(राम रतन सौकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमाकः– / न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 18618–28 दिनांकः–07 / 05 / 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना / पुल कलेक्ट्रट, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह / टोंक।
3. तहसीलदार टोंक / टोडारायसिंह।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोडारायसिंह।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक।
6. पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बून्दी।
7. श्री जितेन्द्र सिंह नरूका, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
8. मैसर्स चाण्डक एसोसियट्स।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण ... बून्दी (राज.)
प्राप्ति
क्रमांक 43
दिनांक 7/5/25

JEE (P)

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमाकः– / न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 18553 दिनांकः–02 / 05 / 2025

आदेश

कार्यालय हाजा के पत्रांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 14341 दिनांक 25.03.2025 से टोंक जिले मे स्थित ग्राम कुरासिया, बनेड़िया चाणणान, कंवरावास, चांदपुरा, सालग्यावास, गोलेड़ा, रलावता, ठाठा, सेंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोरभाटियान, मोडियाला, छाण बाससूर्या, बरवास एवं चूली ग्राम में बनास नदी से रवरबेड सैंड (लघु खनिज) के खनन परियोजना की उत्पदान क्षमता बढ़ाये जाने हेतु दिनांक 03.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे पंचायत समिति सभागार टोडारायसिंह में पर्यावरणीय जनसुनवाई नियत की गई थी। उक्त पर्यावरणीय जनसुनवाई अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाती है।

(राम रतन सौकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमाकः– / न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 18554–63 दिनांकः–02 / 05 / 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना / पुल कलेक्ट्रट, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह / टोंक।
3. तहसीलदार टोंक / टोडारायसिंह।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोडारायसिंह।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक।
6. पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बून्दी।
7. मैसर्स चाण्डक एसोसियट्स।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

Riley 26/03/25
FEE CDM)
26/3/2025

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमाकः–/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/14341 दिनांक 25/03/2025

पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बून्दी।

विषयः– Public hearing for Environment Clearence for District Tonk.

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण जनसुनवाई हेतु टोंक जिले की तहसील टोडारायसिंह में स्थित ग्रामों में रिवरबेड सैंड (लघु खनिज) के खनन परियोजना की उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने हेतु निम्नानुसार जनसुनवाई का समय, स्थान व दिनांक नियत किया जाता हैः–

क्र0सं0	पत्रावली पत्रांक व दिनांक/फर्म का नाम	ग्राम का नाम	निर्धारित समय, स्थान व दिनांक
1	पत्रांक 3198 दिनांक 18.03.2025 चाण्डक एसोसियट्स	कुरासिया, बनेड़िया चाणनान, कंवरावास, चांदपुरा, सालग्यावास, गोलेड़ा, रलावता, ठाठा, सेंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोरभाटियान, मोडियाला, छाणबाससूर्या, बरवास, चूली	पंचायत समिति सभागार, टोडारायसिंह में दिनांक 03.05.2025 प्रातः 11.00 बजे

(राम रतन सौंकरिया)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमाकः–/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/14342-50 दिनांक 25/03/2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना/पुल कलेक्ट्रट, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह।
3. तहसीलदार टोडारायसिंह को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई संबन्धित पटवारी को उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोडारायसिंह को भेजकर लेख है कि उक्त निर्धारित तिथि व समय पर पंचायत समिति सभागार में आवश्यक व्यवस्थायें करना सुनिश्चित करें।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक।
6. श्री जितेन्द्र सिंह नरूका, वरिष्ठ सहायक न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
7. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत..।

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण ... प्राप्ति क्रमांक 820 दिनांक 26/3/25 बून्दी

अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

Document certified by Ram Ratan Sonkaria <ceo.ijn@gmail.com>.
Digitally Signed by Ram Ratan Sonkaria
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date :25-03-2025 01:54:43

JUDICIAL MOST FILE : ENVIRONMET JANSUNWALI

RajKaj Ref No.: 14296640

संलग्नक - ब

मैसर्स चांड़क एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तावित रिवरबेड़ सेण्ड (माइनर मिनरल) खनन परियोजना एम.एल. संख्या 8/2012 (लीज क्षेत्र 1260.96 हैक्टेयर) प्रस्तावित रिवरबेड़ सेण्ड (माइनर मिनरल) कुल उत्पादन क्षमता का विस्तार **3.0 Million TPA (ROM)** से **8.2 Million TPA (ROM)** निकट ग्राम कुरास्या, बनेड़िया चारणान, कॅवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेड़ा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरड़ा, मोडियाला, छानमयबाससुर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 26.05.2025 को प्रातः 11:00 **AM** बजे, पंचायत समिति सभागार, टोड़ारायसिंह, तहसील–टोड़ारायसिंह, जिला–टोंक में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्रक :–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Ram Ratan Sonkaria	ADM, Tonk.	[illegible]
2	Shiv Kumar	Regional officer, RSPCB, Bundi	[illegible]
3	KAPIL [illegible]	SDM - TODA	[illegible]
4	RAHUL PAREEK	TDR - Toda	[illegible]
5	SAMEER-UR-REHMAN	TONK	[illegible]
6	Om Prakash Sharma	Auth. Person, Lease owner	[illegible]
7	Yagya Pratap Singh	Lease ref.	Yagya
8	[illegible]	पत्रकार, टोंक (पर्यावरण प्रेमी)	[illegible]
9	yudhisthir Singh	Surpura	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	सुरेश गुर्जर	[illegible]	[illegible]
12	रामावतार यादव	~~[illegible]~~ [illegible]	[illegible]
13	देवराज गुर्जर	रतनपुरा	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	देवली	[illegible]
16	Dalip Singh	Deoli	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
19	बाबूलाल मीणा	[illegible]	Babulal
20	रामस्वरूप सिंह	जयपुर	[signature]
21	रामसिंह	देवली (बान्हली)	[signature]
22	विजेन्द्र सिंह	जयपुर	[signature]
23	पूरणमल	टोडारायसिंह	पूरणमल
24	रामरतन	किशनपुरा	रामरतन
25	चैन सिंह	टोंक	Chain Singh
26	लक्ष्मण गुर्जर	मालू	लक्ष्मण
27	मनराज धाकड़	भगवानपुरा	मनराज
28	रामराज गुर्जर	टोपा कालोनी	रामराज
29	अभिषेक गुर्जर	टोडारायसिंह	अभिषेक
30	राजू राणा	टोंक	[signature]
31	कमलेश गुर्जर	टोडारायसिंह	कमलेश
32	सुरेन्द्र गुर्जर	टोडारायसिंह	सुरेन्द्र
33	ओम प्रकाश सैनी	टोडारायसिंह	ओमप्रकाश
34	आशाराम सैनी	टोडारायसिंह	आशाराम
35	दलीप पारीक	टोडारायसिंह	[signature]
36	नन्दकिशोर		
37	[illegible]	[illegible]	[signature]
38	मनोज कुमार - [illegible]	[illegible]	[signature]
39	[illegible]	स्वतंत्र पत्रकार एवं [illegible]	[signature]
40	दिनेश गुर्जर		दिनेश
41	चन्द्रप्रकाश शर्मा	बोटून्दा	[signature]
42	कन्हैया लाल	बोटून्दा	[signature]
43	सौतान सिंह मीणा	कुरासिया	सौतान सिंह
44	[illegible] गुर्जर	गोलेडा	[signature]

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
45	[illegible] सिंह	कुराखीया	[illegible]
46	गोपालाल शर्मा	जोरूदा	[illegible]
47	भैरुलाल प्रजापत	बोरूंदा	[illegible]
48	सत्यपाल सिंह	~~[illegible]~~ रामदेवली	सत्यपाल
49	विनोद मीणा	निवाई	[illegible]
50	लखन चौधरी	निवाई	[illegible]
51	खेमराज	[illegible]	खेमराज
52	मंगलाराम	~~[illegible]~~ राजमहल	मंगलाराम
53	घीसाराम	लावाराई	घीसाराम
54	नारायण	[illegible]	नारायण
55	दिलखुश मीणा	[illegible]	दिलखुश
56	दिलराज कुमार	[illegible]	[illegible]
57	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58	जितेन्द्र सिंह [illegible]	[illegible]	[illegible]
59	रामचन्द्र	9414081210 [illegible]	[illegible]
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			

JEE (P) 26/5/25 सलग्न कं-प्र'

Dated: 22.05.2025

The Chairperson Madam,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur - chairperson@rpcb.nic.in

The Chairman Sir,
SEIAA, Jaipur - seiaachairman@gmail.com

The Member Secretary Sir,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur- member-secretary@rpcb.nic.in

The Collector Sir,
Tonk - dm-ton-rj@nic.in

Shri Shiv Kumar Ji, Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Bundi - rorpcb.bundi@gmail.com

Sub: Objections in public hearing scheduled for 26.05.2025 regarding grant of Environmental Clearance (EC) for proposed enhancement of production from 3.0 million TPA (ROM) to 8.2 million TPA (ROM).

Ref: Public Hearing notice issued by Regional Officer, RSPCB, Bundi bearing No. RPCB/RO.BUNDI/PUB-134/261 dated 07.05.2025 and published in the newspapers.

Dear Sir,

Please refer to public hearing notice cited above, wherein the public hearing is scheduled to be held on 26.05.2025 in respect of enhancement of production in Environmental Clearance from 3.0 million TPA (ROM) to 8.2 million TPA (ROM). I would like to inform that the terms & conditions containing in the original EC dated 21.08.2024 have not been complied with by the Project Proponent (PP) thereby no occasion arises for consideration of enhancement of production. The pertinent violation of the terms & conditions of EC as well as various guidelines are furnished as under:

1. Under the statutory compliances, the condition has been imposed in the EC at Sl. No. 1.1 that the Environmental Clearance shall be subject to orders of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Courts, NGT and other Court of Law, from time to time, and as applicable to the Project. It is pertinent to mention that the PP is not complying with the orders of Hon'ble Supreme Court of India, which is gross violation of condition

क्रमांक 128 दिनांक 26/5/25

शोरेव

imposed under the EC. The brief facts regarding non-compliance to the orders of Hon'ble Supreme Court of India is furnished as under:

(a) Hon'ble Supreme Court of India vide Order dated 19.02.2020 passed in SLP (C) No. 10587/2019 directed the Central Empowered Committee (CEC) to go into the question of illegal Sand Mining and problems faced in this regard by the various Stakeholders and to suggest measures for stopping illegal mining in the State of Rajasthan.

(b) The CEC submitted its report dated 23.12.2020 before Hon'ble Supreme Court, wherein under Para-11 (iii), the CEC suggested procedure in respect of River Sand Mining in the State of Rajasthan. Further, under Para-12, in recommendation "D", it is prescribed that *"D. River Sand Mining in Rajasthan is permitted to be conducted after obtaining all statutory clearances and payment of dues and applicable taxes **following the procedure listed in Para-11 (iii) of this report**".*

(c) Hon'ble Supreme Court vide judgment dated 11.11.2021 passed in SLP (C) No. 10587/2019 approved the recommendations made by CEC for implementation forthwith except recommendation "J". Thus, the recommendation 'D' was approved by the Hon'ble Supreme Court and it is the statutory liability of not only the State Government but also the Environmental Department to comply with the conditions laid down under Para 11(iii) of the CEC Report. Further, the compliance of said Para has also been mandated under the Lease Agreement.

(d) The PP is not complying with the following conditions of Para 11(iii):

*(a) The **entire lease area along the river is divided into five linear annual blocks having nearly equal quantity of sand resource for annual extraction during the 5 year period of lease.** The **boundaries of the river to be leased for sand mining are to be demarcated after following the procedure laid down by the EAC in its meeting held on 8th Jan, 2018.** An extract of the minutes 87 dated 8.1.2018 is enclosed as **Annexure R 21** to this Report.*

*(b) During the course of mining **1/3 width of the river in central part will be dugout all along the length of the annual block without any gap to maintain continuity of channel and the depth of mining will be maintained at uniform 1 M until the replenishment study is undertaken. The remaining 1/3 width of the river on either side of the river shall not be less than 7.5 M each and which is the minimum width of safety zone prescribed in the Mining Rules.***

*(d) **No mining will be permitted below the river water level.***

21/07/22/

(e) **Sand is permitted to be collected only from dry sand bars/ beds exposed above water level.**

(f) **No sand will be collected from any of the annual blocks from where sand has already been mined during any of the 5 year period of the lease.**

(g) The lease condition shall include mandating the lessee to undertake **annual replenishment studies over the entire period of the lease** during the monsoon season **in respect of each of the annual blocks already mined by the lessee** and make available the same to the state authorities;

(h) The result of replenishment study will be used by the state authorities to update the District Survey Report and to fix the annual permissible limit in respect of such blocks in future.

(l) The **lessees shall not sell and despatch the mined sand directly from the river bed to customer destinations. Instead the lessee shall first transport mined sand to the designated transit depot to be maintained within 5 kms radial distance from the river bank and sell and despatch sand to customer destinations only from the transit depot**. This would entail the following:

(ii) The transit depot shall be opened by the lease holder only at sites / locations approved by the DMG;

(iii) The maximum number of transit depots in respect of each lease at any given point of time shall not be more than three.

(iv) The **river sand shall be weighed at mining site using mobile weigh bridge before its dispatch to the transit depot and a second weighment shall be taken at the transit depot gate before the same is unloaded. The difference in two weighments shall not exceed 5%.**

(v) **Only GPS (Global Positioning System) fitted vehicles with RFID Tag (Radio Frequency Identification Device) are engaged in transport of sand from the mining site to the transit depot.**

(vi) The **entire area of transit depot including the gate and weigh bridge shall be brought under 24X7 CCTV coverage and CCTV data/recordings shall be maintained for six months. No dispatch or receipt of sand in the transit depot shall be made if the CCTV system for any reason is not functional.**

(vii) For transport of sand, royalty paid e-ravannas only shall be used and the e-ravannas shall not be generated for quantity of sand less than the load carrying capacity of the vehicle so used and as certified by the RTO in the vehicles registration document.

3/10/21

(viii) ***All transit passes (e-ravannas) are printed on Indian Bank Association approved Magnetic Ink Character Recognition code (MICR) paper. These papers shall be supplied by the State government with the seal and signature of the issuing authority.***

(ix) ***No tractor, not being registered as commercial vehicles, shall be engaged for transport of sand from the mining site to the transit depot.***

(x) All the mining operations are integrated and monitored through digital applications system.

(e) The aforesaid conditions imposed by the CEC and duly approved by Hon'ble Supreme Court of India and duly highlighted hereinabove are not being followed by PP and the same may be inspected and examined thoroughly before proceeding further regarding grant of EC. It is relevant to mention that (i) there are no linear annual blocks having equal quantity of sand resources (ii) There is no demarcation of Mining Area as laid down by EAC. (iii) The provision for mining in middle 1/3 width is not being followed (iv) The compliance regarding collection of sand from dry sand bars/beds exposed above water level is not being followed (v) No Replenishment Study for the year 2023 and 2024 is on record, which is otherwise mandatory (vi) The provision as mentioned under Para 11(iii) (l) from Sub Para (ii) to (ix) duly highlighted hereinabove are not being complied with by the PP.

(f) In the light of gross violation of orders of Hon'ble Supreme Court of India, as mentioned above, EC cannot be granted to the PP.

2. There is also violation of various other terms & conditions of EC dated 21.08.2024, which is mentioned in brief as under:

(a) Under the EC there is provision that approx. 16.845 hectare area will be developed for plantation with 6750 plants. However, there is no any such plantation thereby the same needs to be verified and checked.

(b) Under Para-3 of Specific Conditions, the condition 1 prescribed that PP is required to carry out Replenishment Study on regular basis as per Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 (SMMG) and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 (EMGSM). Further, it is prescribed that PP will ensure Mining operation after incorporation of approved Replenishment Study in Mining Plan. It is relevant to mention that no Replenishment Study has been carried out during 2023 and 2024 thereby the proposal for enhancement of production is bad in law and against the terms & conditions of the EC.

सहित

(c) It is the condition of EC that "The Project Proponent shall comply with all the conditions prescribed in Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020". However, there is violation of following directions of SSMMG and EMGSM:

(i) There is non-compliance of the standard environmental conditions for Sand Mining as prescribed under SSMMG (see Page 73), which are at Sl. No. 11 pertaining to Replenishment Study, at Sl. No. 20 & 21 pertaining to Mining Area identification and marking of boundary with pucca pillars and Geo-coordinates, at Sl. No. 31 for transportation of minerals under covered Trucks.

(ii) Similarly, no any Annual Audit of Sand Mining process, production and compliance of imposed conditions by the Regulatory Authority (Environmental Clearance and Mine Plan) has been carried out in the instant case, which is otherwise mandatory before consideration of the instant proposal, as mandated under Para 4.2 of EMGSM.

(iii) Further, no Environment Audit, as mandated under Para 6.3 of EMGSM has been carried out, which is mandatory requirement before proceeding further in the instant proposal. The dispatch routes have not been defined as per Para 9.4 (11) of EMGSM.

3. There is no any compliance to the following conditions of EC dated 21.08.2024:

XXXIII. In the project related to Bajri mining the **PP shall follow the 'Sustainable Sand Mining Guidelines 2016' and 'Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020' laid down by the MoEF&CC, GOI**. The Bajri sand mining activity is restricted to three meters from ground level or water level whichever is less and the PP shall carry out river sand (Bajri) mining activity only manually or semi mechanized method as provided under the 'Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016' and 'Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020'.

2. Air quality monitoring and preservation:

i. The Project Proponent shall install a minimum of 3 (three) online Ambient Air Quality Monitoring Stations with 1 (one) in upwind and 2 (two) in downwind direction based on long term climatological data about wind direction such that an angle of 120° is made between the monitoring locations to monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution viz. PMI 0, PM2.5, No. 2; CO and SO2 etc as per the methodology mentioned in NAAQS Notification No.

२।०।२१

B-29016/20/90/PCI/I dated 18.11.2009 covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building, canteen etc as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places. **The above data shall be digitally displayed within 03 months in front of the main Gate of the mine site.**

3. Water quality monitoring and preservation:

iii. Project Proponent shall regularly monitor and **maintain records w.r.t. ground water level and quality in and around the mine lease by establishing a network of existing wells as well as new piezo-meter installations during the mining operation in consultation with Central Ground Water Authority/State Ground Water Department. The Report on changes in Ground water level and quality shall be submitted on six-monthly basis to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Groundwater Department/State Pollution Control Board.**

7. Transportation:

i. **No Transportation of the minerals shall be allowed in case of roads passing through villages/habitations.** In such cases, **PP shall construct a 'bypass' road for the purpose of transportation of the minerals leaving an adequate gap (say at least 200 meters)** so that the adverse impact of sound and dust along with changes of accidents could be mitigated. **All costs resulting from widening and strengthening of existing public road network shall be borne by the PP** in consultation with nodal State Govt. Department. Transportation of minerals through road movement in case of existing village rural roads shall be allowed in consultation with nodal State Govt. Department only after required strengthening such that the carrying capacity of roads is increased to handle the traffic load. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled and water sprinkling will also be done regularly. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.

4. The aforesaid conditions of the EC duly highlighted have not been complied with by the PP, which can be verified by physical inspection & records available with the Departments concerned.

राठौर

In the light of aforesaid facts duly verifiable on record, it is explicitly clear that on account of gross violation of various terms & conditions of the EC, directions of Hon'ble Supreme Court of India and SSMMG & EMGSM, the present EC granted to M/s Chandak Associates should be revoked immediately and no any proposal for further enhancement of production shall be considered else the Applicant will be left with no option but to proceed further under the provisions of law.

Yours sincerely,

(Yogesh Kumar)
303, Sufal Apartment,
Sawai Jai Singh Highway,
Bani Park, Jaipur (Rajasthan)

JEE(CD)
10/6/25

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमांकः–/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/19137 दिनांक 30/05/2025

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बूंदी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्राप्ति क्रमांक 217
दिनांक 10/6/25
बून्दी (राज.)

विषयः– मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा वांछित पर्यावरण स्वीकृति वास्ते बजरी खनन के संबंध में श्री योगेश कुमार, सवाई जयसिंह हाईवे बनी पार्क जयपुर द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री योगेश कुमार, सवाई जयसिंह हाईवे बनी पार्क जयपुर ने मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा वांछित पर्यावरण स्वीकृति वास्ते बजरी खनन के सबन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की है।

अतः श्री योगेश कुमार, सवाई जयसिंह हाईवे बनी पार्क जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न किता => 7

(विनोद कुमार मीणा)
प्रभारी अधिकारी
न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट,
टोंक

ADM

488
27/5/25

Jud

26.05.2025

Dated: 22.05.2025

The Chairperson Madam,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur - chairperson@rpcb.nic.in

The Chairman Sir,
SEIAA, Jaipur - seiaachairman@gmail.com

The Member Secretary Sir,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur- member-secretary@rpcb.nic.in

The Collector Sir,
Tonk - dm-ton-rj@nic.in

Shri Shiv Kumar Ji, Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Bundi - rorpcb.bundi@gmail.com

Sub: Objections in public hearing scheduled for 26.05.2025 regarding grant of Environmental Clearance (EC) for proposed enhancement of production from 3.0 million TPA (ROM) to 8.2 million TPA (ROM).

Ref: Public Hearing notice issued by Regional Officer, RSPCB, Bundi bearing No. RPCB/RO BUNDI/PUB-134/261 dated 07.05.2025 and published in the newspapers.

Dear Sir,

Please refer to public hearing notice cited above, wherein the public hearing is scheduled to be held on 26.05.2025 in respect of enhancement of production in Environmental Clearance from 3.0 million TPA (ROM) to 8.2 million TPA (ROM). I would like to inform that the terms & conditions containing in the original EC dated 21.08.2024 have not been complied with by the Project Proponent (PP) thereby no occasion arises for consideration of enhancement of production. The pertinent violation of the terms & conditions of EC as well as various guidelines are furnished as under:

1. Under the statutory compliances, the condition has been imposed in the EC at Sl. No. 1.1 that the Environmental Clearance shall be subject to orders of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Courts, NGT and other Court of Law, from time to time, and as applicable to the Project. It is pertinent to mention that the PP is not complying with the orders of Hon'ble Supreme Court of India, which is gross violation of condition

यो॰ो॰९

imposed under the EC. The brief facts regarding non-compliance to the orders of Hon'ble Supreme Court of India is furnished as under:

(a) Hon'ble Supreme Court of India vide Order dated 19.02.2020 passed in SLP (C) No. 10587/2019 directed the Central Empowered Committee (CEC) to go into the question of illegal Sand Mining and problems faced in this regard by the various Stakeholders and to suggest measures for stopping illegal mining in the State of Rajasthan.

(b) The CEC submitted its report dated 23.12.2020 before Hon'ble Supreme Court, wherein under Para-11 (iii), the CEC suggested procedure in respect of River Sand Mining in the State of Rajasthan. Further, under Para-12, in recommendation "D", it is prescribed that *"D. River Sand Mining in Rajasthan is permitted to be conducted after obtaining all statutory clearances and payment of dues and applicable taxes* ***following the procedure listed in Para-11 (iii) of this report****"*.

(c) Hon'ble Supreme Court vide judgment dated 11.11.2021 passed in SLP (C) No. 10587/2019 approved the recommendations made by CEC for implementation forthwith except recommendation "J". Thus, the recommendation 'D' was approved by the Hon'ble Supreme Court and it is the statutory liability of not only the State Government but also the Environmental Department to comply with the conditions laid down under Para 11(iii) of the CEC Report. Further, the compliance of said Para has also been mandated under the Lease Agreement.

(d) The PP is not complying with the following conditions of Para 11(iii):

(a) The ***entire lease area along the river is divided into five linear annual blocks having nearly equal quantity of sand resource for annual extraction during the 5 year period of lease.*** *The* ***boundaries of the river to be leased for sand mining are to be demarcated after following the procedure laid down by the EAC in its meeting held on 8th Jan, 2018.*** *An extract of the minutes 87 dated 8.1.2018 is enclosed as* **Annexure R 21** *to this Report.*

(b) During the course of mining ***1/3 width of the river in central part will be dugout all along the length of the annual block without any gap to maintain continuity of channel and the depth of mining will be maintained at uniform 1 M until the replenishment study is undertaken. The remaining 1/3 width of the river on either side of the river shall not be less than 7.5 M each and which is the minimum width of safety zone prescribed in the Mining Rules.***

(d) ***No mining will be permitted below the river water level.***

स्टॉर/

(e) ***Sand is permitted to be collected only from dry sand bars/ beds exposed above water level.***

(f) ***No sand will be collected from any of the annual blocks from where sand has already been mined during any of the 5 year period of the lease.***

(g) *The lease condition shall include mandating the lessee to undertake* ***annual replenishment studies over the entire period of the lease*** *during the monsoon season* ***in respect of each of the annual blocks already mined by the lessee*** *and make available the same to the state authorities;*

(h) *The result of replenishment study will be used by the state authorities to update the District Survey Report and to fix the annual permissible limit in respect of such blocks in future.*

(l) *The* ***lessees shall not sell and despatch the mined sand directly from the river bed to customer destinations. Instead the lessee shall first transport mined sand to the designated transit depot to be maintained within 5 kms radial distance from the river bank and sell and despatch sand to customer destinations only from the transit depot.*** *This would entail the following:*

(ii) *The transit depot shall be opened by the lease holder only at sites / locations approved by the DMG;*

(iii) *The maximum number of transit depots in respect of each lease at any given point of time shall not be more than three.*

(iv) *The* ***river sand shall be weighed at mining site using mobile weigh bridge before its dispatch to the transit depot and a second weighment shall be taken at the transit depot gate before the same is unloaded. The difference in two weighments shall not exceed 5%.***

(v) ***Only GPS (Global Positioning System) fitted vehicles with RFID Tag (Radio Frequency Identification Device) are engaged in transport of sand from the mining site to the transit depot.***

(vi) *The* ***entire area of transit depot including the gate and weigh bridge shall be brought under 24X7 CCTV coverage and CCTV data/recordings shall be maintained for six months. No dispatch or receipt of sand in the transit depot shall be made if the CCTV system for any reason is not functional.***

(vii) *For transport of sand, royalty paid e-ravannas only shall be used and the e-ravannas shall not be generated for quantity of sand less than the load carrying capacity of the vehicle so used and as certified by the RTO in the vehicles registration document.*

रा०ो०१/

(viii) ***All transit passes (e-ravannas) are printed on Indian Bank Association approved Magnetic Ink Character Recognition code (MICR) paper. These papers shall be supplied by the State government with the seal and signature of the issuing authority.***

(ix) ***No tractor, not being registered as commercial vehicles, shall be engaged for transport of sand from the mining site to the transit depot.***

(x) All the mining operations are integrated and monitored through digital applications system.

(e) The aforesaid conditions imposed by the CEC and duly approved by Hon'ble Supreme Court of India and duly highlighted hereinabove are not being followed by PP and the same may be inspected and examined thoroughly before proceeding further regarding grant of EC. It is relevant to mention that (i) there are no linear annual blocks having equal quantity of sand resources (ii) There is no demarcation of Mining Area as laid down by EAC. (iii) The provision for mining in middle 1/3 width is not being followed (iv) The compliance regarding collection of sand from dry sand bars/beds exposed above water level is not being followed (v) No Replenishment Study for the year 2023 and 2024 is on record, which is otherwise mandatory (vi) The provision as mentioned under Para 11(iii) (l) from Sub Para (ii) to (ix) duly highlighted hereinabove are not being complied with by the PP.

(f) In the light of gross violation of orders of Hon'ble Supreme Court of India, as mentioned above, EC cannot be granted to the PP.

2. There is also violation of various other terms & conditions of EC dated 21.08.2024, which is mentioned in brief as under:

(a) Under the EC there is provision that approx. 16.845 hectare area will be developed for plantation with 6750 plants. However, there is no any such plantation thereby the same needs to be verified and checked.

(b) Under Para-3 of Specific Conditions, the condition 1 prescribed that PP is required to carry out Replenishment Study on regular basis as per Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 (SMMG) and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 (EMGSM). Further, it is prescribed that PP will ensure Mining operation after incorporation of approved Replenishment Study in Mining Plan. It is relevant to mention that no Replenishment Study has been carried out during 2023 and 2024 thereby the proposal for enhancement of production is bad in law and against the terms & conditions of the EC.

राजेश

(c) It is the condition of EC that "The Project Proponent shall comply with all the conditions prescribed in Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020". However, there is violation of following directions of SSMMG and EMGSM:

(i) There is non-compliance of the standard environmental conditions for Sand Mining as prescribed under SSMMG (see Page 73), which are at Sl. No. 11 pertaining to Replenishment Study, at Sl. No. 20 & 21 pertaining to Mining Area identification and marking of boundary with pucca pillars and Geo-coordinates, at Sl. No. 31 for transportation of minerals under covered Trucks.

(ii) Similarly, no any Annual Audit of Sand Mining process, production and compliance of imposed conditions by the Regulatory Authority (Environmental Clearance and Mine Plan) has been carried out in the instant case, which is otherwise mandatory before consideration of the instant proposal, as mandated under Para 4.2 of EMGSM.

(iii) Further, no Environment Audit, as mandated under Para 6.3 of EMGSM has been carried out, which is mandatory requirement before proceeding further in the instant proposal. The dispatch routes have not been defined as per Para 9.4 (11) of EMGSM.

3. There is no any compliance to the following conditions of EC dated 21.08.2024:

XXXIII. In the project related to Bajri mining the **PP shall follow the 'Sustainable Sand Mining Guidelines 2016' and 'Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020' laid down by the MoEF&CC, GOI**. The Bajri sand mining activity is restricted to three meters from ground level or water level whichever is less and the PP shall carry out river sand (Bajri) mining activity only manually or semi mechanized method as provided under the 'Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016' and 'Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020'.

2. Air quality monitoring and preservation:

i. The Project Proponent shall install a minimum of 3 (three) online Ambient Air Quality Monitoring Stations with 1 (one) in upwind and 2 (two) in downwind direction based on long term climatological data about wind direction such that an angle of 120° is made between the monitoring locations to monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution viz. PMI 0, PM2.5, No. 2; CO and SO2 etc as per the methodology mentioned in NAAQS Notification No.

21/11/21

B-29016/20/90/PCI/I dated 18.11.2009 covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building, canteen etc as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places. **The above data shall be digitally displayed within 03 months in front of the main Gate of the mine site.**

3. Water quality monitoring and preservation:

iii. Project Proponent shall regularly monitor and **maintain records w.r.t. ground water level and quality in and around the mine lease by establishing a network of existing wells as well as new piezo-meter installations during the mining operation in consultation with Central Ground Water Authority/State Ground Water Department. The Report on changes in Ground water level and quality shall be submitted on six-monthly basis to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Groundwater Department/State Pollution Control Board.**

7. Transportation:

i. **No Transportation of the minerals shall be allowed in case of roads passing through villages/habitations.** In such cases, **PP shall construct a 'bypass' road for the purpose of transportation of the minerals leaving an adequate gap (say at least 200 meters)** so that the adverse impact of sound and dust along with changes of accidents could be mitigated. **All costs resulting from widening and strengthening of existing public road network shall be borne by the PP** in consultation with nodal State Govt. Department. Transportation of minerals through road movement in case of existing village rural roads shall be allowed in consultation with nodal State Govt. Department only after required strengthening such that the carrying capacity of roads is increased to handle the traffic load. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled and water sprinkling will also be done regularly. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.

4. The aforesaid conditions of the EC duly highlighted have not been complied with by the PP, which can be verified by physical inspection & records available with the Departments concerned.

2/02/21

In the light of aforesaid facts duly verifiable on record, it is explicitly clear that on account of gross violation of various terms & conditions of the EC, directions of Hon'ble Supreme Court of India and SSMMG & EMGSM, the present EC granted to M/s Chandak Associates should be revoked immediately and no any proposal for further enhancement of production shall be considered else the Applicant will be left with no option but to proceed further under the provisions of law.

Yours sincerely,

21/02/21

(Yogesh Kumar)
303, Sufal Apartment,
Sawai Jai Singh Highway,
Bani Park, Jaipur (Rajasthan)

JEE (P)
26/5/25

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,
टोंक (राजस्थान)

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,
क्षेत्रीय कार्यालय बूंदी (राजस्थान)

विषयः मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा वांछित पर्यावरण स्वीकृति वास्ते बजरी खनन तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा तहसील टोडारायसिंह, ज़िला टोंक में बजरी खनन हेतु पर्यावरण स्वीकृति में बजरी खनन की मात्रा 3 लाख मै.टन से 8.2 लाख मै.टन हेतु किये गये आवेदन के सम्बन्ध में दिनांक 26.05.2025 को जनसुनवाई क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी द्वारा नियत की गयी है।

इस पर्यावरण स्वीकृति का हम स्थानीय निवासी घोर विरोध करते हैं। यदि नदी से प्रतिवर्ष इतनी बजरी निकाली जायेगी, तो न केवल पर्यावरण की दृष्टि से नदी को हानि होगी, अपितु स्थानीय जल स्तर में भी कमी होगी।

यह सुस्पष्ट है कि सम्बन्धित खननकर्ता द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों की कोई पालना नहीं की गयी है तथा उसकी जाँच किये बिना मात्रा में वृद्धि के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा विचार किया जाना घोर निन्दनीय है। मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स को जारी ई. सी. एवं सी.टी.ओ. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु शर्त रखी गयी है, जिसमें लीज में उल्लेखित यह शर्त भी है कि लीजधारक द्वारा सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के निर्देशों की पालना की जायेगी, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.11. 2021 से अनुमोदित किया गया है।

P.T.O.

राज्य प्रदूषण नियंत्रण ... प्राप्ति क्रमांक 127 दिनांक 26/5/25 बूंदी

सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के अन्तर्गत यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि लीज क्षेत्र को समान 05 लिनियर ब्लॉक में विभाजित करना है तथा यह ब्लॉक इस हिसाब से बनाना है कि सभी ब्लॉक में लगभग समान–समान रूप से बजरी की मात्रा उपलब्ध हो। इसके साथ ही हर वर्ष केवल एक ब्लॉक में ही खनन का कार्य किया जाना है, जिसमें नदी के दोनों ओर के 1/3 भाग न्यूनतम दूरी को छोड़ते हुए ही खनन किया जा सकता है। इस प्रकार कुल लीज क्षेत्र के 20 प्रतिशत भाग के न्यूनतम दूरी को छोड़ने के उपरान्त अवशेष 1/3 भाग अर्थात लगभग 6.6 प्रतिशत लीज भाग में ही प्रतिवर्ष बजरी का संकलन किये जाने की अनुमति है। विभाग द्वारा बिना इसका अध्ययन कराये कि प्रतिवर्ष अनुमत किये गयें 6.6 प्रतिशत भाग में 8.2 लाख मै.टन बजरी उपलब्ध भी है या नहीं, किस प्रकार इस प्रस्ताव को जनसुनवाई के लिए लाया गया है। न तो विभाग द्वारा एवं न ही सम्बन्धित खननकर्ता द्वारा इस अध्ययन का कोई दस्तावेज पर्यावरण के पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा पर्यावरण के पोर्टल पर यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार 05 लिनियर ब्लॉक बनाये गये हैं तथा किस ब्लॉक में किस वर्ष बजरी संकलन की जायेगी एवं उस ब्लॉक के नदी के मध्य हेतु अनुमति प्राप्त 1/3 भाग में 8.2 लाख मै.टन बजरी भी उपलब्ध है या नहीं।

इस प्रकार विभाग द्वारा यह प्रस्ताव केवल निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हुए जनसुनवाई हेतु रखा गया है, जबकि विभाग को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी के निर्देशों की जानकारी होना एवं उन प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के बाद ही किसी प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाना चाहिए था।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 10587/2019 बजरी लीज एल.ओ.आई. होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.11.2021 द्वारा अनुमोदित अनुशंसाओं के अनुसार निम्न प्रावधानों की पालना अनिवार्य है:

- समस्त लीज क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित करके सीमांकन किया जाना है तथा प्रतिवर्ष केवल एक भाग में ही खनन कार्य किया जा सकता है तथा 05 वर्ष की लीज अवधि में उस भाग में पुनः खनन नहीं किया जा सकता है।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(a) The entire lease area along the river is divided into five linear annual blocks having nearly equal quantity of sand resource for annual extraction during the 5 year period of lease. The boundaries of the river to be leased for sand mining are to be demarcated after following the procedure laid down by the EAC in its meeting held on 8th Jan, 2018. An extract of the minutes 87 dated 8.1.2018 is enclosed as Annexure R 21 to this Report.*

  सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(f) No sand will be collected from any of the annual blocks from where sand has already been mined during any of the 5 year period of the lease).*

- खनन में नदी के दोनों क्षेत्र के 1/3 भाग को छोड़कर अवशेष 1/3 भाग में ही बजरी खनन किया जा सकता है, जो 7.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(b) During the course of mining 1/3 width of the river in central part will be dugout all along the length of the annual block without any gap to maintain continuity of channel and the depth of mining will be maintained at uniform 1 M until the replenishment study is undertaken. The remaining 1/3 width of the river on either side of the river shall not be less than 7.5 M each and which is the minimum width of safety zone prescribed in the Mining Rules).*

- नदी के जल स्तर से नीचे खनन की अनुमति नहीं है।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(d) No mining will be permitted below the river water level).*

- बजरी केवल सूखे बजरी के ढ़ेर अथवा जल स्तर के ऊपर ही निकाली जा सकती है।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(e) Sand is permitted to be collected only from dry sand bars/ beds exposed above water level).*

- प्रत्येक मानसून के सीजन में वार्षिक रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी करनी है। रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी के आधार पर ही वार्षिक बजरी खनन की सीमा का निर्धारण किया जाना है। रिप्लेनिशमेन्ट की मात्रा से अधिक बजरी के खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(g) The lease condition shall include mandating the lessee to undertake annual replenishment studies over the entire period of the lease during the monsoon season in respect of each of the annual blocks already mined by the lessee and make available the same to the state authorities).*
- लीज धारक द्वारा नदी क्षेत्र से बजरी का विक्रय नहीं किया जा सकता है। लीजधारक द्वारा बजरी को खनन कर ट्रांजिट डिपो में लाना है तथा ट्रांजिट डिपो में अनलोड करके ही बजरी का विक्रय किया जा सकता है। ट्रांजिट डिपो हेतु समुचित अनुमति प्राप्त करनी है, जो सम्पूर्ण लीज क्षेत्र हेतु 3 से अधिक नहीं हो सकती है।
  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(l) The lessees shall not sell and despatch the mined sand directly from the river bed to customer destinations. Instead the lessee shall first transport mined sand to the designated transit depot to be maintained within 5 kms radial distance from the river bank and sell and despatch sand to customer destinations only from the transit depot).*
- नदी क्षेत्र में खनन के उपरान्त बजरी को मोबाईल वे–ब्रिज से तौलना है तथा ट्रांजिट डिपो में पुनः तौलकर अनलोड करना है तथा दोनों के वजन में 5 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए।
  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(l) (iv) The river sand shall be weighed at mining site using mobile weigh bridge before its dispatch to the transit depot and a second weighment shall be taken at the transit depot gate before the same is unloaded. The difference in two weighments shall not exceed 5%).*
- केवल जी.पी.एस. एवं आर.एफ.आई.डी. टैग वाले वाहन ही नदी से ट्रांजिट डिपो में बजरी का परिवहन कर सकते हैं।

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(l) (v) Only GPS (Global Positioning System) fitted vehicles with RFID Tag (Radio Frequency Identification Device) are engaged in transport of sand from the mining site to the transit depot).*

- ट्रांजिट डिपो में 24x7 सी.सी.टी.वी. कवरेज अनिवार्य है, जिसका डाटा 6 महीने का संघारण किया जाना है। यदि सी.सी.टी.वी. कार्यरत नहीं है तो ट्रांजिट डिपो से बजरी की प्राप्ति एवं बजरी का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(l) (vi) The entire area of transit depot including the gate and weigh bridge shall be brought under 24X7 CCTV coverage and CCTV data/recordings shall be maintained for six months. No dispatch or receipt of sand in the transit depot shall be made if the CCTV system for any reason is not functional).*

- वाहन की स्वीकृत क्षमता से अधिक बजरी का परिवहन नहीं किया जा सकता है।

- सभी ई–रवन्ना एवं ट्रांजिट पास भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित एम. आई.सी.आर. पेपर पर ही छपे होने चाहिए जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं सील से जारी करना होगा।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(l) (viii) All transit passes (e-ravannas) are printed on Indian Bank Association approved Magnetic Ink Character Recognition code (MICR) paper. These papers shall be supplied by the State government with the seal and signature of the issuing authority).*

- जो ट्रैक्टर वाणिज्यिक रूप में पंजीकृत नहीं है, उनसे खनिज क्षेत्र से ट्रांजिट डिपो हेतु बजरी परिवहन नहीं किया जा सकता है।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(l) (ix) No tractor, not being registered as commercial vehicles, shall be engaged for transport of sand from the mining site to the transit depot).*

उक्त नियमों एवं पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति तथा विभिन्न वैधानिक नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि बजरी खनन नदी में ग्राउण्ड लेवल से 01 मीटर अथवा वाटर लेवल, जो भी कम हो उसी पर किया जा सकता है, जिसे ग्राउण्ड लेवल से 03 मीटर की अनुमति से पूर्व

वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। वर्तमान में खननकर्ता द्वारा वाटर लेवल से नीचे भी खनन कार्य किया गया है तथा कई स्थानों पर किये गये गड्ढ़ों की नाप से यह स्पष्ट होगा कि ग्राउण्ड लेवल से 01/03 मीटर तथा वाटर लेवल के नियमों की पालना नहीं की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान जारी पर्यावरण स्वीकृति निरस्त करने योग्य है।

वैधानिक प्रावधानों एवं पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों में प्रतिवर्ष रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी कराये जाने का अनिवार्य प्रावधान होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित नहीं की गयी है, जो उचित नहीं है। यहाँ तक कि वैधानिक प्रावधानों में पर्यावरण स्वीकृति में बजरी परिवहन हेतु रूट निर्धारित करने का अनिवार्य प्रावधान होने के उपरान्त भी पर्यावरण स्वीकृति में इसका न तो उल्लेख किया गया है एवं न ही ऐसा कोई रूट पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार पर्यावरण विभाग द्वारा बिना उक्त शर्तों की पालना सुनिश्चित किये मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स को ई.सी. की मात्रा में तीन लाख मै.टन से 8.2 लाख मै.टन की वृद्धि हेतु ई.सी. प्रस्तावित की गयी है, जो पूर्णतया अवैध एवं अस्वीकार्य है। विभाग द्वारा न तो यह सुनिश्चित किया गया है कि बजरी के वर्ष 2023 एवं 2024 में किये गये रिप्लेनिशमेन्ट अध्ययन के उपरान्त प्रत्येक लिनियर ब्लॉक के मध्य स्थित 1/3 भाग में 8.2 लाख मै.टन का रिप्लेनिशमेन्ट हुआ है अथवा नहीं। यह स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष हेतु अनुमत भाग में इस मात्रा का रिप्लेनिशमेन्ट नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में बिना रिप्लेनिशमेन्ट का अधिकृत संस्थान से अध्ययन कराये बिना किसी प्रकार की कोई पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है।

यह अत्यधिक खेदजनक है कि पर्यावरण विभाग द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की पालना नहीं किये जाने को पूर्णतया अनदेखा किया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में खननकर्ता को 6,750 पेड़ लगाने थे, लेकिन पूरे क्षेत्र में देखा जा सकता है कि उक्त खननकर्ता द्वारा कोई पौधारोपण नहीं किया गया है, विभाग द्वारा इसकी पालना करवाने के बाद ही यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त एयर क्वॉलिटी तथा वाटर क्वॉलिटी मॉनीटरिंग की शर्तों की पालना भी नहीं की गयी है।

खननकर्ता को जारी पर्यावरण स्वीकृति में बाई–पास रोड़ बनाने एवं गाँव के रोड़ से ट्रकों का परिवहन नहीं करने के प्रावधान होने के बाद भी खननकर्ता द्वारा बाई–पास रोड़ नहीं बनाये गये हैं तथा गाँवों के रोड़ से बजरी के ट्रकों के निकलने के कारण सारे रोड़ खराब

हो गये हैं, जबकि रोड़ की चौड़ाई एवं क्षमता बढ़ाने का दायित्व खननकर्ता का है, लेकिन खननकर्ता द्वारा बिना रोड़ बनाये बजरी के ट्रक भरे जा रहे हैं, जो पूर्णतया अवैध है।

ऐसी स्थिति में उक्त पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है तथा स्थानीय निवासियों एवं पर्यावरण के विपरीत काम करने वाले खननकर्ता को जारी ई.सी. तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाये एवं पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति को अविलम्ब निरस्त किया जाये, ताकि क्षेत्र के पर्यावरण की समुचित रक्षा हो सके।

दिनांकः 24.05.2025

स्थानः टोडारायसिंह (टोंक)

भवदीय

(जय सिंह नरूका)
निवासी ग्राम खरेड़ा, तहसील टोडारायसिंह,
जिला टोंक

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमांकः– / न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 19092 दिनांक 26 / 05 / 2025

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बूंदी

JEE(P)/PM
02/06/25

विषयः– मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा वांछित पर्यावरण स्वीकृति वास्ते बजरी खनन के संबंध में श्री जयसिंह नरूका निवासी खरेड़ा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री जयसिंह नरूका निवासी खरेड़ा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक ने मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा वांछित पर्यावरण स्वीकृति वास्ते बजरी खनन के संबन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की है।

अतः श्री जयसिंह नरूका निवासी खरेड़ा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न किता – 7

(विनोद कुमार मीणा)
प्रभारी अधिकारी
न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट,
टोंक

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्राप्ति क्रमांक 186
दिनांक 2/6/25
बूंदी (राज.)

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,
टोंक (राजस्थान)

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,
क्षेत्रीय कार्यालय बूंदी (राजस्थान)

विषयः मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा वांछित पर्यावरण स्वीकृति वास्ते बजरी खनन तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में बजरी खनन हेतु पर्यावरण स्वीकृति में बजरी खनन की मात्रा 3 लाख मै.टन से 8.2 लाख मै.टन हेतु किये गये आवेदन के सम्बन्ध में दिनांक 26.05.2025 को जनसुनवाई क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी द्वारा नियत की गयी है।

इस पर्यावरण स्वीकृति का हम स्थानीय निवासी घोर विरोध करते हैं। यदि नदी से प्रतिवर्ष इतनी बजरी निकाली जायेगी, तो न केवल पर्यावरण की दृष्टि से नदी को हानि होगी, अपितु स्थानीय जल स्तर में भी कमी होगी।

यह सुस्पष्ट है कि सम्बन्धित खननकर्ता द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों की कोई पालना नहीं की गयी है तथा उसकी जाँच किये बिना मात्रा में वृद्धि के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा विचार किया जाना घोर निन्दनीय है। मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स को जारी ई. सी. एवं सी.टी.ओ. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु शर्त रखी गयी है, जिसमें लीज में उल्लेखित यह शर्त भी है कि लीजधारक द्वारा सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के निर्देशों की पालना की जायेगी, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.11. 2021 से अनुमोदित किया गया है।

सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के अन्तर्गत यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि लीज क्षेत्र को समान 05 लिनियर ब्लॉक में विभाजित करना है तथा यह ब्लॉक इस हिसाब से बनाना है कि सभी ब्लॉक में लगभग समान-समान रूप से बजरी की मात्रा उपलब्ध हों। इसके साथ ही हर वर्ष केवल एक ब्लॉक में ही खनन का कार्य किया जाना है, जिसमें नदी के दोनों ओर के 1/3 भाग न्यूनतम दूरी को छोड़ते हुए ही खनन किया जा सकता है। इस प्रकार कुल लीज क्षेत्र के 20 प्रतिशत भाग के न्यूनतम दूरी को छोड़ने के उपरान्त अवशेष 1/3 भाग अर्थात लगभग 6.6 प्रतिशत लीज भाग में ही प्रतिवर्ष बजरी का संकलन किये जाने की अनुमति है। विभाग द्वारा बिना इसका अध्ययन कराये कि प्रतिवर्ष अनुमत किये गये 6.6 प्रतिशत भाग में 8.2 लाख मै.टन बजरी उपलब्ध भी है या नहीं, किस प्रकार इस प्रस्ताव को जनसुनवाई के लिए लाया गया है। न तो विभाग द्वारा एवं न ही सम्बन्धित खननकर्ता द्वारा इस अध्ययन का कोई दस्तावेज पर्यावरण के पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा पर्यावरण के पोर्टल पर यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार 05 लिनियर ब्लॉक बनाये गये हैं तथा किस ब्लॉक में किस वर्ष बजरी संकलन की जायेगी एवं उस ब्लॉक के नदी के मध्य हेतु अनुमति प्राप्त 1/3 भाग में 8.2 लाख मै.टन बजरी भी उपलब्ध है या नहीं।

इस प्रकार विभाग द्वारा यह प्रस्ताव केवल निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हुए जनसुनवाई हेतु रखा गया है, जबकि विभाग को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी के निर्देशों की जानकारी होना एवं उन प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के बाद ही किसी प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाना चाहिए था।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 10587/2019 बजरी लीज एल.ओ.आई. होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.11.2021 द्वारा अनुमोदित अनुशंसाओं के अनुसार निम्न प्रावधानों की पालना अनिवार्य है:

जपे

- समस्त लीज क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित करके सीमांकन किया जाना है तथा प्रतिवर्ष केवल एक भाग में ही खनन कार्य किया जा सकता है तथा 05 वर्ष की लीज अवधि में उस भाग में पुनः खनन नहीं किया जा सकता है।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(a) The entire lease area along the river is divided into five linear annual blocks having nearly equal quantity of sand resource for annual extraction during the 5 year period of lease. The boundaries of the river to be leased for sand mining are to be demarcated after following the procedure laid down by the EAC in its meeting held on 8th Jan, 2018. An extract of the minutes 87 dated 8.1.2018 is enclosed as Annexure R 21 to this Report.*

  सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(f) No sand will be collected from any of the annual blocks from where sand has already been mined during any of the 5 year period of the lease).*

- खनन में नदी के दोनों क्षेत्र के 1/3 भाग को छोड़कर अवशेष 1/3 भाग में ही बजरी खनन किया जा सकता है, जो 7.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(b) During the course of mining 1/3 width of the river in central part will be dugout all along the length of the annual block without any gap to maintain continuity of channel and the depth of mining will be maintained at uniform 1 M until the replenishment study is undertaken. The remaining 1/3 width of the river on either side of the river shall not be less than 7.5 M each and which is the minimum width of safety zone prescribed in the Mining Rules).*

- नदी के जल स्तर से नीचे खनन की अनुमति नहीं है।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(d) No mining will be permitted below the river water level).*

- बजरी केवल सूखे बजरी के ढेर अथवा जल स्तर के ऊपर ही निकाली जा सकती है।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(e) Sand is permitted to be collected only from dry sand bars/ beds exposed above water level).*

Jm

- प्रत्येक मानसून के सीजन में वार्षिक रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी करनी है। रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी के आधार पर ही वार्षिक बजरी खनन की सीमा का निर्धारण किया जाना है। रिप्लेनिशमेन्ट की मात्रा से अधिक बजरी के खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(g) The lease condition shall include mandating the lessee to undertake annual replenishment studies over the entire period of the lease during the monsoon season in respect of each of the annual blocks already mined by the lessee and make available the same to the state authorities).*

- लीज धारक द्वारा नदी क्षेत्र से बजरी का विक्रय नहीं किया जा सकता है। लीजधारक द्वारा बजरी को खनन कर ट्रांजिट डिपो में लाना है तथा ट्रांजिट डिपो में अनलोड करके ही बजरी का विक्रय किया जा सकता है। ट्रांजिट डिपो हेतु समुचित अनुमति प्राप्त करनी है, जो सम्पूर्ण लीज क्षेत्र हेतु 3 से अधिक नहीं हो सकती है।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(l) The lessees shall not sell and despatch the mined sand directly from the river bed to customer destinations. Instead the lessee shall first transport mined sand to the designated transit depot to be maintained within 5 kms radial distance from the river bank and sell and despatch sand to customer destinations only from the transit depot).*

- नदी क्षेत्र में खनन के उपरान्त बजरी को मोबाईल वे–ब्रिज से तौलना है तथा ट्रांजिट डिपो में पुनः तौलकर अनलोड करना है तथा दोनों के वजन में 5 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(l) (iv) The river sand shall be weighed at mining site using mobile weigh bridge before its dispatch to the transit depot and a second weighment shall be taken at the transit depot gate before the same is unloaded. The difference in two weighments shall not exceed 5%).*

- केवल जी.पी.एस. एवं आर.एफ.आई.डी. टैग वाले वाहन ही नदी से ट्रांजिट डिपो में बजरी का परिवहन कर सकते हैं।

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(l) (v) Only GPS (Global Positioning System) fitted vehicles with RFID Tag (Radio Frequency Identification Device) are engaged in transport of sand from the mining site to the transit depot).*

- ट्रांजिट डिपो में 24x7 सी.सी.टी.वी. कवरेज अनिवार्य है, जिसका डाटा 6 महीने का संधारण किया जाना है। यदि सी.सी.टी.वी. कार्यरत नहीं है तो ट्रांजिट डिपो से बजरी की प्राप्ति एवं बजरी का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(l) (vi) The entire area of transit depot including the gate and weigh bridge shall be brought under 24X7 CCTV coverage and CCTV data/recordings shall be maintained for six months. No dispatch or receipt of sand in the transit depot shall be made if the CCTV system for any reason is not functional).*

- वाहन की स्वीकृत क्षमता से अधिक बजरी का परिवहन नहीं किया जा सकता है।

- सभी ई-रवन्ना एवं ट्रांजिट पास भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित एम.आई.सी.आर. पेपर पर ही छपे होने चाहिए जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं सील से जारी करना होगा।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(l) (viii) All transit passes (e-ravannas) are printed on Indian Bank Association approved Magnetic Ink Character Recognition code (MICR) paper. These papers shall be supplied by the State government with the seal and signature of the issuing authority).*

- जो ट्रैक्टर वाणिज्यिक रूप में पंजीकृत नहीं है, उनसे खनिज क्षेत्र से ट्रांजिट डिपो हेतु बजरी परिवहन नहीं किया जा सकता है।

  (सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा *(l) (ix) No tractor, not being registered as commercial vehicles, shall be engaged for transport of sand from the mining site to the transit depot).*

उक्त नियमों एवं पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति तथा विभिन्न वैधानिक नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि बजरी खनन नदी में ग्राउण्ड लेवल से 01 मीटर अथवा वाटर लेवल, जो भी कम हो उसी पर किया जा सकता है, जिसे ग्राउण्ड लेवल से 03 मीटर की अनुमति से पूर्व

वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। वर्तमान में खननकर्ता द्वारा वाटर लेवल से नीचे भी खनन कार्य किया गया है तथा कई स्थानों पर किये गये गड्ढों की नाप से यह स्पष्ट होगा कि ग्राउण्ड लेवल से 01/03 मीटर तथा वाटर लेवल के नियमों की पालना नहीं की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान जारी पर्यावरण स्वीकृति निरस्त करने योग्य है।

वैधानिक प्रावधानों एवं पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों में प्रतिवर्ष रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी कराये जाने का अनिवार्य प्रावधान होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित नहीं की गयी है, जो उचित नहीं है। यहाँ तक कि वैधानिक प्रावधानों में पर्यावरण स्वीकृति में बजरी परिवहन हेतु रूट निर्धारित करने का अनिवार्य प्रावधान होने के उपरान्त भी पर्यावरण स्वीकृति में इसका न तो उल्लेख किया गया है एवं न ही ऐसा कोई रूट पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार पर्यावरण विभाग द्वारा बिना उक्त शर्तों की पालना सुनिश्चित किये मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स को ई.सी. की मात्रा में तीन लाख मै.टन से 8.2 लाख मै.टन की वृद्धि हेतु ई.सी. प्रस्तावित की गयी है, जो पूर्णतया अवैध एवं अस्वीकार्य है। विभाग द्वारा न तो यह सुनिश्चित किया गया है कि बजरी के वर्ष 2023 एवं 2024 में किये गये रिप्लेनिशमेन्ट अध्ययन के उपरान्त प्रत्येक लिनियर ब्लॉक के मध्य स्थित 1/3 भाग में 8.2 लाख मै.टन का रिप्लेनिशमेन्ट हुआ है अथवा नहीं। यह स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष हेतु अनुमत भाग में इस मात्रा का रिप्लेनिशमेन्ट नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में बिना रिप्लेनिशमेन्ट का अधिकृत संस्थान से अध्ययन कराये बिना किसी प्रकार की कोई पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है।

यह अत्यधिक खेदजनक है कि पर्यावरण विभाग द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की पालना नहीं किये जाने को पूर्णतया अनदेखा किया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में खननकर्ता को 6,750 पेड़ लगाने थे, लेकिन पूरे क्षेत्र में देखा जा सकता है कि उक्त खननकर्ता द्वारा कोई पौधारोपण नहीं किया गया है, विभाग द्वारा इसकी पालना करवाने के बाद ही यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त एयर क्वॉलिटी तथा वाटर क्वॉलिटी मॉनीटरिंग की शर्तों की पालना भी नहीं की गयी है।

खननकर्ता को जारी पर्यावरण स्वीकृति में बाई-पास रोड़ बनाने एवं गाँव के रोड़ से ट्रकों का परिवहन नहीं करने के प्रावधान होने के बाद भी खननकर्ता द्वारा बाई-पास रोड़ नहीं बनाये गये हैं तथा गाँवों के रोड़ से बजरी के ट्रकों के निकलने के कारण सारे रोड़ खराब

हो गये हैं, जबकि रोड़ की चौड़ाई एवं क्षमता बढ़ाने का दायित्व खननकर्ता का है, लेकिन खननकर्ता द्वारा बिना रोड़ बनाये बजरी के ट्रक भरे जा रहे हैं, जो पूर्णतया अवैध है।

ऐसी स्थिति में उक्त पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है तथा स्थानीय निवासियों एवं पर्यावरण के विपरीत काम करने वाले खननकर्ता को जारी ई.सी. तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाये एवं पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति को अविलम्ब निरस्त किया जाये, ताकि क्षेत्र के पर्यावरण की समुचित रक्षा हो सके।

दिनांकः 24.05.2025

स्थानः टोडारायसिंह (टोंक)

भवदीय

(जय सिंह नरूका)
निवासी ग्राम खरेड़ा, तहसील टोडारायसिंह,
जिला टोंक

Received in public hearing.
JEE (CP)
26/5/25

सेवामें,

श्रीमान श्री क्षेत्रीय अधिकारी
रा० प्र० नि० मं० बून्दी राजस्थान

विषय :– मैसर्स चांडक एसोसिएटस एम.एल. को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोन सुनवाई में प्रार्थी की और से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंग – विज्ञापन संख्या RPCB/RO Bundi/PUB-134/261 दिनांक 07.05.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य् सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट एम.एल. को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षैत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में स्वीकृति दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढाये जाने हेतु लो आपत्तियां मांगी गयी है। जिस पर प्रार्थी की और से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :–

1. यह कि उक्त एसोसियट ने पूर्व में माईनिंग की शर्तो की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुए पर्यावरण अधिकारों का हनन किया।
2. यह कि उक्त एसोसियट ने माईनिंग स्वीकृति के नियमों की पालना नही करते हुए कोई वृक्षारोपण नही किया है और ना ही किसी तरह से पेड–पौधे लगाये गये है जो कि पर्यावरण की दृष्टि की गयी नियमों में वृक्षारोपण नही करने से स्पष्ट है कि एसोसियट ने सी.ई.सी. के नियमों के नियमों का पालन नही किया गया है नदी के किनारे वृक्षा रोपण करना आवश्यक है इसलिए आपत्ति जाहीर करता हूँ व मापदण्डो की खुली अवहलेना है। इस कारण से

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
प्राप्ति
क्रमांक 129
दिनांक 26/5/25
बून्दी (राज.)

लगातार.............2

माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्याय संगत है।

3. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डो पेरामीटर के अनुसार कम्पनी एसोसियट नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पेरामीटर के विपरीत जाकर 100 मीटर तक नदी में गहरी खाईंया तब्दील कर रहा है, जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। इस आधार पर स्वीकृति नही दी जाए। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।

4. यह कि उक्त ऐसोसिएट द्वारा टोंक व टोडा क्षेत्र में स्थिति कृषि भूमि में से फसलों को खराब करते हुए अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडा क्षेत्रों में विवाद उत्पन्न होता है क्योंकि किसानों द्वारा लगायी जाने फसलों का नुकसान होता है तथा पर्यावरणीय दुष्टि से हरे पेडों व पोधों को नुकसान पहुचाया जाता है तथा आम राहगीरों के वास्ते बनायी गयी सडको का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से भी उक्त एसोसियट को स्वीकृति रद्द किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।

5. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लायी जाती है तथा अवेध रूप से किये जाने वालों प्राईवेट कृषि आराजीयात पर भण्डारण को जब्त नही किया जाता बल्कि विभाग व उक्त एसोसियट की मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड

लगातार...............3

किया जा रहा है। इस कारण से भी यह आपत्ति पेश की जा रही है।

6. खनन पानी में कर रहा है खनन 45 पेरामीटर छोड कर नियमों में किसानों के कुओं को छोड कर करना होता है, नही कर रहा है सी. ई.सी का उल्घन्न है।

7. खनन के उपरांत जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नही रूके जमीन समतल नही कर रहा है जिससे की पानी का बहाव रूक रहा है जिससे सी.ई.सी का उल्घन्न है।

8. खनन कार्यो के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नही लगा रहा है सीमा से अधिक खनन कर रहा है ....2025.... वर्ष में ....3.01 मिलियन टी.पी.ए....स्वीकृति है मैसर्स चांडक एसोसियट द्वारा बजरी खनन की स्वीकृति से अधिक बजरी खनन..... ....8.2 मिलियन टी.पी.ए.... के लिए स्वीकृति मांग रहा है जो नियम विरूद्ध है व सी.ई.सी के किसी भी नियम का पालन नही कर रहा है पर्यावरण स्वीकृति नही दी जाए आपत्ति जाहिर करता हूॅ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मैसर्स चांडक एसोसियट को बजरी खनन हेतु एन.जी.टी. की स्वीकृति नही दी जाए।

दिनांक :– ....26/5/2025....

प्रार्थी [signature]

....मनोज कुमार चांगाल....

....नि. [illegible] तह. [illegible] जिला टोंक राज.....

....मो.नं. 9929972733....

Received in public Hearing
JEE (P)
26/5/25

सेवामें,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी
रा० प्र० नि० मं. बून्दी (राज०)

विषय :— मैसर्स चांडक एसोसिएटस एम.एल. को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोन सुनवाई में प्रार्थी की और से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंग — विज्ञापन संख्या RPCB/RO Bundi/PUB-134/261 दिनांक 07.05.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट एम.एल. को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षैत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में स्वीकृति दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढाये जाने हेतु लो आपत्तियां मांगी गयी है। जिस पर प्रार्थी की और से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :—

1. यह कि उक्त एसोसियट ने पूर्व में माईनिंग की शर्तो की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुए पर्यावरण अधिकारों का हनन किया।
2. यह कि उक्त एसोसियट ने माईनिंग स्वीकृति के नियमों की पालना नही करते हुए कोई वृक्षारोपण नही किया है और ना ही किसी तरह से पेड–पौधे लगाये गये है जो कि पर्यावरण की दृष्टि की गयी नियमों में वृक्षारोपण नही करने से स्पष्ट है कि एसोसियट ने सी.ई.सी. के नियमों के नियमों का पालन नही किया गया है नदी के किनारे वृक्षा रोपण करना आवश्यक है इसलिए आपत्ति जाहीर करता हूँ व मापदण्डो की खुली अवहलेना है। इस कारण से

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, प्राप्ति क्रमांक 130, दिनांक 26/5/25, बून्दी (राज.)

लगातार.............2

माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्याय संगत है।

3. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डो पेरामीटर के अनुसार कम्पनी एसोसियट नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पेरामीटर के विपरीत जाकर 100 मीटर तक नदी में गहरी खाईंया तब्दील कर रहा है, जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। इस आधार पर स्वीकृति नही दी जाए। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।

4. यह कि उक्त ऐसोसिएट द्वारा टोंक व टोडा क्षेत्र में स्थिति कृषि भूमि में से फसलों को खराब करते हुए अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडा क्षेत्रों में विवाद उत्पन्न होता है क्योंकि किसानों द्वारा लगायी जाने फसलों का नुकसान होता है तथा पर्यावरणीय दुष्टि से हरे पेडों व पोधों को नुकसान पहुचाया जाता है तथा आम राहगीरों के वास्ते बनायी गयी सडको का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से भी उक्त एसोसियट को स्वीकृति रद्द किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।

5. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लायी जाती है तथा अवेध रूप से किये जाने वालों प्राईवेट कृषि आराजीयात पर भण्डारण को जब्त नही किया जाता बल्कि विभाग व उक्त एसोसियट की मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड

लगातार...............3

किया जा रहा है। इस कारण से भी यह आपत्ति पेश की जा रही है।

6. खनन पानी में कर रहा है खनन 45 पेरामीटर छोड कर नियमों में किसानों के कुओं को छोड कर करना होता है, नही कर रहा है सी.ई.सी का उल्घन्न है।

7. खनन के उपरांत जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नही रूके जमीन समतल नही कर रहा है जिससे की पानी का बहाव रूक रहा है जिससे सी.ई.सी का उल्घन्न है।

8. खनन कार्यो के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नही लगा रहा है सीमा से अधिक खनन कर रहा है 2025 वर्ष में 3.0 मीलियन टी.पी. स्वीकृति है मैसर्स चांडक एसोसियट द्वारा बजरी खनन की स्वीकृति से अधिक बजरी खनन..... 8.2 मीलियन टी.पी. के लिए स्वीकृति मांग रहा है जो नियम विरूद्ध है व सी.ई.सी के किसी भी नियम का पालन नही कर रहा है पर्यावरण स्वीकृति नही दी जाए आपत्ति जाहिर करता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मैसर्स चांडक एसोसियट को बजरी खनन हेतु एन.जी.टी. की स्वीकृति नही दी जाए।

दिनांक :- 26/05/2025

प्रार्थी

9982836150

रामस्वरूप [illegible] S/o रामकरण
ग्राम इस्लामपुरा पो० दबाव
[illegible]

Received in public Hearing.

JEE (P)
26/5/25

सेवामे,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी

रा० प्र० नि० म० बून्दी

विषय :— मैसर्स चांडक एसोसिएटस एम.एल. को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोन सुनवाई में प्रार्थी की और से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंग — विज्ञापन संख्या RPCB/RO Bundi/PUB-134/261 दिनांक 07.05.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट एम.एल. को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षैत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में स्वीकृति दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढाये जाने हेतु लो आपत्तियां मांगी गयी है। जिस पर प्रार्थी की और से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :—

1. यह कि उक्त एसोसियट ने पूर्व में माईनिंग की शर्तो की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुए पर्यावरण अधिकारों का हनन किया।
2. यह कि उक्त एसोसियट ने माईनिंग स्वीकृति के नियमों की पालना नही करते हुए कोई वृक्षारोपण नही किया है और ना ही किसी तरह से पेड–पौधे लगाये गये है जो कि पर्यावरण की दृष्टि की गयी नियमों में वृक्षारोपण नही करने से स्पष्ट है कि एसोसियट ने सी.ई.सी. के नियमों के नियमों का पालन नही किया गया है नदी के किनारे वृक्षा रोपण करना आवश्यक है इसलिए आपत्ति जाहीर करता हूँ व मापदण्डो की खुली अवहलेना है। इस कारण से

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
प्राप्ति
क्रमांक 131
दिनांक 26/5/25
बून्दी (राज.)

लगातार.............2

माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्याय संगत है।

3. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डो पेरामीटर के अनुसार कम्पनी एसोसियट नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पेरामीटर के विपरीत जाकर 100 मीटर तक नदी में गहरी खाईया तब्दील कर रहा है, जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। इस आधार पर स्वीकृति नही दी जाए। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।

4. यह कि उक्त ऐसोसिएट द्वारा टोंक व टोडा क्षेत्र में स्थिति कृषि भूमि में से फसलों को खराब करते हुए अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडा क्षेत्रों में विवाद उत्पन्न होता है क्योंकि किसानों द्वारा लगायी जाने फसलों का नुकसान होता है तथा पर्यावरणीय दुष्टि से हरे पेडों व पोधों को नुकसान पहुचाया जाता है तथा आम राहगीरों के वास्ते बनायी गयी सडको का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से भी उक्त एसोसियट को स्वीकृति रद्द किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।

5. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लायी जाती है तथा अवेध रूप से किये जाने वालों प्राईवेट कृषि आराजीयात पर भण्डारण को जब्त नही किया जाता बल्कि विभाग व उक्त एसोसियट की मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड

लगातार...............3

किया जा रहा है। इस कारण से भी यह आपत्ति पेश की जा रही है।

6. खनन पानी में कर रहा है खनन 45 पेरामीटर छोड कर नियमों में किसानों के कुओं को छोड कर करना होता है, नही कर रहा है सी.ई.सी का उल्घन्न है।
7. खनन के उपरांत जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नही रूके जमीन समतल नही कर रहा है जिससे की पानी का बहाव रूक रहा है जिससे सी.ई.सी का उल्घन्न है।
8. खनन कार्यो के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नही लगा रहा है सीमा से अधिक खनन कर रहा है 2025 वर्ष में 3.0 मिलीयन टी.पी.ए. स्वीकृति है मैसर्स चांडक एसोसियट द्वारा बजरी खनन की स्वीकृति से अधिक बजरी खनन 8.2 मीलियन टी.पी.ए. (आर.ओ.एम.) के लिए स्वीकृति मांग रहा है जो नियम विरूद्ध है व सी.ई.सी के किसी भी नियम का पालन नही कर रहा है पर्यावरण स्वीकृति नही दी जाए आपत्ति जाहिर करता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मैसर्स चांडक एसोसियट को बजरी खनन हेतु एन.जी.टी की स्वीकृति नही दी जाए।

दिनांक :– 26/5/2025

प्रार्थी

लियाकत अली
स्वतंत्र पत्रकार
M – 7014653770

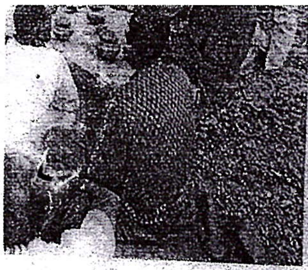

...ारियों को अंतिम रूप दिया।

...पाणिग्रहण संस्कार व रात 9 बजे ...आशीर्वाद समारोह होगा।

...था का आयोजन

...वाले श्रीराम महायज्ञ की तैयारियां तेज हो गई हैं। श्री जोडला बालाजी बालापुरा मेहरू में 14 से 22 मई तक इक्कीस कुंडात्मक श्रीराम महायज्ञ होगा।

बुधवार को मंदिर परिसर में यज्ञ कर्ता संत याज्ञिक सम्राट श्री श्री 1008 श्री मुनेश्वर दास महाराज ...की अध्यक्षता में आयोजन को सफल बनाने के लिए अलग-अलग समितियां बनाई गई। सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई।

इस मौके पर मेहरू, बालापुरा, खेड़ा मलूका नागर, बन का खेड़ा, मछुवारों की ढाणी, जनकपुरा, तितरिया, रामेश्वरपुरा, छीपट की ...के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महायज्ञ में काशी, जनकपुर, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा सहित कई आश्रमों से साधु-संत आएंगे। 18 मई को शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। महायज्ञ के दौरान श्रीराम कथा और शाम को रासलीला का आयोजन किया जाएगा।

महात्मा गांधी स्कूल में प्रवेश शुरू, 15 जून तक होगा

दूनी। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। प्रधानाचार्य कैलाश वर्मा ने बताया कि सत्र 2025-26 के लिए नर्सरी से दसवीं तक प्रवेश 15 जून तक लिए जाएंगे।

16 जून को प्राप्त आवेदनों की सूची विद्यालय बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। 17 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। 18 जून को चयनित विद्यार्थियों की अंतिम सूची बोर्ड पर लगाई जाएगी। 19 जून से प्रवेश शुरू होंगे। 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू की जाएगी।

तीये की बैठक

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूज्यनीय माताजी **श्रीमती चम्पा देवी**
(धर्मपत्नी : स्व.श्री गोकुलचन्द जी जैन)
का स्वर्गवास दिनांक 07 मई 2025 को हो गया है।
जिनकी **तीये की बैठक** 09 मई 2025 शुक्रवार को सुबह 9 से 10 बजे तक जैन मन्दिर मेहन्दवास पर रखी गई है।
नोट : यह बैठक अन्तिम बैठक होगी।

शोकाकुल

...महावीर प्रसाद, बाबूलाल, धर्मचन्द, भैरूलाल (देवर), प्रकाशचन्द, डालचन्द, मीठालाल, विमल, विमलचन्द, ...सुरेश, अशोक, पारस, पवन कुमार, संजय कुमार (पुत्र), अनिल, अक्षय, रिषभ, मयंक (पौत्र), कनिष्क (प्रपौत्र) एवं समस्त गर्ग परिवार, अरनिया नील वाले मेहन्दवास मो. 9950612128, 9929600105

पीहर पक्ष : श्रीमान नेमीचन्द जी, धर्मचन्द जी, विनोद कुमार जी, पिन्टू जी टोरडी वाले मालपुरा

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-134/261 Date : 07/05/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स चांडक एसोसिएट्स, एम.एल.नम्बर - 8/2012, खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेड़िया घारणान, कैयरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेड़ा, रलावता, ठाठा, संतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरड़ा, मोडियाला, छानमयबाससुर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक की रिवरबेड सेण्ड (माईनर मिनरल), खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 Million TPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 03.05.2025 को समय प्रातः 11.00 बजे स्थान - पंचायत समिति सभागार, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/14341 दिनांक 25.03.2025 द्वारा नियत की गई थी जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-134/3223 दिनांक 26/03/2025 द्वारा जारी कर दैनिक अखबार द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 01/04/2025 व दैनिक भास्कर (टोंक भास्कर) में दिनांक 01/04/2025 को प्रकाशित की गयी थी।

2. चूंकि उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोंक के आदेश क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18553 दिनांक 02.05.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणो से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई, जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-134/232 दिनांक 03/05/2025 द्वारा जारी कर वही दैनिक अखबार द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 05/05/2025 व दैनिक भास्कर (टोंक भास्कर) में दिनांक 05/05/2025 को प्रकाशित की गयी।

3. चूंकि, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोंक के संशोधित आदेश क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जन सुनवाई/2025/18617 दिनांक 07/05/2025 द्वारा उक्त परियोजना हेतु जन सुनवाई पुनः नियत की गई है।

4. चूंकि, मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) दिनांक 14/09/2006, संशोधित अधिसूचना संख्या का.आ. 2163 (अ) दिनांक 09/05/2022 एवं समय-समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसरण में पुनः नियत की गयी जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 15 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

i. कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक।
ii. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।
iii. कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक।
iv. पंचायत समिति, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक।
v. उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह, जिला टोंक।
vi. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
vii. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
viii. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
ix. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।
x. कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के संशोधित आदेश क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18617 दिनांक 07.05.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.05.2025 (सोमवार) को स्थान पंचायत समिति सभागार, टोडारायसिंह, तहसील-टोडारायसिंह, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय (शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., बून्दी

भास्कर CLASSIFIED
BhaskarAd.com
Classified Ad ऑनलाइन बुक करें-
Call: 9772019222

क्षमता बढ़ाने के लिए बगैर सूचना जन सुनवाई की तो लोगों ने जताई नाराजगी

अब तो बख्शो... बनास नदी में लीज खनन की क्षमता खत्म, एनजीटी ने लगाई रोक

टोडारायसिंह क्षेत्र में चल रही लीज की बजरी खनन क्षमता खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में तय क्षमता से अधिक खनन नहीं करने पर एनजीटी ने रोक लगाई है। क्षमता से अधिक खनन तब ही किया जाएगा जब नियमानुसार जनसुनवाई में क्षेत्र के लोगों की अनुमति हो।

पत्रिका पड़ताल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

टोंक. बनास नदी में बजरी के लिए जारी लीज खनन की क्षमता खत्म हो गई है। एनजीटी ने खनन पर रोक लगा दी है। ऐसे में टोडारायसिंह उपखण्ड स्थित लीज की खनन क्षमता बढ़ाने के लिए रविवार को आयोजित जन सुनवाई स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विरोध के चलते अधिकारियों को निरस्त करनी पड़ी। अब विभाग उक्त जन सुनवाई के लिए पहले सूचना प्रसारित करेगा। ताकि लोग पर्यावरण को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। इसके बाद जन सुनवाई होगी।

खनिज विभाग के मुताबिक टोडारायसिंह उपखण्ड क्षेत्र में दी गई लीज की खनन क्षमता प्रति साल 33 लाख टन है। अब तक 30 लाख टन खनन किया जा चुका है। अब 3 लाख टन खनन ही बचा है। ऐसे में खनन क्षमता बढ़ाने के लिए पर्यावरण विभाग ने खनिज विभाग के साथ टोडारायसिंह के पंचायत समिति सभागार में आमजन की जन सुनवाई कार्यक्रम तय किया था। ताकि पर्यावरण को लेकर मिलने वाले सुझाव तथा किसी कोई आपत्ति नहीं होने पर खनन की क्षमता बढ़ा दी जाए। लेकिन जन सुनवाई में लोग नहीं पहुंचे। जब इसकी जानकारी कुछेक जनप्रतिनिधियों को मिली तो वे पहुंचे और बिना सूचना जन सुनवाई करने पर नाराजगी जताते हुए इसे निरस्त करने को कहा। ऐसे में जन सुनवाई निरस्त कर दी गई। अब पर्यावरण की अनुमति बिना खनन नहीं होगा।

खनिज विभाग अब फिर से स्थानीय लोगों तथा विभागों के अधिकारियों की लेगा बैठक

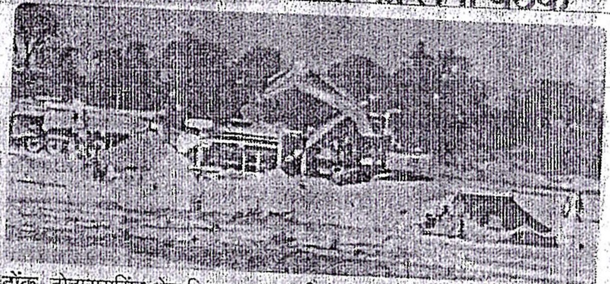

टोंक. टोडारायसिंह क्षेत्र स्थित बनास नदी में किया जा रहा खनन।

टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी लीज में खनन की क्षमता बढ़ाने के लिए जनसुनवाई की जानी थी। इसके लिए पर्यावरण विभाग ने कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया। ऐसे में जन सुनवाई निरस्त हो गई। सूचना प्रसारित करने के बाद फिर से बैठक होगी।

सोहनलाल सुथार, सहायक अभियंता खनिज विभाग टोंक

जन सुनवाई की सूचना किसी को नहीं दी। अधिकारी कुछेक लोगों के साथ आ गए। इससे लोगों में नाराजगी है। लीज शर्तों की पालना भी नहीं हुई।

रामचन्द्र गुर्जर, जनप्रतिनिधि टोडारायसिंह

दो ही जगह है अभी लीज

खनिज विभाग के मुताबिक अभी टोडारायसिंह और उनियारा उपखंड क्षेत्र में ही बजरी की लीज जारी है। जबकि टोंक, पीपलू, देवली और निवाई में लीज समाप्त हो चुकी है। टोंक में अब करीब 40 हजार टन बजरी का भंडारण शेष है। इससे बजरी की आपूर्ति की जा रही है।

पर्यावरण के लिए कागजी खानापूर्ति

स्थानीय जन प्रतिनिधि रामचन्द्र गुर्जर समेत अन्य ने जन सुनवाई में कहा कि बनास नदी में दी गई लीज के साथ एक दर्जन से अधिक शर्त है। इसमें पर्यावरण महत्वपूर्ण है। लेकिन ना तो हरियाली पर काम किया गया और ना ही जन जागरूकता कार्यक्रम हुए। शर्तों की पालना भी कागजों में ही चल रही है। इसके चलते बनास नदी खाइयों में तब्दील हो गई है। खनन के निर्धारित मापदंडों की अवहेलना की गई। स्थानीय लोगों को रोजगार तक नहीं मिला।

सोप में तेज हवाओं से 14 घंटे बिजली गुल, लोग बेहाल

सोप. तेज हवाओं के चलते कस्बे की 33 केवी लाइन में सोमवार को बड़ा फॉल्ट आ गया। इससे सोप सिटी ... को भी रहीमनगर फीडर की 3 फेस लाइन में फॉल्ट आ गया। सुबह 10:15 बजे बिजली गई, जो दोपहर 1 बजे ...

बरसात से लोगों को मिली गर्मी से राहत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पलाई. कस्बे सहित क्षेत्र में मंगलवार को अचानक मौसम ने ...

शहर मौसम

तापमान

32°	24°
अधिकतम	न्यूनतम

ह्यूमिडिटी : 66% (अधिकतम)
हवा की गति : 26.0 किमी/घंटा

फोरकास्ट
मौसम साफ रहने की संभावना (स्रोत- मौसम केंद्र टोंक)

पॉल्यूशन स्तर (AQI)
टोंक 82 30%

अच्छा	ठीक	मध्यम
0-50	51-100	101-200
खराब	गंभीर	खतरनाक
201-300	301-400	401-500

रीडर्स कनेक्ट

हमें भेजें

खबरें | समस्याएं | सुझाव
फोटो | वीडियो | पॉडकास्ट

ई-मेल: tonk.edit@in.patrika.com
वॉट्सएप: 9660439374

पढ़ें ज्यादा खबरें, देखें फोटो/वीडियो
patrika.com/tonk-news

क्यूआर कोड को मोबाइल से करें स्कैन

हमसे जुड़ें
facebook.com/patrika.tonk

आगामी हलचल

टोंक पत्रिका

निवाई . देवली . मालपुरा . उनियारा . टोडारायसिंह . पीपलू

पढ़ें @ पेज 17

जिला कलक्टर ने ली बैठक: अधिकारियों को दिए निर्देश

'बजरी व पत्थर के अवैध खनन पर बरती जाए विशेष चौकसी, सख्ती से हो कार्रवाई'

पत्रिका ऑन द स्पॉट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

टोंक. अधिकारियों की बैठक लेती जिला कलक्टर।

टोंक. जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा ने अवैध खनन, भंडारण व परिवहन की रोकथाम के लिए शुक्रवार को कलक्ट्रेट कक्ष में राजस्व, पुलिस, खनिज, वन एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने खनिज विभाग के सहायक अभियंता सोहनलाल सुथार को निर्देश दिए कि वे राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग के सहयोग से अधिकाधिक अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। उपखंड अधिकारी उनियारा को दूरभाष पर बनेठा क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं पत्थरों के परिवहन को रोकने के लिए बनाए गए नाकों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला वन अधिकारी मरिय शाइन ए को वन क्षेत्र में गश्त बढ़ाने पर जोर दिया।

जिला कलक्टर ने सहायक खनिज अभियंता को धारा 177 के तहत दर्ज प्रकरणों की समस्त डिटेल आगामी सात दिवस में देने के लिए निर्देशित किया। साथ ही कहा कि माइनिंग एरिया में लीज धारकों की ओर से कराया जाने वाले 30 प्रतिशत पौधरोपण कार्य की सुनिश्चितता की जाए। इसका प्लान बनाकर प्रस्तुत करें।

मशीनों को किया जाए सीज

जिला कलक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी संपत राम वर्मा को निर्देश दिए कि ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के उपयोग में ली जा रही मशीनों को सीज किया जाए। बैठक में एडीएम रामरतन सौंकरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी, उपखंड अधिकारी हुक्मीचंद रोहलानिया मौजूद रहे।

प्रशासन को मिल रही है शिकायतें

बजरी व पत्थर खनन की शिकायत जिला प्रशासन को मिल रही है। इसके चलते जिला कलक्टर ने बजरी व पत्थर के अवैध खनन पर विशेष चौकसी बरतने तथा सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ताकि खनन माफिया पर अंकुश लग सके।

खाड़यों में बदली नदी, नियमों की पालना में अनदेखी

सरकार ने बजरी लीज के लिए एक दर्जन से अधिक शर्त लगा रखी है। लेकिन खनिज विभाग ने बनास नदी में इन शर्तों की अनदेखी बरती है। नियमानुसार पौध रोपण व बजरी से निकलने वाले छोटे कंकरों से जहां खनन किया गया उसे समतल किया जाना था। लेकिन ना तो पौध रोपण नजर आ रहा और ना ही खाइयों को भरा गया। बल्कि बनास नदी में नियम विरुद्ध बेतहाशा खनन करने से इसका स्वरूप ही बिगड़ गया है।

Received In Public Hearing
JEE(P)
26/5/25

सेवामे,

श्रीमान क्षैत्रिय अधिकारी जी
रा० प्र० नि० म०, बून्दी (राज०)

विषय :– मैसर्स चांडक एसोसिएटस एम.एल. को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोन सुंनवाई में प्रार्थी की और से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंग – विज्ञापन संख्या RPCB/RO Bundi/PUB-134/261 दिनांक 07.05.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट एम.एल. को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षैत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में स्वीकृति दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढाये जाने हेतु लो आपत्तियां मांगी गयी है। जिस पर प्रार्थी की और से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :–

1. यह कि उक्त एसोसियट ने पूर्व में माईनिंग की शर्तो की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुए पर्यावरण अधिकारों का हनन किया।
2. यह कि उक्त एसोसियट ने माईनिंग स्वीकृति के नियमों की पालना नही करते हुए कोई वृक्षारोपण नही किया है और ना ही किसी तरह से पेड–पौधे लगाये गये है जो कि पर्यावरण की दृष्टि की गयी नियमों में वृक्षारोपण नही करने से स्पष्ट है कि एसोसियट ने सी.ई.सी. के नियमों के नियमों का पालन नही किया गया है नदी के किनारे वृक्षा रोपण करना आवश्यक है इसलिए आपत्ति जाहीर करता हूॅ व मापदण्डो की खुली अवहलेना है। इस कारण से

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, बून्दी (राज.)
प्राप्ति क्रमांक 132
दिनांक 26/5/25

लगातार.............2

माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्याय संगत है।

3. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डो पेरामीटर के अनुसार कम्पनी एसोसियट नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पेरामीटर के विपरीत जाकर 100 मीटर तक नदी में गहरी खाईया तब्दील कर रहा है, जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। इस आधार पर स्वीकृति नही दी जाए। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।

4. यह कि उक्त ऐसोसिएट द्वारा टोंक व टोडा क्षेत्र में स्थिति कृषि भूमि में से फसलों को खराब करते हुए अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडा क्षेत्रों में विवाद उत्पन्न होता है क्योंकि किसानों द्वारा लगायी जाने फसलों का नुकसान होता है तथा पर्यावरणीय दुष्टि से हरे पेडों व पोधों को नुकसान पहुचाया जाता है तथा आम राहगीरों के वास्ते बनायी गयी सडको का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से भी उक्त एसोसियट को स्वीकृति रद्द किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।

5. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लायी जाती है तथा अवेध रूप से किये जाने वालों प्राईवेट कृषि आराजीयात पर भण्डारण को जब्त नही किया जाता बल्कि विभाग व उक्त एसोसियट की मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड

लगातार...............3

किया जा रहा है। इस कारण से भी यह आपत्ति पेश की जा रही है।

6. खनन पानी में कर रहा है खनन 45 पेरामीटर छोड कर नियमों में किसानों के कुओं को छोड कर करना होता है, नही कर रहा है सी.ई.सी का उल्घन्न है।

7. खनन के उपरांत जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नही रूके जमीन समतल नही कर रहा है जिससे की पानी का बहाव रूक रहा है जिससे सी.ई.सी का उल्घन्न है।

8. खनन कार्यो के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नही लगा रहा है सीमा से अधिक खनन कर रहा है 2025 वर्ष में 3.0 मिलियन टी.पी.ए. स्वीकृति है मैसर्स चांडक एसोसियट द्वारा बजरी खनन की स्वीकृति से अधिक बजरी खनन..... 8.2 मिलियन टीपीए (आरओएम) के लिए स्वीकृति मांग रहा है जो नियम विरूद्ध है व सी.ई.सी के किसी भी नियम का पालन नही कर रहा है पर्यावरण स्वीकृति नही दी जाए आपत्ति जाहिर करता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मैसर्स चांडक एसोसियट को बजरी खनन हेतु एन.जी.टी. की स्वीकृति नही दी जाए।

दिनांक : 26/5/25

प्रार्थी

समीर-उर-रहमान
सोन्यादा की गली- काकमा
बाजार (टोंक)
7737363738

टोंक पत्रिका

निवाई . देवली . मालपुरा . उनियारा . टोडारायसिंह . पीपलू

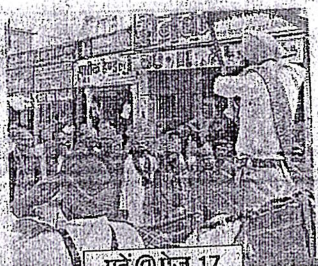

पढ़ें@पेज 17

जिला कलक्टर ने ली बैठक: अधिकारियों को दिए निर्देश

'बजरी व पत्थर के अवैध खनन पर बरती जाए विशेष चौकसी, सख्ती से हो कार्रवाई'

पत्रिका ऑन द स्पॉट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

टोंक. अधिकारियों की बैठक लेती जिला कलक्टर।

टोंक. जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा ने अवैध खनन, भंडारण व परिवहन की रोकथाम के लिए शुक्रवार को कलक्ट्रेट कक्ष में राजस्व, पुलिस, खनिज, वन एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने खनिज विभाग के सहायक अभियंता सोहनलाल सुथार को निर्देश दिए कि वे राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग के सहयोग से अधिकाधिक अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। उपखंड अधिकारी उनियारा को दूरभाष पर बनेठा क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं पत्थरों के परिवहन को रोकने के लिए बनाए गए नाकों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला वन अधिकारी मरिय शाइन ए को वन क्षेत्र में गश्त बढ़ाने पर जोर दिया।

जिला कलक्टर ने सहायक खनिज अभियंता को धारा 177 के तहत दर्ज प्रकरणों की समस्त डिटेल आगामी सात दिवस में देने के लिए निर्देशित किया। साथ ही कहा कि माइनिंग एरिया में लीज धारकों की ओर से कराया जाने वाले 30 प्रतिशत पौधरोपण कार्य की सुनिश्चितता की जाए। इसका प्लान बनाकर प्रस्तुत करें।

मशीनों को किया जाए सीज

जिला कलक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी संपत राम वर्मा को निर्देश दिए कि ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के उपयोग में ली जा रही मशीनों को सीज किया जाए। बैठक में एडीएम रामरतन सौंकरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी, उपखंड अधिकारी हुक्मीचंद रोहलानिया मौजूद रहे।

प्रशासन को मिल रही है शिकायतें

बजरी व पत्थर खनन की शिकायत जिला प्रशासन को मिल रही है। इसके चलते जिला कलक्टर ने बजरी व पत्थर के अवैध खनन पर विशेष चौकसी बरतने तथा सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ताकि खनन माफिया पर अंकुश लग सके।

खाइयों में बदली नदी, नियमों की पालना में अनदेखी

सरकार ने बजरी लीज के लिए एक दर्जन से अधिक शर्त लगा रखी है। लेकिन खनिज विभाग ने बनास नदी में इन शर्तों की अनदेखी बरती है। नियमानुसार पौध रोपण व बजरी से निकलने वाले छोटे कंकरों से जहां खनन किया गया उसे समतल किया जाना था। लेकिन ना तो पौध रोपण नजर आ रहा और ना ही खाइयों को भरा गया। बल्कि बनास नदी में नियम विरुद्ध बेतहाशा खनन करने से इसका स्वरूप ही बिगड़ गया है।

शहर मौसम

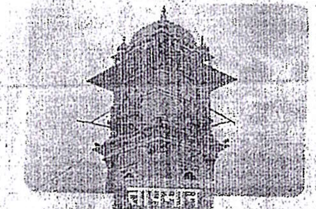

तापमान

32° अधिकतम | 24° न्यूनतम

ह्यूमिडिटी : 66% (अधिकतम)
हवा की गति : 26.0 किमी/घंटा

फोरकास्ट
मौसम साफ रहने की संभावना
(स्रोत- मौसम केंद्र टोंक)

पॉल्यूशन स्तर (AQI)
टोंक 82 30%

अच्छा	ठीक	मध्यम
0-50	51-100	101-200
खराब	गंभीर	खतरनाक
201-300	301-400	401-500

रीडर्स कनेक्ट
हमें भेजें

खबरें | समस्याएं | सुझाव
फोटो | वीडियो | पॉडकास्ट

ई-मेल: tonk.edit@in.patrika.com
वॉट्सएप: 9660439374

पढ़ें ज्यादा खबरें, देखें फोटो/वीडियो
patrika.com/tonk-news

क्यूआर कोड को मोबाइल से करें स्कैन

हमसे जुड़ें
facebook.com/patrika.tonk

आगामी हलचल

क्षमता बढ़ाने के लिए बगैर सूचना जन सुनवाई की तो लोगों ने जताई नाराजगी

अब तो बख्शो... बनास नदी में लीज खनन की क्षमता खत्म, एनजीटी ने लगाई रोक

पत्रिका पड़ताल

टोडारायसिंह क्षेत्र में चल रही लीज की बजरी खनन क्षमता खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में तय क्षमता से अधिक खनन नहीं करने पर एनजीटी ने रोक लगाई है। क्षमता से अधिक खनन तब ही किया जाएगा जब नियमानुसार जनसुनवाई में क्षेत्र के लोगों की अनुमति हो।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

टोंक. बनास नदी में बजरी के लिए जारी लीज खनन की क्षमता खत्म हो गई है। एनजीटी ने खनन पर रोक लगा दी है। ऐसे में टोडारायसिंह उपखंड स्थित लीज की खनन क्षमता बढ़ाने के लिए रविवार को आयोजित जन सुनवाई स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विरोध के चलते अधिकारियों को निरस्त करनी पड़ी। अब विभाग उक्त जन सुनवाई के लिए पहले सूचना प्रसारित करेगा। ताकि लोग पर्यावरण को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। इसके बाद जन सुनवाई होगी।

खनिज विभाग के मुताबिक टोडारायसिंह उपखंड क्षेत्र में दी गई लीज की खनन क्षमता प्रति साल 33 लाख टन है। अब तक 30 लाख टन खनन किया जा चुका है। अब 3 लाख टन खनन ही बचा है। ऐसे में खनन क्षमता बढ़ाने के लिए पर्यावरण विभाग ने खनिज विभाग के साथ टोडारायसिंह के पंचायत समिति सभागार में आमजन की जन सुनवाई कार्यक्रम तय किया था। ताकि पर्यावरण को लेकर मिलने वाले सुझाव तथा किसी कोई आपत्ति नहीं होने पर खनन की क्षमता बढ़ा दी जाए। लेकिन जन सुनवाई में लोग नहीं पहुंचे। जब इसकी जानकारी कुछेक जनप्रतिनिधियों को मिली तो वे पहुंचे और बिना सूचना जन सुनवाई करने पर नाराजगी जताते हुए इसे निरस्त करने को कहा। ऐसे में जन सुनवाई निरस्त कर दी गई। अब पर्यावरण की अनुमति बिना खनन नहीं होगा।

खनिज विभाग अब फिर से स्थानीय लोगों तथा विभागों के अधिकारियों की लेगा बैठक

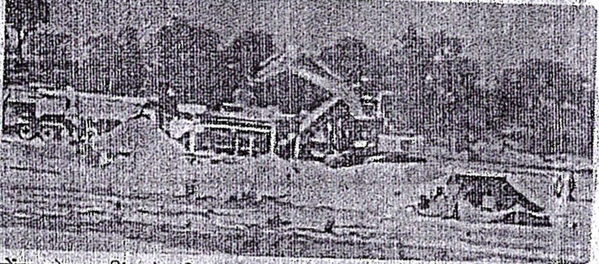

टोंक. टोडारायसिंह क्षेत्र स्थित बनास नदी में किया जा रहा खनन।

टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी लीज में खनन की क्षमता बढ़ाने के लिए जनसुनवाई की जानी थी। इसके लिए पर्यावरण विभाग ने कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया। ऐसे में जन सुनवाई निरस्त हो गई। सूचना प्रसारित करने के बाद फिर से बैठक होगी।

सोहनलाल सुथार, सहायक अभियंता खनिज विभाग टोंक

जन सुनवाई की सूचना किसी को नहीं दी। अधिकारी कुछेक लोगों के साथ आ गए। इससे लोगों में नाराजगी है। लीज शर्तों की पालना भी नहीं हुई।

रामचन्द्र गुर्जर, जनप्रतिनिधि टोडारायसिंह

दो ही जगह है अभी लीज

खनिज विभाग के मुताबिक अभी टोडारायसिंह और उनियारा उपखंड क्षेत्र में ही बजरी की लीज जारी है। जबकि टोंक, पीपलू, देवली और निवाई में लीज समाप्त हो चुकी है। टोंक में अब करीब 40 हजार टन बजरी का भंडारण शेष है। इससे बजरी की आपूर्ति की जा रही है।

पर्यावरण के लिए कागजी खानापूर्ति

स्थानीय जन प्रतिनिधि रामचन्द्र गुर्जर समेत अन्य ने जन सुनवाई में कहा कि बनास नदी में दी गई लीज के साथ एक दर्जन से अधिक शर्त है। इसमें पर्यावरण महत्वपूर्ण है। लेकिन ना तो हरियाली पर काम किया गया और ना ही जन जागरूकता कार्यक्रम हुए। शर्तों की पालना भी कागजों में ही चल रही है। इसके चलते बनास नदी खाइयों में तब्दील हो गई है। खनन के निर्धारित मापदंडों की अवहेलना की गई। स्थानीय लोगों को रोजगार तक नहीं मिला।

सोप में तेज हवाओं से 14 घंटे बिजली गुल, लोग बेहाल

सोप. तेज हवाओं के चलते कस्बे की 33 केवी लाइन में सोमवार को बड़ा फॉल्ट आ गया। इससे सोप सिटी ... को भी रहीमनगर फीडर की 3 फेस लाइन में फॉल्ट आ गया। सुबह 10:15 बजे बिजली गई, जो दोपहर 1 बजे ...

बरसात से लोगों को मिली गर्मी से राहत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पलाई. कस्बे सहित क्षेत्र में मंगलवार को अचानक मौसम ने करवट ली।

हर्षि गौतम की सामूहिक आरती मौके पर श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण कास समिति अध्यक्ष जगमोहन गौतम नवयुवक मंडल अध्यक्ष ों सहित गौतम समाज के कई द रहे।

नंदकिशोर पुत्र घासी, घासी माली, हनुमान पुत्र रामनिवास, स्वप्न सरकार पुत्र अर्हन सरकार, रामफूल, श्रवण पुत्र जगन्नाथ और रामेश्वर के नाम शामिल हैं। जलदाय विभाग ने सभी को नोटिस दिया है। अवैध नल कनेक्शन को लेकर जलदाय की टीम लगातार जांच कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेनल्टी वसूली जाएगी। कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।

अभिषेक और शांति धारा की पार्श्वनाथ भगवान के ही सबसे विधि संपन्न कराई। सायंकाल आनंद ज्यादा भक्त हैं। आगम के अनुसार यात्रा में बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर शैली सभी तीर्थंकर समान होते हैं। कोई दीदी ने प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, छोटा या बड़ा नहीं होता।

प्लाई बाधित

न्होंने थडोली फिल्टर प्लांट से सप्लाई बंद करवाई। टीम ने युद्ध लीकेज ठीक करने का काम शुरू ास तक मरम्मत पूरी होने की है।

कर्नल बैंसला की पुण्यतिथि मनाई

वाई। वीर गुर्जर छात्रावास में एबीसी आरक्षण के संयोजक रहे र्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की ण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। माज के लोगों ने कर्नल बैंसला ो याद करते हुए उनके पदचिह्नों र चलने का आह्वान किया। कहा क समाज में अच्छी शिक्षा, बेहतर वास्थ्य, कर्ज मुक्त जीवन और ढ़ी-लिखी मां जरूरी है। कर्नल बैंसला ने समाज को नई दिशा दी। आज समाज की प्रगति उन्हीं की देन है। सभा में प्रधान रामअवतार लांगड़ी, वीर गुर्जर छात्रावास संस्था के अध्यक्ष रामभजन गुर्जर, मांगीलाल गुर्जर, शंकर पडियार, श्योजीराम फौजी, महामंत्री गिरिराज गुर्जर, रामकिशन बहादुरपुरा, देवनारायण गुर्जर, रामकिशन जीवली मौजूद रहे। श्रीगुरु कृपा कार्यालय में भी कर्नल बैंसला की तृतीय पुण्यतिथि मनाई गई। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के अध्यक्ष अशोक लांगड़ी ने बताया कि कर्नल साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

श्री मीनेष भगवान की जयंती मनाई

टोंक। मीना समाज के आराध्य देव श्री मीनेष भगवान की जयंती मीणा छात्रावास एवं अध्ययन संस्थान टोंक में सोमवार को मनाई गई।

इस मौके पर भगवान श्री विष्णु के अवतार की जयंती के अवसर पर मीणा समाज की ओर से समाज के विकास एवं उत्थान पर चर्चा भी की गई। तुलसीराम मीणा ने बताया कि आगामी एक वर्ष की अवधि में मीणा छात्रावास के अधूरे भवन निर्माण का कार्य पूरा कर इसे गरीब व होनहार बच्चों के लिए संचालित कर दिया जाएगा। जयंती के मौके पर लड्डूलाल, कमलेश, हेमराज भरतलाल, गिर्राज, आशाराम, राजेन्द्र, अशोक आदि मौजूद रहे।

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail: rorpch.bundi@gmail.com

LiFE

No. RPCB/RO Bundi/PUB-134/3223

Date: 26/03/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स चाडक एसोसिएट्स, एम. एल. नम्बर–8/2012, खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेडिया चारणान, कॅवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरडा, मोडियाला, छानमयवाससूर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित रिवरबेड सेण्ड (माइनर मिनरल) माइनिंग परियोजना की उत्पादन क्षमता विस्तार 3.0 Million TPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स चाडक एसोसिएट्स सेण्ड एम. एल. नम्बर–8/2012, खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेडिया चारणान, कॅवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरडा, मोडियाला, छानमयवाससूर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 MillionTPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि मैसर्स चाडक एसोसिएट्स, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533(ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय–समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :– (i) कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक। (ii) कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक। (iii) कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक। (iv) पंचायत समिति, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक। (v) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए–218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। (vi) उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह, जिला टोंक। (vii) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (viii) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। (ix) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी। (x) कार्यालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/14341 दिनांक 25.03.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.05.2025 (शनिवार) को स्थान–पंचायत समिति सभागार, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीप (शिव कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी

Received in Public Hearing
JEE (P)
26/5/25

सेवामे,

श्रीमान श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी जी,
रा० प्र० नि० म०, बून्दी (राज०)

विषय :– मैसर्स चांडक एसोसिएटस एम.एल. को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोन सुनवाई में प्रार्थी की और से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंग – विज्ञापन संख्या RPCB/RO Bundi/PUB-134/261 दिनांक 07.05.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट एम.एल. को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षैत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में स्वीकृति दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढाये जाने हेतु लो आपत्तियां मांगी गयी है। जिस पर प्रार्थी की और से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :–

1. यह कि उक्त एसोसियट ने पूर्व में माईनिंग की शर्तो की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुए पर्यावरण अधिकारों का हनन किया।
2. यह कि उक्त एसोसियट ने माईनिंग स्वीकृति के नियमों की पालना नही करते हुए कोई वृक्षारोपण नही किया है और ना ही किसी तरह से पेड–पौधे लगाये गये है जो कि पर्यावरण की दृष्टि की गयी नियमों में वृक्षारोपण नही करने से स्पष्ट है कि एसोसियट ने सी.ई.सी. के नियमों के नियमों का पालन नही किया गया है नदी के किनारे वृक्षा रोपण करना आवश्यक है इसलिए आपत्ति जाहीर करता हूँ व मापदण्डो की खुली अवहलेना है। इस कारण से

Prakash Rajsain

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
प्राप्ति
क्रमांक 133
दिनांक 26/5/25
बून्दी (राज.)

लगातार.............2

माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्याय संगत है।

3. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डो पेरामीटर के अनुसार कम्पनी एसोसियट नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पेरामीटर के विपरीत जाकर 100 मीटर तक नदी में गहरी खाईया तब्दील कर रहा है, जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। इस आधार पर स्वीकृति नही दी जाए। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।

4. यह कि उक्त ऐसोसिएट द्वारा टोंक व टोडा क्षेत्र में स्थिति कृषि भूमि में से फसलों को खराब करते हुए अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडा क्षेत्रों में विवाद उत्पन्न होता है क्योंकि किसानों द्वारा लगायी जाने फसलों का नुकसान होता है तथा पर्यावरणीय दुष्टि से हरे पेडों व पोधों को नुकसान पहुचाया जाता है तथा आम राहगीरों के वास्ते बनायी गयी सडको का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से भी उक्त एसोसियट को स्वीकृति रद्द किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।

5. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लायी जाती है तथा अवेध रूप से किये जाने वालों प्राईवेट कृषि आराजीयात पर भण्डारण को जब्त नही किया जाता बल्कि विभाग व उक्त एसोसियट की मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड

लगातार..............3

किया जा रहा है। इस कारण से भी यह आपत्ति पेश की जा रही है।

6. खनन पानी में कर रहा है खनन 45 पेरामीटर छोड कर नियमों में किसानों के कुओं को छोड कर करना होता है, नही कर रहा है सी.ई.सी का उल्घन्न है।
7. खनन के उपरांत जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नही रूके जमीन समतल नही कर रहा है जिससे की पानी का बहाव रूक रहा है जिससे सी.ई.सी का उल्घन्न है।
8. खनन कार्यो के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नही लगा रहा है सीमा से अधिक खनन कर रहा है 2025 वर्ष में 3.0 मिलियन टी.पी.ए. स्वीकृति है मैसर्स चांडक एसोसियट द्वारा बजरी खनन की स्वीकृति से अधिक बजरी खनन 8.2 मिलियन टीपीए (आर.ओ.एम.) के लिए स्वीकृति मांग रहा है जो नियम विरूद्ध है व सी.ई.सी के किसी भी नियम का पालन नही कर रहा है पर्यावरण स्वीकृति नही दी जाए आपत्ति जाहिर करता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मैसर्स चांडक एसोसियट को बजरी खनन हेतु एन.जी.टी. की स्वीकृति नही दी जाए।

दिनांक :- 26/5/2025

प्रार्थी Keshavraj Sain 26/5/25

संलग्न - 3 पेज

नाम - केशवराज सैन
पता - न्यू महावीर नगर, रूई वाले बाबा की गली, टोंक (राज.)
M - 7014471095

...र्यों को अंतिम रूप दिया।

...संस्कार व रात 9 बजे ...समारोह होगा।

...था का आयोजन

वाले श्रीराम महायज्ञ की तैयारियां तेज हो गई हैं। श्री जोडला बालाजी बालापुरा मेहरू में 14 से 22 मई तक इक्कीस कुंडात्मक श्रीराम महायज्ञ होगा।

बुधवार को मंदिर परिसर में यज्ञ कर्ता संत याज्ञिक सम्राट श्री श्री 1008 श्री मुनेश्वर दास महाराज ...की अध्यक्षता में आयोजन को सफल बनाने के लिए अलग-अलग समितियां बनाई गई। सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई।

इस मौके पर मेहरू, बालापुरा खेड़ा मलूका नगर, बन का खेड़ा, मछुवारों की ढाणी, जनकपुरा, तितरिया, रामेश्वरपुरा, छीपट की ...आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महायज्ञ में काशी, जनकपुर, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा सहित कई आश्रमों से साधु-संत आएंगे। 18 मई को शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। महायज्ञ के दौरान श्रीराम कथा और शाम को रासलीला का आयोजन किया जाएगा।

महात्मा गांधी स्कूल में प्रवेश शुरू, 15 जून तक होगा

दूनी| महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। प्रधानाचार्य कैलाश वर्मा ने बताया कि सत्र 2025-26 के लिए नर्सरी से दसवीं तक प्रवेश 15 जून तक लिए जाएंगे।

16 जून को प्राप्त आवेदनों की सूची विद्यालय बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। 17 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। 18 जून को चयनित विद्यार्थियों की अंतिम सूची बोर्ड पर लगाई जाएगी। 19 जून से प्रवेश शुरू होंगे। 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू की जाएगी।

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-134/261

Date : 07/05/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स चांडक एसोसिएट्स, एम.एल.नम्बर - 8/2012, खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेड़िया, धारणान, कंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेड़ा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथुलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरड़ा, मोडियाला, छानमयबाससुर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक की रिवरबेड सेण्ड (माईनर मिनरल), खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का विस्तार **3.0 Million TPA (ROM)** से **8.2 Million TPA (ROM)** से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 03.05.2025 को समय प्रातः 11.00 बजे स्थान - पंचायत समिति सभागार, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/14341 दिनांक 25.03.2025 द्वारा नियत की गई थी जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक **RPCB/RO Bundi/PUB-134/3223** दिनांक 26/03/2025 द्वारा जारी कर दैनिक अखबार द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 01/04/2025 व दैनिक भास्कर (टोंक भास्कर) में दिनांक 01/04/2025 को प्रकाशित की गयी थी।
2. चूंकि उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोंक के आदेश क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18553 दिनांक 02.05.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई, जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक **RPCB/RO Bundi/PUB-134/232** दिनांक 03/05/2025 द्वारा जारी कर वही दैनिक अखबार द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 05/05/2025 व दैनिक भास्कर (टोंक भास्कर) में दिनांक 05/05/2025 को प्रकाशित की गयी।
3. चूंकि, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोंक के संशोधित आदेश क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जन सुनवाई/2025/18617 दिनांक 07/05/2025 द्वारा उक्त परियोजना हेतु जन सुनवाई पुनः नियत की गई है।
4. चूंकि, मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) दिनांक 14/09/2006, संशोधित अधिसूचना संख्या का.आ. 2163 (अ) दिनांक 09/05/2022 एवं समय-समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसरण में पुनः नियत की गयी जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 15 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

i. कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक।
ii. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।
iii. कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक।
iv. पंचायत समिति, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक।
v. उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह, जिला टोंक।
vi. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
vii. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
viii. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
ix. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।
x. कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के संशोधित आदेश क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18617 दिनांक 07.05.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.05.2025 (सोमवार) को स्थान पंचायत समिति सभागार, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में भी प्रस्तुत कर सकते है।

भवदीय (शिव कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., बून्दी

तीये की बैठक

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूज्यनीय माताजी **श्रीमती चम्पा देवी** (धर्मपत्नी : स्व.श्री गोकुलचन्द जी जैन) का स्वर्गवास दिनांक 07 मई 2025 को हो गया है। जिनकी **तीये की बैठक** 09 मई 2025 शुक्रवार को सुबह 9 से 10 बजे तक जैन मन्दिर मेहन्दवास पर रखी गई है।

नोट : यह बैठक अन्तिम बैठक होगी।

शोकाकुल

...प्रसाद, बाबूलाल, धर्मचन्द, भैरूलाल (देवर), प्रकाशचन्द, डालचन्द, मीठालाल, विमल, विमलचन्द, सुरेश, अशोक, पारस, पवन कुमार, संजय कुमार (पुत्र), अनिल, अक्षय, रिषभ, मयंक (पौत्र), कनिष्क (प्रपौत्र) ...समस्त गर्ग परिवार, अरनिया नील वाले मेहन्दवास मो. 9950612128, 9929600105

पीहर पक्ष : श्रीमान नेमीचन्द जी, धर्मचन्द जी, विनोद कुमार जी, पिन्टू जी टोरडी वाले मालपुरा

भास्कर CLASSIFIED

BhaskarAd.com

Classified Ad ऑनलाइन बुक करें-

Call: 9772019222

टोंक पत्रिका

निवाई . देवली . मालपुरा . उनियारा . टोडारायसिंह . पीपलू

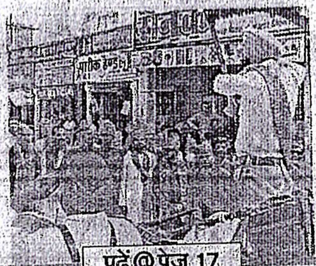

पढ़ें@पेज 17

जिला कलक्टर ने ली बैठक: अधिकारियों को दिए निर्देश

'बजरी व पत्थर के अवैध खनन पर बरती जाए विशेष चौकसी, सख्ती से हो कार्रवाई'

पत्रिका ऑन द स्पॉट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

टोंक. अधिकारियों की बैठक लेती जिला कलक्टर।

टोंक. जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा ने अवैध खनन, भडारण व परिवहन की रोकथाम के लिए शुक्रवार को कलक्ट्रेट कक्ष में राजस्व, पुलिस, खनिज, वन एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने खनिज विभाग के सहायक अभियंता सोहनलाल सुथार को निर्देश दिए कि वे राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग के सहयोग से अधिकाधिक अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। उपखंड अधिकारी उनियारा को दूरभाष पर बनेठा क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं पत्थरों के परिवहन को रोकने के लिए बनाए गए नाकों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला वन अधिकारी मरिय शाइन ए को वन क्षेत्र में गश्त बढ़ाने पर जोर दिया।

जिला कलक्टर ने सहायक खनिज अभियंता को धारा 177 के तहत दर्ज प्रकरणों की समस्त डिटेल आगामी सात दिवस में देने के लिए निर्देशित किया। साथ ही कहा कि माइनिंग एरिया में लीज धारकों की ओर से कराया जाने वाले 30 प्रतिशत पौधरोपण कार्य की सुनिश्चिता की जाए। इसका प्लान बनाकर प्रस्तुत करें।

मशीनों को किया जाए सीज

जिला कलक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी संपत राम वर्मा को निर्देश दिए कि ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के उपयोग में ली जा रही मशीनों को सीज किया जाए। बैठक में एडीएम रामरतन सौंकरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी, उपखंड अधिकारी हुक्मीचंद रोहलानिया मौजूद रहे।

प्रशासन को मिल रही है शिकायतें

बजरी व पत्थर खनन की शिकायत जिला प्रशासन को मिल रही है। इसके चलते जिला कलक्टर ने बजरी व पत्थर के अवैध खनन पर विशेष चौकसी बरतने तथा सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। ताकि खनन माफिया पर अंकुश लग सके।

खाइयों में बदली नदी, नियमों की पालना में अनदेखी

सरकार ने बजरी लीज के लिए एक दर्जन से अधिक शर्त लगा रखी है। लेकिन खनिज विभाग ने बनास नदी में इन शर्तों की अनदेखी बरती है। नियमानुसार पौध रोपण व बजरी से निकलने वाले छोटे कंकरों से जहां खनन किया गया उसे समतल किया जाना था। लेकिन ना तो पौध रोपण नजर आ रहा और ना ही खाइयों को भरा गया। बल्कि बनास नदी में नियम विरुद्ध बेतहाशा खनन करने से इसका स्वरूप ही बिगड़ गया है।

शहर मौसम

32° अधिकतम	24° न्यूनतम

ह्यूमिडिटी : 66% (अधिकतम)
हवा की गति : 26.0 किमी/घंटा

फोरकास्ट
मौसम साफ रहने की संभावना
(स्रोत- मौसम केंद्र टोंक)

पॉल्यूशन स्तर (AQI)
टोंक 82 30%

अच्छा	ठीक	मध्यम
0-50	51-100	101-200
खराब	**गंभीर**	**खतरनाक**
201-300	301-400	401-500

रीडर्स कनेक्ट
हमें भेजें

खबरें | समस्याएं | सुझाव
फोटो | वीडियो | पॉडकास्ट

ई-मेल: tonk.edit@in.patrika.com
वॉट्सएप: 9660439374

पढ़ें ज्यादा खबरें देखें फोटो/वीडियो
patrika.com/tonk-news
क्यूआर कोड को मोबाइल से करें स्कैन
हमसे जुड़ें
facebook.com/patrika.tonk

क्षमता बढ़ाने के लिए बिना सूचना जन सुनवाई की तो लोगों ने जताई नाराजगी

अब तो बख्शो... बनास नदी में लीज खनन की क्षमता खत्म, एनजीटी ने लगाई रोक

पत्रिका पड़ताल

टोडारायसिंह क्षेत्र में चल रही लीज की बजरी खनन क्षमता खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में तय क्षमता से अधिक खनन नहीं करने पर एनजीटी ने रोक लगाई है। क्षमता से अधिक खनन तब ही किया जाएगा जब नियमानुसार जनसुनवाई में क्षेत्र के लोगों की अनुमति हो।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

टोंक. बनास नदी में बजरी के लिए जारी लीज खनन की क्षमता खत्म हो गई है। एनजीटी ने खनन पर रोक लगा दी है। ऐसे में टोडारायसिंह उपखंड स्थित लीज की खनन क्षमता बढ़ाने के लिए रविवार को आयोजित जन सुनवाई स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विरोध के चलते अधिकारियों को निरस्त करनी पड़ी। अब विभाग उक्त जन सुनवाई के लिए पहले सूचना प्रसारित करेगा। ताकि लोग पर्यावरण को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। इसके बाद जन सुनवाई होगी।

खनिज विभाग के मुताबिक टोडारायसिंह उपखंड क्षेत्र में दी गई लीज की खनन क्षमता प्रति साल 33 लाख टन है। अब तक 30 लाख टन खनन किया जा चुका है। अब 3 लाख टन खनन ही बचा है। ऐसे में खनन क्षमता बढ़ाने के लिए पर्यावरण विभाग ने खनिज विभाग के साथ टोडारायसिंह के पंचायत समिति सभागार में आमजन की जन सुनवाई कार्यक्रम तय किया था। ताकि पर्यावरण को लेकर मिलने वाले सुझाव तथा किसी कोई आपत्ति नहीं होने पर खनन की क्षमता बढ़ा दी जाए। लेकिन जन सुनवाई में लोग नहीं पहुंचे। जब इसकी जानकारी कुछेक जनप्रतिनिधियों को मिली तो वे पहुंचे और बिना सूचना जन सुनवाई करने पर नाराजगी जताते हुए इसे निरस्त करने को कहा। ऐसे में जन सुनवाई निरस्त कर दी गई। अब पर्यावरण की अनुमति बिना खनन नहीं होगा।

खनिज विभाग अब फिर से स्थानीय लोगों तथा विभागों के अधिकारियों की लेगा बैठक

टोंक. टोडारायसिंह क्षेत्र स्थित बनास नदी में किया जा रहा खनन।

टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी लीज में खनन की क्षमता बढ़ाने के लिए जनसुनवाई की जानी थी। इसके लिए पर्यावरण विभाग ने कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया। ऐसे में जन सुनवाई निरस्त हो गई। सूचना प्रसारित करने के बाद फिर से बैठक होगी।
सोहनलाल सुथार, सहायक अभियंता खनिज विभाग टोंक

जन सुनवाई की सूचना किसी को नहीं दी। अधिकारी कुछेक लोगों के साथ आ गए। इससे लोगों में नाराजगी है। लीज शर्तों की पालना भी नहीं हुई।
रामचन्द्र गुर्जर, जनप्रतिनिधि टोडारायसिंह

दो ही जगह है अभी लीज

खनिज विभाग के मुताबिक अभी टोडारायसिंह और उनियारा उपखंड क्षेत्र में ही बजरी की लीज जारी है। जबकि टोंक, पीपलू, देवली और निवाई में लीज समाप्त हो चुकी है। टोंक में अब करीब 40 हजार टन बजरी का भंडारण शेष है। इससे बजरी की आपूर्ति की जा रही है।

पर्यावरण के लिए कागजी खानापूर्ति

स्थानीय जन प्रतिनिधि रामचन्द्र गुर्जर समेत अन्य ने जन सुनवाई में कहा कि बनास नदी में दी गई लीज के साथ एक दर्जन से अधिक शर्त है। इसमें पर्यावरण महत्वपूर्ण है। लेकिन ना तो हरियाली पर काम किया गया और ना ही जन जागरूकता कार्यक्रम हुए। शर्तों की पालना भी कागजों में ही चल रही है। इसके चलते बनास नदी खाइयों में तब्दील हो गई है। खनन के निर्धारित मापदंडों की अवहेलना की गई। स्थानीय लोगों को रोजगार तक नहीं मिला।

सोप में तेज हवाओं से 14 घंटे बिजली गुल, लोग बेहाल

सोप. तेज हवाओं के चलते कस्बे की 33 केवी लाइन में सोमवार को बड़ा फॉल्ट आ गया। इससे सोप, सिटी ... को भी रहीमनगर फीडर की 3 फेस लाइन में फॉल्ट आ गया। सुबह 10:15 बजे बिजली गई, जो दोपहर 1 बजे ...

बरसात से लोगों को मिली गर्मी से राहत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पलाई. कस्बे सहित क्षेत्र में मंगलवार को अचानक मौसम ने करवट ली।

JE(P)

कार्यालय ग्राम पंचायत, छाण बास सूर्या

पंचायत समिति, टोड़ारायसिंह (जिला-टोंक) राज0

प्रेषक :

श्रीमती सन्तरा देवी गुर्जर

सरपंच, ग्राम पंचायत छाण बास सूर्या

सत्यमेव जयते

प्रेषिति :-

श्रीमान मुख्यमन्त्री महोदय

राजस्थान सरकार

जयपुर

क्रमांक: ८५८

दिनांक 26/05/2025

विषय- नियमो के विरुद्ध अवैध खनन करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने बाबत्

महोदय विषय के नम्र निवेदन है। बनास नदी मे ठेकेदार के द्वारा नदी मे गहरे गड्डे कर करने बाबत्

(1) मै. पाठक प्रा० के द्वारा बनास नदी के 15 से 30 फुट ~~गहरा~~ गहरा खनन करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया

(2) बीना सीमाज्ञान के सम्पुर्ण नदी मे से बजरी उठा ली

(3) नदी के आस पास के गावो की सम्पुर्ण सडके क्षतिग्रस्त कर दी।

(4) ~~लीज~~ शर्तो के अनुसार नदी किनारे पर पेड व घास नहीं लगाई

(5) खनन कार्यो के लीज मे पिल्लर लगाना आवश्यक है। सो नहीं लगाया। जो नियम विरुद्ध है।

JEE(P)
24/5/25

सेवामें,

श्रीमान् मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
जयपुर राज0

विषय– मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु प्रर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

प्रसंग– विज्ञापन संख्या आर0पी0सी0बी0 / आर0ओ0 बूँन्दी पी0यू0बी0 134/261 दिनांक 07.05.2025 के संदर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढाई जाने हेतु लोक आपत्तियां मांगी गई है। जिस पर आम जनता व जनप्रतिनियों की ओर से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :–

1. यह कि उक्त एसोसिएट्स ने पूर्व में माईनिंग की शर्तो की पूरी तरह से अवहेलहना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुये पर्यावरण अधिकारी का हनन किया है। माईनिंग शर्तो के नियम की पालना नही करते हुये कोई वृक्षा रोपण नही किया है। इस कारण माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है।
2. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डो पैरामीटर के हिंसाब कम्पनी एसोसिंएट्स नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पैरामीटर के विपरीत जाकर 10 मीटर नदी में गहरी खाया तबदील कर रखा है जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। यह सी0ई0सी0 के नियमों का उल्लघंन है।
3. यह कि उक्त एसोसिएट्स द्वारा टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि में से फसलो को खराब करने हेतु अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होता है

Scanned with CamScanner

जिला पार्षद
[illegible]
9950517372
EX-मण्डल अध्यक्ष [illegible] BJP
(अध्यक्ष ग्राम [illegible])
रलावता 8290603140
(भूतपूर्व)
(9929972733)
[illegible]
रलावता
[illegible] रलावता
9829777785
कालूराम सैनीवास
8920220676
[illegible] मीणा
पूर्व सरपंच
मो. [illegible]
[illegible] कुमार
[illegible]
9521298754
[illegible]
[illegible]
8696174304
[illegible]
मण्डल अध्यक्ष
BJP मो.
[illegible] (बाबू लाल मीणा)
(प्रधान [illegible])
9784824709

Scanned with CamScanner

JEE(CP)
21/5/25

ग्राम पंचायत बोदून्दा

पंचायत समिति, टोडारायसिह (टोंक)

प्रेषक :
शिला राजकुमार मीणा
प्रशासक
ग्राम पंचायत बोदून्दा
प.स. टोडारायसिह (टोंक)
मो. 8290440508, 9660644499

प्रेषिता :- माननीय
श्रीमान् भजनलाल जी शर्मा
मुख्यमंत्री राजस्थान
सरकार

क्रमांक : ग्रा/25-26/27.5.2025/(597) दिनांक 27.5.2025

विषय: मैसर्स चाँडक एसोसिएट्स एम. एल. को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में जन-सुनवाई में ग्रामीणों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंग – विज्ञापन संख्या RPCB/RO TONK/BUB-134/261 दिनांक 26.5.27 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मेसर्स चांडक एसोसिएट एम. एल. को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह रेंज में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में स्वीकृति दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढ़ाने जाने हेतु जो आपत्तियां मांगी गयी हैं। जिस पर ग्रामीणों की ओर से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश हैं।

1. यह कि उक्त एसोसियट ने पूर्व में माईनिंग की शर्तों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धोखा बताते हुए पर्यावरण अधिकारों का हनन किया।

(signature)
शीला राजकुमार मीणा
प्रशासक
ग्राम पंचायत बोदुन्दा
प. स. टोडारायसिंह (टोंक)

(signature)
ग्राम [illegible]
ग्राम पंचायत बोदून्दा
प.स. टोडारायसिंह (टोंक)

ग्राम पंचायत बोदून्दा

पंचायत समिति, टोडारायसिह (टोंक)

प्रेषक : शिला राजकुमार मीणा प्रशासक ग्राम पंचायत बोदून्दा प.स. टोडारायसिह (टोंक) मो. 8290440508, 9660644499	प्रेषिता :- माननीय श्रीमान् भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार

क्रमांक : ग्रा/25-26/5098/2025 //2// दिनांक 27/5/25

लगातार.... 2.

2. यह कि उक्त एलोस्थियट ने माईनिंग स्वीकृति के नियमों की पालना नही करते हुए कोई वृक्षारोपण नहीं किया है। जो रना ही किसी तरह से पेड़-पौधे लगाये गये है जो कि पर्यावरण की दृष्टी की गयी नियमों में वृक्षारोपण नही करने से स्पष्ट है कि एलोस्थिपट ने सी.ई.सी. के नियमों के नियमों का पालन नही किया गया है नदी के किनारे वृक्षा रोपण करना आवश्यक है इसलिए आपत्ति जाहिर करता हूँ व मापदण्डो की पूर्ती अवहेलना है। इस कारण से माईनिंग अनुमति स्वीकृति रद्द किया जाना अति आवश्यक एवं न्याय संगत है।

3. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डो पेरामीटर के अनुसार कम्पनी एलोस्थिपट नदी बैड में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पेरामीटर के विपरीत जाकर 100 मीटर तक नदी में गहरी खाईयां तब्दील कर रहा है। जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से नुकसान किया जा रहा है। इस आधार पर स्वीकृति नहीं दी जाए। सी.ई.सी. के नियमों का उल्लंघन है।

शीला राजकुमार मीणा
प्रशासक
ग्राम पंचायत बोदून्दा
प. स. टोडारायसिंह (टोंक)

ग्राम पंचायत बोदून्दा

पंचायत समिति, टोडारायसिंह (टोंक)

प्रेषक :	प्रेषिता :-
शिला राजकुमार मीणा प्रशासक ग्राम पंचायत बोदून्दा प.स. टोडारायसिंह (टोंक) मो. 8290440508, 9660644499	माननीय श्रीमान भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान

क्रमांक : ग्रा/25-26/5099/27.5.25 दिनांक 27.5.25

//3//

लगातार ...3

4. यह कि कुम्भ हेलोसिएट ब्रप टैंक व टोडा रोड में स्थित कृषि भूमि में से फसलों को खराब करते हुए अवैधानिक रूप से भारी वाहन कर आवागमन किया जाता है क्योंकि किसानों आसपास की जाने फसलों का नुकसान होता है तथा पर्यावरणीय दृष्टि से पेड़ों व पौधों को नुकसान पहुंचाया जाता है तथा आम रहवासियों के वास्ते बनायी गयी सड़कों का पूर्ण रूप से नुकसान किया जा रहा है। इस कारण से भी कुम्भ एलोटियट की स्वीकृति रद्द किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। सी.ई.टी. के नियमों का उल्लंघन है।

5. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी जाती है तथा अवैध रूप से किये जाने वाले पावर आसपास पर कंट्रोल को मदद नहीं किया जाता बल्कि विभाग व कुम्भ एलोकिट भी मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड़

लगातार ... 4

Sheela
शीला राजकुमार मीणा
प्रशासक
ग्राम पंचायत बोदून्दा
प. स. टोडारायसिंह (टोंक)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बोदून्दा

ग्राम पंचायत बोदून्दा

पंचायत समिति, टोडारायसिह (टोंक)

प्रेषक :
शिला राजकुमार मीणा
प्रशासक
ग्राम पंचायत बोदून्दा
प.स. टोडारायसिह (टोंक)
मो. 8290440508, 9660644499

प्रेषिता :- माननीय
श्रीमान् भजनलाल जी शर्मा
मुख्यमंत्री राजस्थान

क्रमांक : ग्रा/2000/25-26/

दिनांक 27.5.25

॥4॥

प्रेषित किया जा रहे हैं
किया जा रहा है। इस कारण से भी यह आपत्ति पेश किया जा रहा है। इसके

6. खनन पानी में कर रहा है खनन 45 मीटर छोड़ कर किसानों के कुओं से छोड़ कर करना होता है नहीं कर रहा है सी.ई.सी. का उल्लंघन है

7. खनन के उपरांत जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नहीं रुके जमीन समतल नहीं कर रहा है जिससे भी पानी का बहाव रुक रहा है जिसके सी-ई-सी-का उल्लंघन है।

8. खनन कार्यों के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है। नहीं लगा रहा है सीमा से अधिक खनन कर रहा है। 25-2026 वर्ष में टोडारायसिंह सीमा क्षेत्र कुराल्या खसरा संख्या 410 स्वीकृत है मैसर्स जोकुल स्टोनक्रेशर द्वारा बजरी खनन की स्वीकृति से अधिक बजरी खनन करने के लिये स्वीकृति मांग रहा है जो कि नियम विरुद्ध है। पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी जाए आपत्ति जाहिर कर रही हैं।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि मैसर्स जोकुल स्टोनक्रेशर को बजरी खनन हेतु एन.जी.टी. की स्वीकृति नहीं दी जाए।

शीला राजकुमार मीणा
प्रशासक
ग्राम पंचायत बोदून्दा
प.स. टोडारायसिंह (टोंक)
सरपंच-इच्छा योजना

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बोदून्दा
टोडारायसिंह (टोंक)

दिनांक: 27.5.25

JEE(P)
27/5/25

पंचायत विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत मोरभाटियान

पंचायत समिति टोडारायसिंह, जिला टोंक (राजस्थान)

प्रेषक
निर्मला देवी बैरवा
प्रशासक, ग्राम पंचायत मोरभाटियान
पंचायत समिति टोडारायसिंह, जिला टोंक (राज.)
मो. 9414379738

प्रेषिति
श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
जयपुर (राज.)

पत्रांक : का.ग्रा.पं./मोरभाटियान/ दिनांक 27/5/2025

विषय :- बनास नदी मे बजरी खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति नही दिये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं चामुण्डा स्टोनमेटल M.L. को माइनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता लेकिन कम्पनी द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है न पेड़ पौधे लगा[illegible] जा रहे है तथा 3 मीटर से ज्यादा खनन कर रहा है तथा आम[illegible] की सारी सड़के तोड़ दी है उनकी मरम्मत नही की है नदी मे ज[illegible] गहरे गड्ढे कर दिये है तथा परमिशन से अधिक क्षेत्र मे खुदाई [illegible] रहा है जिससे पेयजल का स्तर गिर रहा है

अतः महोदय को निवेदन है कि चामुण्डा स्टोनमेटल को अवैध माइनिंग की अनुमति नही दी जावें।

सादर

मेरी ग्राम पंचायत के ग्राम मोरड़ा [illegible] व मोदियाला में बजरी खनन की स्वीकृति नहीं दी जावें।

भवदीया
निर्मला
प्रशासक
ग्राम पंचायत मोर भाटियान
पं.स.टोडारायसिंह,जि.टोंक(राज.)

JEECP
29/5/25

कार्यालय ग्राम पंचायत खरेडा प.स. टोडारायसिंह (टोंक)

प्रेषक :-
गायत्री देवी शर्मा
प्रशासक
ग्राम पंचायत खरेडा
मोबा. ....

प्रेषिति :-
श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय
राज. सरकार
जयपुर

क्रमांक:-

दिनांक :- 26.5.2025

सेवामें,

श्रीमान् मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
जयपुर राज०

विषय— मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम०एल० द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी०पी०ए० से बढ़ाकर 8.2 मिलियन टी०पी०ए० तक करने हेतु माईनिंग हेतु प्रर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

प्रसग— विज्ञापन संख्या आर०पी०सी०बी० / आर०ओ० बूँन्दी पी०यू०बी० 134 / 261 दिनांक 07.05.2025 के संदर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम०एल० को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढाई जाने हेतु लोक आपत्तियां मांगी गई है। जिस पर आम जनता व जनप्रतिनियों की ओर से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश हैं :-

1. यह कि उक्त एसोसिएट्स ने पूर्व में माईनिंग की शर्तो की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुये पर्यावरण अधिकारी का हनन किया है। माईनिंग शर्तो के नियम की पालना नही करते हुये कोई वृक्षा रोपण नही किया है। इस कारण माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसगत है।
2. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डो पैरामीटर के हिसाब कम्पनी एसोसिएट्स नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पैरामीटर के विपरीत जाकर 10 मीटर नदी में गहरी खाया तब्दील कर रखा है जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। यह सी०ई०सी० के नियमों का उल्लघंन है।
3. यह कि उक्त एसोसिएट्स द्वारा टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि में से फसलो को खराब करने हेतु अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होता है

Scanned with CamScanner

क्योंकि किसानो द्वारा लगाये जाने फसलो को नुकसान होता है तथा पर्यावरण दृष्टि से हरे पेड़ व पौधो को नुकसान पहुंचाया जाता है। तथा आमराहगीरो के वास्ते बनाई गई सडको का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से उक्त एसोसिएट्स को माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

4. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतो पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लाई जाती है तथा अवैध रूप से किये जाने वाले प्राईवेट कृषि आराजियात पर भण्डारण को जब्त नहीकिया जाता है बल्कि उक्त एसोसिएट्स को मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड किया जा रहा है।

5. यह कि खनन पानी में किया जाता रहा है खनन 45 पैरामीटर छोडकर नियमों में किसानो के कुओ को छोडकर करना होता है जो नही कर रहा है। खनन के उपरान्त जमीन को समतल करना होता है क्योकि पानी का बहाव नही रुके जमीन समतल नही कर रहा हैजिससे कि पानी का बहाव रुक रहा है। खनन कार्यो के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नही लगा रहा है।

6. यह कि नदी के जल स्तर से नीचे खनन कार्य किया जा रहा है तथा दोनो तरफ के प्रमुख , पुलो , राजमार्गों से एक किलोमीटर दायरे में रेत व बजरी का अवध खनन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपस्ट्रीम की तरफ़ पुल या सार्वजनिक नागरिक संरचना (पानी के सेवन बिंदुओं सहित) के पांच गुना दायरे में और डाउनस्ट्रीम की तरफ 10 गुना दायरे में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है।

7. यह कि दिनांक 26.05.2025 को ए0डी0एम0 टोंक क्षेत्रीय अधिकारी आर0पी0सी0डी0 बूँन्दी, एस0डी0एम0 टोडारायसिंह , तहसीलदार टोडारायसिंह व अन्य अधिकारियों जनप्रतिनियों , पत्राकारो की उपस्थिति में लोक जनसुनवाई में 17 राजस्व गांव कुरास्या, बनेडियाचारणान, कंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता , ठाठा , सैतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा ,मारभाटियान, मोरडा, मांडियाला, छाणबाससूर्या , बरवास, एवं चूली तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 के गांवो को मिलाकर कुल 59 व्यक्तियों की उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाये थे, जिनमें उपरोक्त अधिकारियों की उपस्थिति भी रजिस्टर में हस्ताक्षर किये है जिनमे से सिर्फ तीन–चार ही व्यक्ति ही प्रभावित गांव के मौजूद थे उक्त एसोसिएट्स ने लोक जनसुनवाई में अपने काम करने वाले 40–50 लोगो को लेकर जनसुनवाई की खानापूर्ति करने के लिए जनसुनवाई स्थल पर उपस्थित हो गये। क्योकि उक्त एसोसिट्स द्वारा उक्त प्रभावित गांवो में कोई सूचना नही दी गई इस कारण आम जनता की अनुपस्थिति के कारण लोक जनसुनवाई दुबारा करवाकर उक्त एसोसिएट्स की माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

8. यह कि यदि मैसर्स चांडक एसोसिएट्स द्वारा पूर्व में जारी 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक बजरी खनन करने हेतु अनुमति दी जाकर एवं माईनिंग हेतु प्रर्यावरण स्वीकृति दी जाती है तो आम जनता एवं समस्त जनप्रतिनिधि द्वारा उक्त चांडक एसोसिएट्स का भारी विरोध किया जाकर जनआन्दोलन किया जावेगा जिस कारण यदि किसी प्रकार की जनहानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं प्रशासक की रहेगी।

Scanned with CamScanner

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त चांडक एसोसिएट्स द्वारा सी0ई0सी0 के किसी भी नियम का पालन नही कर रहा है। इस कारण प्रर्यावरण स्वीकृति नही दी जावें, बज़री खनन हेतु एन0जी0टी0 की स्वीकृति नही दी जावें। ग्राम छीतीवाड़ व जोधपुरा खनन क्षेत्र से पास के गांव है।

5/6/

ग्राममंत्री

प्रशासक
ग्राम पंचायत खरेडा
पंचायत समिति टोडारायसिंह

Scanned with CamScanner

प्रशासक ग्राम पंचायत बस्सी

पंचायत समिति टोडारायसिंह जिला टोंक (राज.)

JEE(P)
26/5/25

प्रेषक :
श्रीमती सन्तरा देवी
प्रशासक
ग्राम पंचायत बस्सी
पं.स. टोडारायसिंह जिला टोंक
मोबा. 9829713383, 6378846123

प्रेषिति : श्रीमान मुख्यमंत्री महो०
राज० सरकार
जयपुर

क्रमांक

दिनांक 26/5/025

श्रीमान्. मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
जयपुर राज0

विषय– मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु प्रर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

प्रसंग– विज्ञापन संख्या आर0पी0सी0बी0 / आर0ओ0 बूॅन्दी पी0यू0बी0 134 / 261 दिनांक 07.05.2025 के संदर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढाई जाने हेतु लोक आपत्तियां मांगी गई है। जिस पर आम जनता व जनप्रतिनियों की ओर से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :–

1. यह कि उक्त एसोसिएट्स ने पूर्व में माईनिंग की शर्तो की पूरी तरह से अवहेलहना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुये पर्यावरण अधिकारी का हनन किया है। माईनिंग शर्तो के नियम की पालना नही करते हुये कोई वृक्षा रोपण नही किया है। इस कारण माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है।
2. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डो पैरामीटर के हिसाब कम्पनी एसोसिएट्स नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पैरामीटर के विपरीत जाकर 10 मीटर नदी में गहरी खाया तबदील कर रखा है जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। यह सी0ई0सी0 के नियमों का उल्लघंन है।
3. यह कि उक्त एसोसिएट्स द्वारा टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि में से फसलों को खराब करने हेतु अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होता है

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner

क्योकि किसानो द्वारा लगाये जाने फसलो को नुकसान होता है तथा पर्यावरण दृष्टि से हरे पेड व पौधो को नुकसान पहुंचाया जाता है। तथा आम राहगीरो के वास्ते बनाई गई सडको का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से उक्त एसोसिएट्स को माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

4. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतो पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लाई जाती है तथा अवैध रूप से किये जाने वाले प्राईवेट कृषि आराजियात पर भण्डारण को जब्त नहीकिया जाता है बल्कि उक्त एसोसिएट्स को मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड किया जा रहा है।

5. यह कि खनन पानी में किया जाता रहा है खनन 45 पैरामीटर छोडकर नियमों में किसानो के कुओ को छोडकर करना होता है जो नही कर रहा है। खनन के उपरान्त जमीन को समतल करना होता है क्योकि पानी का बहाव नही रूके जमीन समतल नही कर रहा हैजिससे कि पानी का बहाव रूक रहा है। खनन कार्यो के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नही लगा रहा है।

6. यह कि नदी के जल स्तर से नीचे खनन कार्य किया जा रहा है तथा दोनो तरफ के प्रमुख , पुलो , राजमार्गो से एक किलोमीटर दायरे में रैत व बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपस्ट्रीम की तरफ पुल या सार्वजनिक नागरिक सरंचना (पानी के सेवन विदुओं सहित) के पांच गुना दायरे में और डाउनस्ट्रीम की तरफ 10 गुना दायरे में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है।

7. यह कि दिनांक 26.05.2025 को ए0डी0एम0 टोंक क्षेत्रीय अधिकारी आर0पी0सी0डी0 बून्दी, एस0डी0एम0 टोडारायसिंह , तहसीलदार टोडारायसिंह व अन्य अधिकारियों जनप्रतिनियों , पत्राकारो की उपस्थिति में लोक जनसुनवाई में 17 राजस्व गांव कुरास्या, बनेडियाचारणान, कंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता , ठाठा , सैतीवास, जेथलिया, राधावल्लमपुरा ,मोरमाटियान, मोरडा, मोडियाला, छाणबाससूर्या , बरवास, एवं चूली तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 के गांवो को मिलाकर कुल 59 व्यक्तियों की उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाये थे, जिनमें उपरोक्त अधिकारियों की उपस्थिति भी रजिस्टर में हस्ताक्षर किये है जिनमे से सिर्फ तीन–चार ही व्यक्ति ही प्रभावित गांव के मौजूद थे उक्त एसोसिएट्स ने लोक जनसुनवाई में अपने काम करने वाले 40–50 लोगो को लेकर जनसुनवाई की खानापूर्ति करने के लिए जनसुनवाई स्थल पर उपस्थित हो गये। क्योकि उक्त एसोसिट्स द्वारा उक्त प्रभावित गांवो में कोई सूचना नही दी गई इस कारण आम जनता की अनुपस्थिति के कारण लोक जनसुनवाई दुवारा करवाकर उक्त एसोसिएट्स की माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

8. यह कि यदि मैसर्स चांडक एसोसिएटस द्वारा पूर्व में जारी 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक बजरी खनन करने हेतु अनुमति दी जाकर एवं माईनिंग हेतु प्रर्यावरण स्वीकृति दी जाती है तो आम जनता एवं समस्त जनप्रतिनिधि द्वारा उक्त चांडक एसोसिएट्स का भारी विरोध किया जाकर जनआन्दोलन किया जावेगा जिस कारण यदि किसी प्रकार की जनहानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं प्रशासक की रहेगी।

Scanned with CamScanner

अतः श्रीमान्‌जी से निवेदन है कि उक्त चांडक एसोसिएट्स द्वारा सी0ई0सी0 के किसी भी नियम का पालन नही कर रहा है इस कारण प्रर्यावरण स्वीकृति नही दी जावे, बजरी खनन हेतु एन0जी0टी0 की स्वीकृति नही दी जावे।

उक्त प्रकरण से संबंधित ग्राम गोलेड़ा, बल्लावता, डाडा, ककेलवाड़ बनास के किनारे बसे जो मेरी ग्राम पंचायत के गांव है।

प्रशासक
ग्राम पंचायत बस्सी
पं.स. टोडारायसिंह, टोंक

Scanned with CamScanner

JEE(P)
27/8/25

कार्यालय ग्राम पंचायत कंवरावास प.स. टोडारायसिंह (टोंक)

प्रेषक :–
रामपाल गुर्जर
उप प्रशासक
ग्राम पंचायत कंवरावास
मोबा. 7229851771

प्रेषिति :–
माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
जयपुर

क्रमांकः–

दिनांक :– 26/5/2025

सेवामें,

श्रीमान् मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
जयपुर राज0

विषय– मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़ाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

प्रसंग– विज्ञापन संख्या आर0पी0सी0बी0 / आर0ओ0 यूँन्दी पी0यू0बी0 134/261 दिनांक 07.05.2025 के संदर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढ़ाई जाने हेतु लोक आपत्तियां मांगी गई है। जिस पर आम जनता व जनप्रतिनियों की ओर से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :–

1. यह कि उक्त एसोसिएट्स ने पूर्व में माईनिंग की शर्तों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुये, पर्यावरण अधिकारी का हनन किया है। माईनिंग शर्तों के नियम की पालना नही करते हुये कोई वृक्षा रोपण नही किया है। इस कारण माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है।
2. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डो पैरामीटर के हिसाब कम्पनी एसोसिएट्स नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पैरामीटर के विपरीत जाकर 10 मीटर नदी में गहरी खाया तबदील कर रखा है जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। यह सी0ई0सी0 के नियमों का उल्लघंन है।
3. यह कि उक्त एसोसिएट्स द्वारा टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि में से फसलो को खराब करने हेतु अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होता है

Scanned with CamScanner

क्योकि किसानो द्वारा लगाये जाने फसलो को नुकसान होता है तथा पर्यावरण दृष्टि से हरे पेड व पौधो को नुकसान पहुंचाया जाता है। तथा आमराहगीरो के वास्ते बनाई गई सडको का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से उक्त एसोसिएट्स को माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

4. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतो पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लाई जाती है तथा अवैध रूप से किये जाने वाले प्राईवेट कृषि आराजियात पर भण्डारण को जब्त नहीकिया जाता है बल्कि उक्त एसोसिएट्स को मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड किया जा रहा है।

5. यह कि खनन पानी में किया जाता रहा है खनन 45 पैरामीटर छोडकर नियमों में किसानो के कुओ को छोडकर करना होता है जो नही कर रहा है। खनन के उपरान्त जमीन को समतल करना होता है क्योकि पानी का वहाव नही रूकें जमीन समतल नही कर रहा हैजिससे कि पानी का बहाव रूक रहा है। खनन कार्यो के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नही लगा रहा है।

6. यह कि नदी के जल स्तर से नीचे खनन कार्य किया जा रहा है तथा दोनो तरफ के प्रमुख , पुलो , राजमार्गो से एक किलोमीटर दायरे में रैत व बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपस्ट्रीम की तरफ पुल या सार्वजनिक नागरिक सरंचना (पानी के सेवन बिदुओं सहित) के पांच गुना दायरे में और डाउनस्ट्रीम की तरफ 10 गुना दायरे में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है।

7. यह कि दिनांक 26.05.2025 को ए0डी0एम0 टोंक क्षेत्रीय अधिकारी आर0पी0सी0डी0 बून्दी, एस0डी0एम0 टोडारायसिंह , तहसीलदार टोडारायसिंह व अन्य अधिकारियों जनप्रतिनियों , पत्राकारो की उपस्थिति में लोक जनसुनवाई में 17 राजस्व गांव कुरास्या, बनेडियाचारणान, कंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता , ठाठा , सैंतीवास, जेथलिया, राधाबल्लभपुरा ,मोरभाटियान, मोरडा, मोडियाला, छाणबाससूर्या , बरवास, एवं चूली तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 के गांवो को मिलाकर कुल 59 व्यक्तियों की उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाये थे, जिनमें उपरोक्त अधिकारियों की उपस्थिति भी रजिस्टर में हस्ताक्षर किये है जिनमे से सिर्फ तीन–चार ही व्यक्ति ही प्रभावित गांव के मौजूद थे उक्त एसोसिएट्स ने लोक जनसुनवाई में अपने काम करने वाले 40–50 लोगो को लेकर जनसुनवाई की खानापूर्ति करने के लिए जनसुनवाई स्थल पर उपस्थित हो गये। क्योकि उक्त एसोसिट्स द्वारा उक्त प्रभावित गांवो में कोई सूचना नही दी गई इस कारण आम जनता की अनुपस्थिति के कारण लोक जनसुनवाई दुबारा करवाकर उक्त एसोसिएट्स की माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

8. यह कि यदि मैसर्स चांडक एसोसिएटस द्वारा पूर्व में जारी 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक बजरी खनन करने हेतु अनुमति दी जाकर एवं माईनिंग हेतु प्रर्यावरण स्वीकृति दी जाती है तो आम जनता एवं समस्त जनप्रतिनिधि द्वारा उक्त चांडक एसोसिएट्स का भारी विरोध किया जाकर जनआन्दोलन किया जावेगा जिस कारण यदि किसी प्रकार की जनहानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं प्रशासक की रहेगी।

Scanned with CamScanner

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त चांडक एसोसिएट्स द्वारा सी0ई0सी0 के किसी भी नियम का पालन नही कर रहा है। इस कारण प्रर्यावरण स्वीकृति नही दी जावें, बजरी खनन हेतु एन0जी0टी0 की स्वीकृति नही दी जावें। हमारी ग्राम पंचायत के ग्राम सालग्यावास, कंवरावास, चन्दपुरा, व बनेडियाचारणान गांव है जहॉ अवैध खनन होता है।

Rampal

उप प्रशासक
ग्राम पंचायत कंवरावास
पंचायत समिति टोडारायसिंह

Scanned with CamScanner

JEE (P)
27/5/25

सेवामें,

श्रीमान् मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
जयपुर राज0

विषय— मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु प्रर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

प्रसंग— विज्ञापन संख्या आर0पी0सी0बी0 / आर0ओ0 बून्दी पी0यू0बी0 134/261 दिनांक 07.05.2025 के संदर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढाई जाने हेतु लोक आपत्तियां मांगी गई है। जिस पर आम जनता व जनप्रतिनियों की ओर से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :—

1. यह कि उक्त एसोसिएट्स ने पूर्व में माईनिंग की शर्तो की पूरी तरह से अवहेलहना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुये पर्यावरण अधिकारी का हनन किया है। माईनिंग शर्तो के नियम की पालना नही करते हुये कोई वृक्षा रोपण नही किया है। इस कारण माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है।
2. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डो पैरामीटर के हिंसाब कम्पनी एसोसिएट्स नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पैरामीटर के विपरीत जाकर 10 मीटर नदी में गहरी खाया तबदील कर रखा है जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। यह सी0ई0सी0 के नियमों का उल्लघंन है।
3. यह कि उक्त एसोसिएट्स द्वारा टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि में से फसलो को खराब करने हेतु अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होता है

Scanned with CamScanner

क्योकि किसानो द्वारा लगाये जाने फसलो को नुकसान होता है तथा पर्यावरण दृष्टि से हरे पेड व पौधो को नुकसान पहुंचाया जाता है। तथा आमराहगीरो के वास्ते बनाई गई सडको का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से उक्त एसोसिएट्स को माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

4. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतो पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लाई जाती है तथा अवैध रूप से किये जाने वाले प्राईवेट कृषि आराजियात पर भण्डारण को जब्त नहीकिया जाता है बल्कि उक्त एसोसिएट्स को मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड किया जा रहा है।

5. यह कि खनन पानी में किया जाता रहा है खनन 45 पैरामीटर छोडकर नियमों में किसानो के कुओ कों छोडकर करना होता है जो नही कर रहा है। खनन के उपरान्त जमीन को समतल करना होता है क्योकि पानी का बहाव नही रूके जमीन समतल नही कर रहा हैजिससे कि पानी का बहाव रूक रहा है। खनन कार्यो के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नही लगा रहा है।

6. यह कि नदी के जल स्तर से नीचे खनन कार्य किया जा रहा है तथा दोनो तरफ के प्रमुख , पुलो , राजमार्गो से एक किलोमीटर दायरे में रैत व बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपस्ट्रीम की तरफ पुल या सार्वजनिक नागरिक सरंचना (पानी के सेवन बिदुओं सहित) के पांच गुना दायरे में और डाउनस्ट्रीम की तरफ 10 गुना दायरे में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है।

7. यह कि दिनांक 26.05.2025 को ए0डी0एम0 टोंक क्षेत्रीय अधिकारी आर0पी0सी0डी0 बूॅन्दी, एस0डी0एम0 टोडारायसिंह , तहसीलदार टोडारायसिंह व अन्य अधिकारियों जनप्रतिनियों , पत्राकारो की उपस्थिति में लोक जनसुनवाई में 17 राजस्व गांव कुरास्या, बनेडियाचारणान, कंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता , ठाठा , सैतीवास, जेथलिया, राधाबल्लभपुरा ,मोरभाटियान, मोरडा, मोडियाला, छाणबाससूर्या , बरवास, एवं चूली तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 के गांवो को मिलाकर कुल 59 व्यक्तियों की उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाये थे, जिनमें उपरोक्त अधिकारियों की उपस्थिति भी रजिस्टर में हस्ताक्षर किये है जिनमे से सिर्फ तीन–चार ही व्यक्ति ही प्रभावित गांव के मौजूद थे उक्त एसोसिएट्स ने लोक जनसुनवाई में अपने काम करने वाले 40–50 लोगो को लेकर जनसुनवाई की खानापूर्ति करने के लिए जनसुनवाई स्थल पर उपस्थित हो गये। क्योकि उक्त एसोसिट्स द्वारा उक्त प्रभावित गांवो में कोई सूचना नही दी गई इस कारण आम जनता की अनुपस्थिति के कारण लोक जनसुनवाई दुबारा करवाकर उक्त एसोसिएट्स की माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

8. यह कि यदि मैसर्स चांडक एसोसिएटस द्वारा पूर्व में जारी 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक बजरी खनन करने हेतु अनुमति दी जाकर एवं माईनिंग हेतु प्रर्यावरण स्वीकृति दी जाती है तो आम जनता एवं समस्त जनप्रतिनिधि द्वारा उक्त चांडक एसोसिएट्स का भारी विरोध किया जाकर जनआन्दोलन किया जावेगा जिस कारण यदि किसी प्रकार की जनहानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं प्रशासक की रहेगी।

Scanned with CamScanner

जिला पारिषद सदस्य
9950517372
रलावता

EX - मण्डल अध्यक्ष पूर्व मोर्चा BJP (अरविन्द क्षत्रिय)
रलावता 8290603141

(गुरदास)
(9929972733)

धीताराम रलावता
9829777851

कालूराम सेंदीवाल
8920220676

पूर्व सरपंच मोडियाल

शिवराजसिंह
मोडियाल
9521298254

मोहनलाल
8696174304

राजेन्द्र
मण्डल अध्यक्ष
BJP मो.

बाबूलाल (बाबू लाल मीणा)
(प्रधानाध्यक्ष)
9784824709

Scanned with CamScanner

ई एच सी (पी)
25/5/25

कार्यालय पंचायत समिति टोडारायसिंह (टोंक)

प्रेषक :-
सीता देवी गुर्जर
प्रधान
पंचायत समिति टोडारायसिंह
मोबा. 9414081210

प्रेषिति :-
श्रीमान मुख्यमंत्री महो.
राज. सरकार जयपुर

क्रमांक:-

दिनांक :- 26.5.25

सेवामे,

श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
जयपुर राज०

विषय— मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम०एल० द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी०पी०ए० से बढाकर 8.2 मिलियन टी०पी०ए० तक करने हेतु माईनिंग हेतु प्रर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

प्रसंग— विज्ञापन संख्या आर०पी०सी०बी० / आर०ओ० बूंन्दी पी०यू०बी० 134/261 दिनांक 07.05.2025 के संदर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तार्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम०एल० को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढाई जाने हेतु लोक आपत्तियां मांगी गई है। जिस पर आम जनता व जनप्रतिनियों की ओर से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :—

1. यह कि उक्त एसोसिएट्स ने पूर्व में माईनिंग की शर्तो की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुये पर्यावरण अधिकारी का हनन किया है। माईनिंग शर्तो के नियम की पालना नही करते हुये कोई वृक्षा रोपण नही किया है। इस कारण माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है।
2. यह कि माईनिग स्वीकृति के मापदण्डो पैरामीटर के हिसाब कम्पनी एसोसिएट्स नदी क्षेत्र मे 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पैरामीटर के विपरीत जाकर 10 मीटर नदी में गहरी खाया तबदील कर रखा है जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। यह सी०ई०सी० के नियमो का उल्लघंन है।
3. यह कि उक्त एसोसिएट्स द्वारा टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि में से फसलों को खराब करने हेतु अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होता है

Scanned with CamScanner

क्योकि किसानो द्वारा लगाये जाने फसलो को नुकसान होता है तथा पर्यावरण दृष्टि से हरे पेड व पौधो को नुकसान पहुंचाया जाता है। तथा आमराहगीरो के वास्ते बनाई गई सडको का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से उक्त एसोसिएट्स को माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

4. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतो पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लाई जाती है तथा अवैध रूप से किये जाने वाले प्राईवेट कृषि आराजियात पर भण्डारण को जब्त नहीकिया जाता है बल्कि उक्त एसोसिएट्स को मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड किया जा रहा है।

5. यह कि खनन पानी में किया जाता रहा है खनन 45 पैरामीटर छोडकर नियमों में किसानो के कुओ को छोडकर करना होता है जो नही कर रहा है। खनन के उपरान्त जमीन को समतल करना होता है क्योकि पानी का बहाव नही रूके जमीन समतल नही कर रहा हैजिससे कि पानी का बहाव रूक रहा है। खनन कार्यो के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नही लगा रहा है।

6. यह कि नदी के जल स्तर से नीचे खनन कार्य किया जा रहा है तथा दोनो तरफ के प्रमुख , पुलो , राजमार्गो से एक किलोमीटर दायरे में रैत व बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपस्ट्रीम की तरफ पुल या सार्वजनिक नागरिक सरंचना (पानी के सेवन बिदुओं सहित) के पांच गुना दायरे में और डाउनस्ट्रीम की तरफ 10 गुना दायरे में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है।

7. यह कि दिनांक 26.05.2025 को ए0डी0एम0 टोंक क्षेत्रीय अधिकारी आर0पी0सी0डी0 बूॅन्दी, एस0डी0एम0 टोडारायसिंह , तहसीलदार टोडारायसिंह व अन्य अधिकारियों जनप्रतिनियों , पत्राकारो की उपस्थिति में लोक जनसुनवाई में 17 राजस्व गांव कुरास्या, बनेड़ियाचारणान, कंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता , ठाठा , सैतीवास, जेथलिया, राधाबल्लभपुरा ,मोरभाटियान, मोरडा, मोडियाला, छाणबाससूर्या , बरवास, एवं चूली तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 के गांवो को मिलाकर कुल 59 व्यक्तियों की उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाये थे, जिनमें उपरोक्त अधिकारियों की उपस्थिति भी रजिस्टर में हस्ताक्षर किये है जिनमे से सिर्फ तीन–चार ही व्यक्ति ही प्रभावित गांव के मौजूद थे उक्त एसोसिएट्स ने लोक जनसुनवाई में अपने काम करने वाले 40–50 लोगो को लेकर जनसुनवाई की खानापूर्ति करने के लिए. जनसुनवाई स्थल पर उपस्थित हो गये। क्योंकि उक्त एसोसिट्स द्वारा उक्त प्रभावित गांवो में कोई सूचना नही दी गई इस कारण आम जनता की अनुपस्थिति के कारण लोक जनसुनवाई दुबारा करवाकर उक्त एसोसिएट्स की माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

8. यह कि यदि मैसर्स चांडक एसोसिएटस द्वारा पूर्व में जारी 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक बजरी खनन करने हेतु अनुमति दी जाकर एवं माईनिंग हेतु प्रर्यावरण स्वीकृति दी जाती है तो आम जनता एवं समस्त जनप्रतिनिधि द्वारा उक्त चांडक एसोसिएट्स का भारी विरोध किया जाकर जनआन्दोलन किया जावेगा जिस कारण यदि किसी प्रकार की जनहानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं प्रशासक की रहेगी।

Scanned with CamScanner

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त चांडक एसोसिएट्स द्वारा सी०ई०सी० के किसी भी नियम का पालन नही कर रहा है इस कारण प्रर्यावरण स्वीकृति नही दी जावे, बजरी खनन हेतु एन०जी०टी० की स्वीकृति नही दी जावे।

दिनांक 26/5/2025

सुनीता
प्रधान
पंचायत समिति टोडारायसिंह
जिला टोंक (राज.)

आम जनता
कुरास्या, बनेडियाचारणान, कंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता, टाटा, सैंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोरभाटियान, मोरडा, मोडियाला, छाणवासासूर्या, बरवास, एवं चूली तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज०

9414081210

रामचन्द्र पूर्व सरपंच

D. R.

RP गुर्जर
9982836150
ग्राम नाथ पूर्व

हंसराज मीना
जिला परिषद सदस्य
9950517372

EX. उपसरपंच
रलावता 8290603150

(ग्राम छाणवासासूर्या)

(9929972733)

धीतर रलावता
9829777851

रलावता

कालराम सैंतीवास
8920220676

पूर्व सरपंच
मोडियाला

8696174304

मोडियाला
9521298254

(कालू लाल मीणा)
9784824709

मण्डल अध्यक्ष
BJP

रसाकर स्वागत किया, महिलाओं ने भजन गाए

ा निकाली, पहले दिन ा का महात्म्य बताया

टोंक। श्रीमदभागवत कथा को लेकर कलशयात्रा निकाली गई।

राम नाम का महत्व बताया, नशा मुक्ति का संदेश

पचेवर | कुराड़ के स्याह गांव स्थित बालाजी मंदिर प्रांगण में राम सभा हुई। सभा में राम नाम के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम संयोजक विक्रम सिंह ने बताया कि रामद्वारा जयपुर के आदि संत सतगुरु सुखराम महाराज के कैवल्य ज्ञान-विज्ञान का प्रचार-प्रसार किया गया। यह प्रवचन स्वयं सेवक हरीश सिंह ने दिया। । हरीश सिंह ने बताया कि राम सभा किसी भी जाति या समाज का व्यक्ति करवा सकता है। यह पूरी तरह निःशुल्क होती है। सिंह ने कहा कि राम नाम के सुमिरन से सभी दुखों का नाश होता है।

समाज के सारथी इस सप्ताह... निष्काम गोसेवा संस्थान

टोडारायसिंह में निष्काम गो सेवा तंत्र संस्थान असहाय गायों की सेवा कर रहा

संस्था के बारे में ... बीमार, असहाय और एक्सीडेंटल गोमाताओं की सेवा निस्वार्थ भाव से करती है।

उद्देश्य ... गोमाता को फिर से सम्मान दिलाना। लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक सहयोग करें।

टोडारायसिंह | कस्बे में स्थित निष्काम गो सेवा तंत्र संस्थान जहां बीमार, असहाय और एक्सीडेंटल गोमाताओं की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है। साल 2020 में शुरू हुए इस संस्थान से अब तक तीन हजार से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं।

ये युवा 100 किलोमीटर दूर तक घायल या बेसहारा गोमाताओं को एंबुलेंस से लाकर इलाज करते हैं। संस्थान की शाखाएं अब अन्य जिलों में भी सक्रिय हैं। संस्था के सुनिल पारीक ने बताया कि जयपुर रोड पर स्थित इस केंद्र में फिलहाल 150 जख्मी गोमाताओं की सेवा हो रही है। अब तक करीब 8000 गोमाताओं का इलाज किया जा चुका है। संस्थान में वेटरनरी की पढ़ाई कर चुके युवा भी सेवा दे रहे हैं। सभी सेवादार एक समान भाव से काम करते हैं। संस्थान किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है। सेवा के साथ-साथ गोरक्षा भी इन युवाओं की प्राथमिकता है। संस्थान जनता के दान से चलता है। यहां राधा-कृष्ण और कांकरा बालाजी के सान्निध्य में सेवा होती है। गोमाता की पीड़ा को दूर करने के लिए ये युवा हर हद पार करने को तैयार रहते हैं।

गायों के उपचार की व्यवस्था - गो चिकित्सालय में दो एंबुलेंस हैं। जिनमें जख्मी गायों को लाया जाता है। गोशाला के पास दो एंबुलेंस है। एंबुलेंस में वेटनरी डॉक्टर, मेडिकल किट, गोमाता उठाने के टूल्स उपलब्ध हैं। गोशाला में एक आईसीयू वार्ड बना हुआ है। जहां वेटनरी उनका उपचार करते है। दवाई का 1 माह का खर्चा लगभग 60 हजार रुपए आता है। इसी प्रकार लगभग 4 लाख रुपए माह में सभी मदों में खर्च हो जाता है।

चारे की व्यवस्था - गायों के लिए चारे की व्यवस्था आमजन के सहयोग से होती है। कई बार खेतों से चारा भर कर लाना पड़ता है। कई बार दयालु लोग स्वयं पैसे खर्च कर डलवा देते है।

यहां संपर्क करें

निष्काम गो सेवा तंत्र संस्थान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 8302968796, 6377986774 पर संपर्क किया जा सकता है।

न विश्वकर्मा की प्राण- प्रतिष्ठा हुई

पर बने में प्राण उत्साह र और सभी यों के हूर्त में वकर्मा लगाने

वाले परिवारों ने क्रम से प्रतिष्ठा का लाभ लिया। बृजमोहन जांगिड़ कैथूदा ने तीन लाख एक हजार रुपए की बोली लगाकर प्रतिष्ठा करवाई। मंदिर शिखर पर स्वर्ण कलश मंत्रोच्चार के साथ चढ़ाया गया। शिखर पर दंड और ध्वजा भी रोहण की गई। हरिहरात्मक पंचकुंडीय यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महाआरती हुई। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। यज्ञ कराने वाले आचार्य और पंडितों का मंदिर समिति ने शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया। आचार्य पंडित शास्त्री ने विधिवत महोत्सव सम्पन्न करवाया। कार्यक्रम में देवली-उनियारा विधायक राजेन्द्र गुर्जर ने कहा कि भारत की भूमि भगवान राम और कृष्ण की पावन भूमि है। जब-जब पाप बढ़ा, भगवान ने भारत में जन्म लिया। विधायक गुर्जर ने सामुदायिक भवन के लिए दस लाख रुपए देने की घोषणा की। जिला प्रमुख सरोज बंसल ने मंदिर में पांच लाख रुपए से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। कार्यक्रम में रामगोपाल सुथार, राकेश जांगिड़, घनश्याम पंवार, राजेन्द्र गुर्जर, सरोज नरेश बंसल, बद्रीलाल बिडौली, परमेश्वर जांगिड़, अमोलक जांगिड़, हनुमान प्रसाद जांगिड़, विष्णु जांगिड़ सहित कई लोग मौजूद रहे।

हे रहे हैं श्रद्धालु

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board LiFE Lifestyle for Environment

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-134/232 Date : 03/05/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई स्थगन के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स चांड़क एसोसिएट्स, एम.एल.नम्बर - 8/2012, खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेड़िया चारणान, कॅवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेड़ा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरड़ा, मोडियाला, छानमयवाससुर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक की रिवरबेड सेण्ड (माईनर मिनरल), खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 Million TPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 03.05.2025 को समय प्रातः 11.00 बजे स्थान - पंचायत समिति सभागार, टोडारायसिंह, तहसील टोड़ारायसिंह, जिला टोंक में जनसुनवाई नियत की गई थी। उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18553 दिनांक 02.05.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है।
2. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533(ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई स्थगन हेतु इस आशय की सूचना दी जानी अनिवार्य है।

भवदीय (शिव कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी

भास्कर CLASSIFIED

BhaskarAd.com

Classified Ad ऑनलाइन बुक करें-

Call: 9772019222

उनियारा

टोंक

प्रतिभाओं का सम्मान

...हल्या बाई पुरस्कार

...पहाड़ी ने बताया कि ...लाने वाले, कक्षा 1 से ...ने वालों और उच्च शिक्षा ...र्वाधिक अंक लाने वालों ...किया गया। समारोह के ... निर्माण कार्य पर चर्चा ...ों ने निर्माण के लिए राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम के अंत में भगवान महर्षि गौतम की सामूहिक आरती हुई। इस मौके पर श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज विकास समिति अध्यक्ष जगमोहन गौतम, श्री गौतम नवयुवक मंडल अध्यक्ष रविंद्र शर्मा सहित गौतम समाज के कई लोग मौजूद रहे।

...8 इंजन पानी बहा, सप्लाई बाधित

... हो गया। पाइपलाइन में ... 7 से 8 इंजन के बराबर ...या। खेतों और सड़क पर ...मीणों की सूचना के बाद ...किशन चौधरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने थडोली फिल्टर प्लांट से पानी की सप्लाई बंद करवाई। टीम ने युद्ध स्तर पर लीकेज ठीक करने का काम शुरू किया। शाम तक मरम्मत पूरी होने की संभावना है।

बावड़ी गांव में अवैध नल कनेक्शन हटाए

टोडारायसिंह| बावड़ी में अवैध नल कनेक्शन के मामले में 15 लोगों के नाम सामने आए हैं। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता माला राम जाट ने सोमवार को हटाने की कार्रवाई की। साथ ही इन सभी को नोटिस जारी किया है। एईएन ने बताया कि सूची में रामअवतार पुत्र जगदीश, रामप्रसाद पुत्र हरिनाथ, रूपनारायण पुत्र हरिनाथ, रामचंद्र पुत्र गोविंदराम माली, हेमराज पुत्र देवकरण, शंकरलाल पुत्र किशनलाल, सीताराम पुत्र केसरा बैरवा, सांवर मल पुत्र रामजीवन, नंदकिशोर पुत्र घासी, घासी माली, हनुमान पुत्र रामनिवास, स्वप्न सरकार पुत्र अर्हन सरकार, रामफूल, श्रवण पुत्र जगन्नाथ और रामेश्वर के नाम शामिल हैं। जलदाय विभाग ने सभी को नोटिस दिया है। अवैध नल कनेक्शन को लेकर जलदाय की टीम लगातार जांच कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेनल्टी वसूली जाएगी। कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।

शांतिनाथ के दर्शन कर की शांति धारा

टोडारायसिंह| कस्बे के जयपुर रोड स्थित श्री पदम प्रभु जिनालय में चारित्र महोदधि आर्यिका 105 विष्णु प्रभा माताजी ने सुबह टोडारायसिंह पहाड़ पर स्थित जैन नसियां में 1008 भगवान शांतिनाथ के दर्शन किए।

अभिषेक और शांति धारा की विधि संपन्न कराई। सायंकाल आनंद यात्रा में बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर शैली दीदी ने प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, पूरे विश्व में 24 तीर्थंकरों में सबसे अधिक मंदिर 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के हैं। झारखंड की तपोभूमि सम्मेद शिखर पर्वत पर सबसे ऊंचे पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि पार्श्वनाथ भगवान के ही सबसे ज्यादा भक्त हैं। आगम के अनुसार सभी तीर्थंकर समान होते हैं। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता।

...संध्या

...तियां से

...हा मन

...द्यालयों के छात्र-छात्राएं मौजूद ...कृष्णा शर्मा एंड पार्टी ने घूमर एवं ...बेलिया नृत्य प्रस्तुत कर खूब ...यां बटोरी। ज्योति शर्मा एंड पार्टी ...ें पर एकली नृत्य पेश किया।

...क पहाड़िया एंड पार्टी ने भवई ...से उपस्थित जनों का मनोरंजन ...। ग्रामीण भवई नृत्य प्रस्तुत ... लालचंद एंड पार्टी, बिजना ... नृत्य सिमरन शर्मा एंड पार्टी ...डिग्गी पूरी का राजा राजू लाल ... एंड पार्टी ने राजस्थान की ...रिक संस्कृति और लोक कला ...बरू कराया। पूरे कार्यक्रम के ... कृषि ऑडिटोरियम तालियों ...गूंजता रहा। मंच संचालन ...याल गुप्ता ने किया।

कर्नल बैंसला की पुण्यतिथि मनाई

निवाई| वीर गुर्जर छात्रावास में एमबीसी आरक्षण के संयोजक रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। समाज के लोगों ने कर्नल बैंसला को याद करते हुए उनके पदचिह्नों पर चलने का आह्वान किया। कहा कि समाज में अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, कर्ज मुक्त जीवन और पढ़ी-लिखी मां जरूरी है। कर्नल बैंसला ने समाज को नई दिशा दी। आज समाज की प्रगति उन्हीं की देन है। सभा में प्रधान रामअवतार लांगड़ी, वीर गुर्जर छात्रावास संस्था के अध्यक्ष रामभजन गुर्जर, मांगीलाल गुर्जर, शंकर पडियार, श्योजीराम फौजी, महामंत्री गिरिराज गुर्जर, रामकिशन बहादुरपुरा, देवनारायण गुर्जर, रामकिशन जीवली मौजूद रहे। श्रीगुरु कृपा कार्यालय में भी कर्नल बैंसला की तृतीय पुण्यतिथि मनाई गई। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के अध्यक्ष अशोक लांगड़ी ने बताया कि कर्नल साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

श्री मीनेष भगवान की जयंती मनाई

टोंक| मीना समाज के आराध्य देव श्री मीनेष भगवान की जयंती मीणा छात्रावास एवं अध्ययन संस्थान टोंक में सोमवार को मनाई गई।

इस मौके पर भगवान श्री विष्णु के अवतार की जयंती के अवसर पर मीणा समाज की ओर से समाज के विकास एवं उत्थान पर चर्चा भी की गई। तुलसीराम मीणा ने बताया कि आगामी एक वर्ष की अवधि में मीणा छात्रावास के अधूरे भवन निर्माण का कार्य पूरा कर इसे गरीब व होनहार बच्चों के लिए संचालित कर दिया जाएगा। जयंती के मौके पर लड्डूलाल, कमलेश, हेमराज भरतलाल, गिर्राज, आशाराम, राजेन्द्र, अशोक आदि मौजूद रहे।

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board LiFE

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail: rorpch.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-134/3223 Date: 26/03/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :– मैसर्स चांड़क एसोसिएट्स, एम. एल. नम्बर–8/2012, खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेडिया चारणान, कॅवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरडा, मोडियाला, छानमयबाससूर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित रिवरबेड सेण्ड (माइनर मिनरल) माइनिंग परियोजना की उत्पादन क्षमता विस्तार **3.0 Million TPA (ROM)** से **8.2 Million TPA (ROM)** हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स चांड़क एसोसिएट्स सेण्ड एम. एल. नम्बर–8/2012, खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेडिया चारणान, कॅवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरडा, मोडियाला, छानमयबाससूर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 MillionTPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ओवदन राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि,मैसर्स चांड़क एसोसिएट्स, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्ड़ल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533(ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय–समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई हेतु इस आषय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :– **(i)** कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक। **(ii)** कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक। **(iii)** कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक। **(iv)** पंचायत समिति, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक। **(vi)** उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह, जिला टोंक। **(v)** क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए–218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। **(vii)** सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। **(viii)** निदेषक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। **(ix)** क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी। **(x)** कार्यालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/14341 दिनांक 25.03.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.05.2025 (शनिवार) को स्थान–पंचायत समिति सभागार, टोड़ारायसिंह, तहसील टोड़ारायसिंह, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय (शिव कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी

TANT"

cceptance of advertising
/ its contents. The Indian
held responsible for such
damage incurred as a
npanies, associations or
wspapers or Publications.
d that readers make
sending any monies or
nts with advertisers or
rtisement in any manner

)51. Maharashtra, India.

ormerly Known as M/s. Adani Housing
Corporate Affairs, herein after refer to
on of loan dues from borrower/s, in the
vill be done by the undersigned through

Notice Date / ding Amount ured debt)	Reserve Price (RP) / EMD / Bid Increase Amount
13-May-24 Rs. 952525/- As On Date 09-May-24	Rs.900000/- Rs.90000/- Rs.1000/-
12-Aug-24 Rs. 1560511/- As On Date 09-Aug-24	Rs.1570000/- Rs.157000/- Rs.1000/-

ne: ICICI BANK
D, IFSC Code: ICIC0000106
M
ri - 9001607018

ending bidders should make their own
perty, prior to submitting their bid. The
ank. The property is being sold with all
not be responsible in any way for any

e bid. The inspection of property/ies put

sword can be obtained free of cost by
T in the account mentioned above.
e following documents uploaded in the
d Draft; ii) Copy of PAN Card; iii) Proof
id is liable to be rejected. UPLOADING
DULY FILLED UP & SIGNING IS ALSO
Documents, Training/ Demonstration on
medabad 380 009,Gujarat, India E-mail
6354910183 Karan Modi - 7016716557.
1491,e-mail ID: ajay.kumar2@tyger.in

d in Point No.4)] on/ before **04-May-25**
be eligible for participating the e-Auction

or its multiple and in case bid is placed
me till the closure of e-Auction process),
osure of the e-Auction Process shall be

uccessful bidders shall be refunded. The
he EMD already paid, within 24 hours of
n such extended period as agreed upon
ount already deposited by the offer shall
property/ amount.
e-Auction. Neither the Authorised Officer/
e that they are technically well equipped

utory/ non-statutory dues, taxes, rates,

t any or all offer(s) or adjourn/ postpone/

M/s. i-Sourcing Technologies Pvt. Ltd.,

nce Pvt. Ltd nor Service provider will be
ted to make all necessary arrangements
auction successfully.

nd ancillary expenses before the date of

Sd/-
Authorised Officer
ger Home Finance Private Limited

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ।
एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

LiFE Lifestyle for Environment

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-412/3399 Date:-27-03-2025

पर्यावरणीय स्वीकृत समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुश्री प्रियंका मीणा पुत्री श्री सोमोत्य मीणा प्लॉट संख्या 222 ग्राम आकरोल द्वारा मैसनरी स्टोन खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. स	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1.	सुश्री प्रियंका मीणा पुत्री श्री सोमोत्य मीणा, खसरा संख्या 901/663	प्लॉट संख्या 222	1.6885	आकरोल	मैसनरी स्टोन	125050
2.	श्री हरफूल चौधरी	12/2022	4.5021	आकरोल	मैसनरी स्टोन	620250
3.	श्री हरफूल चौधरी	07/2022	2.1428	आकरोल	मैसनरी स्टोन	246000
4.	श्री हरफूल चौधरी	08/2022	1.0697	आकरोल	मैसनरी स्टोन	121500

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 9.4031 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1112800 टीपीए (आर.ओ.एम.) ग्राम आकरोल, तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि सुश्री प्रियंका मीणा पुत्री श्री सोमोत्य मीणा प्लॉट संख्या 222 ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकुति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है।उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार में लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3.उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ब्यावर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
5. तहसील कार्यालय बिजयनगर, जिला-ब्यावर।
6. ग्राम पंचायत शिवनगर, पंचायत समिति मसूदा, तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ब्यावर के पत्र क्रमांक कब्या/एफ-8(14)/सामान्य/2025/777 दिनांक 26.03.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 05.05.2025 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-ग्राम पंचायत शिवनगर, पंचायत समिति मसूदा, तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप /सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(निधि खण्डेलवाल)
वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail: rorpch.bundi@gmail.com

LiFE

No. RPCB/RO Bundi/PUB-134/3223 Date: 26/03/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :– मैसर्स चांड़क एसोसिएट्स, एम. एल. नम्बर–8/2012, खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेडिया चारणान, कॅवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरडा, मोडियाला, छानमयबाससूर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित रिवरबेड सेण्ड (माइनर मिनरल) माइनिंग परियोजना की उत्पादन क्षमता विस्तार **3.0 Million TPA (ROM)** से **8.2 Million TPA (ROM)** हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स चांड़क एसोसिएट्स सेण्ड एम. एल. नम्बर–8/2012, खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेडिया चारणान, कॅवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरडा, मोडियाला, छानमयबाससूर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 MillionTPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ओवदन राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि,मैसर्स चांड़क एसोसिएट्स, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्ड़ल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533(ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय–समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई हेतु इस आषय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :– **(i)** कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक। **(ii)** कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक। **(iii)** कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक। **(iv)** पंचायत समिति, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक। **(vi)** उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह, जिला टोंक। **(v)** क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए–218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। **(vii)** सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। **(viii)** निदेषक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। **(ix)** क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी। **(x)** कार्यालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/14341 दिनांक 25.03.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.05.2025 (शनिवार) को स्थान–पंचायत समिति सभागार, टोड़ारायसिंह, तहसील टोड़ारायसिंह, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय (शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी

Jaipur

BANGALORE WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD

Office of the Chief Engineer (Project),3rd Floor,
Cauvery Bhavan, K.G. Road, Bangalore - 560 009.

No.:BWSSB/CE(P)/ACE(Cstr&DCW)/2533/2024-25 Date:28.03.2025

INVITATION FOR TENDER
(Through KPP Portal only)

BWSSB invites tenders from two stage tenders eligible contractors for the work of **Project Monitoring Consultancy for the work of providing water supply feeder main, construction of Ground Level Reservoirs, Over Head Tanks and allied works for Dr. Shivaram Karantha Layout, Bengaluru.**
Amount put to tender : **Rs. 124.40 Lakhs.**
EMD: **Rs. 2.00 Lakhs.**
The last date and time for receipt of completed tenders is on **15.04.2025 upto 15:00 Hrs.** The bids will be opened on **16.04.2025 at 16.00 Hrs.** The details regarding the tender and participation in the e-procurement process can be obtained by logging on to **https://kppp.karnataka.gov.in** For further details contact undersigned office during the working hours.

DIPR/CP/JA/6000/2024-25 **Sd/- Chief Engineer(Project)**

RAJASTHAN STATE HIGHWAYS AUTHORITY, UNIT-JODHPUR

Toll Rate List for
Collection of User Fee on Bhawi-Pipar-Khimsar Highway (SH-86C)

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है की भावी पीपाड़-खींवसर (राज्य राजमार्ग-86C) किमी 0.00 से 97.00 किमी मे उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनो पर प्रयोक्ता शुल्क ग्राम घाणामगरा यथा किमी 3.00, ग्राम नाडातोड़ा यथा 48.000 किमी ग्राम मंगेरिया यथा 85.700 किमी पर स्थित टोल प्लाजाओ की संशोधित प्रयोक्ता उपयोगकर्ता शुल्क दरे (₹) दिनांक 01.04.2025 से निम्नानुसार है।

Bhavi-Sathin Section of SH-86C TP-1 (Ghanamagra)

Effective from 01.04.2025

S. No.	Category of Traffic	Revised rates for the FY 2025-26 (for single journey)	Revised rates for the FY 2025-26 (for Return journey)	Revised rates for the FY 2025-26 (for multiple journey)
1	Car, jeep, Van or LMV or Tractor with trolley carrying Non Agriculture produce	45	65	1475
2	LCV, LGV or Mini Bus	65	100	2245
3	Bus or Truck	135	200	4425
4	HCM Or EME or Multi Axle Vehicle (3 to 6 axle)	220	330	7370
5	Oversized vehicles (7 or More axles)	265	400	8845

Sathin-Palri Ranawata Section of SH-86C TP-2 (Nadatoda)

S. No.	Category of Traffic	Revised rates for the FY 2025-26 (for single journey)	Revised rates for the FY 2025-26 (for Return journey)	Revised rates for the FY 2025-26 (for multiple journey)
1	Car, jeep, Van or LMV or Tractor with trolley carrying Non Agriculture produce	50	75	1700
2	LCV, LGV or Mini Bus	80	115	2590
3	Bus or Truck	155	230	5095
4	HCM Or EME or Multi Axle Vehicle (3 to 6 axle)	255	380	8490
5	Oversized vehicles (7 or More axles)	305	460	10190

Palri Ranawata-Khinwsar Section of SH-86C TP-3 (Mangeria)

S. No.	Category of Traffic	Revised rates for the FY 2025-26 (for single journey)	Revised rates for the FY 2025-26 (for Return journey)	Revised rates for the FY 2025-26 (for multiple journey)
1	Car, jeep, Van or LMV or Tractor with trolley carrying Non Agriculture produce	40	60	1300
2	LCV, LGV or Mini Bus	60	90	1980
3	Bus or Truck	115	175	3900
4	HCM Or EME or Multi Axle Vehicle (3 to 6 axle)	195	290	6495
5	Oversized vehicles (7 or More axles)	235	350	7795

3. किसी टोल प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर रहने वाले गैर वाणिज्यिक वाहनों के स्वामी के लिए 300 रुपए मासिक दर पर इस राजमार्ग की एक निर्दिष्ट खण्ड को उपयोग करने के लिए पास बनाए जा सकेंगे जो इस राज्य राज मार्ग के दूसरे टोल प्लाजा से पहले तक मान्य होगा।
4. शुल्क की दरे सदस्य (डबल्यू, सी व ओ), राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अनुमोदित की गयी है।

Sd/- (Alok Malvia)
General Manager (Tech.) cum Project Director
Rajasthan State Highway Authority Jodhpur

No. PD/RSHA/JDP/SH-86C/2024-25/D-837, Date: 27.03.2025

OFFICE.: 9TH FLOOR, ANTRIKSH BHAWAN, 22 K.G. MARG, NEW DELHI - 110001,
ONES : 011-23357171, 23357172, 23705414 WEBSITE:-www.pnbhousing.com

Colony,DCM,Ajmer Road,Opp. Shiv Gyan Height, Jaipur, Rajasthan 302019

OTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

er of the PNB Housing Finance Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets rity Interest Act. 2002, and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of sued demand notice/s on the date mentioned against each account calling upon the respective nst each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice/s.
notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken w in exercise powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the ount.
al is hereby cautioned not to deal with he property/ies and any dealing with the property/ies will be , for the amount and interest thereon as per loan agreement. The borrowers' attention is invited to in respect of time available, to redeem the secured assets.

Amount Outstanding	Date of Possession Taken	Description of the Property/ies Mortgaged
s. 21,57,800.64/- (Rupees Twenty One Lakh Fifty Seven Thousand Eight Hundred and Sixty Four Paise Only)	29/04/25 Physical Possession	P.No. B-121, Vinayak Residency A B C, Jirota Shri Kishanpura, Sanganer, Jaipur Rajasthan 302029
s. 12,01,949.67/- (Rupees Twelve Lakh ne Thousand Nine Hundred Forty Nine and Sixty Seven Paise Only)	29/04/25 Physical Possession	FF Floor, 30, The Rise Plot No. 8 B, Sector-8, Pratap Nagar, Tonk Road, Sanganer Jaipur 302033

5 AUTHORIZED OFFICE, PNB HOUSING FINANCE LTD.

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

te Office: No. 167-169, 2nd Floor, Little Mount, Saidapet, Chennai-600015 | E-mail: auction@hindujahousingfinance.com
an: 2nd Floor, 212, 213, 214, Evershine Tower, F-1, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan -302021

POSSESSION NOTICE

er of Hinduja Housing Finance Limited (HHFL) under the Securitization and Reconstruction of Financial 2 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest der section 13(2) calling upon the below mentioned borrowers to repay the amount mentioned in the in 60 days from the date of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers f the said Act read with Rule 8 of the Security interest Enforcement Rules, 2002.

emand e Date & unt (Rs.)	Symbolic Possession Date & Amount	Description of the Secured Assets
0/2024 & 8,03,423/- as on 10/2024	30/04/2025 & Rs. 28,03,423/- as on 25/10/2024	All that part and parcel of the property situated at Near Morpankh Bhawan, Mukta Prasad Nagar Road, Sarvodiya Basti, Bikaner, Rajasthan Admeasuring Area 1368.05 Sq. Ft. Bounded By- North: Noor Mohd & Maina, South: Jaibun & Shokat Ali, East: Rasta, West: Ruksana & Shokat Ali
0/2024 & 7,90,096/- as on 10/2024	30/04/2025 & Rs. 27,90,096/- as on 25/10/2024	All that part and parcel of the property situated at Residential Property North side of Plot No. 06, Near Siyaram Ji Gufa ke Samne, Bikaner, Rajasthan - 334001 (Raj.) Admeasuring Area 840 Sq. Ft. Bounded By – North: Nanibaksh, South: Rest Land of Plot No. 06, East: Rasta, West: Banshilal Choudhary

M Nirmal Kumar – 8619071381; RRM Siddhartha Singh – 7891119990,
RLM Arun Kumar Singh – 9219488688

o –section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The eby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of n.

Date: 05.05.2025 Place: Bikaner (Authorised Officer) Hinduja Housing Finance Limited.

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

te Office: No. 167-169, 2nd Floor, Little Mount, Saidapet, Chennai-600015 | E-mail: auction@hindujahousingfinance.com
han: 2nd Floor, 212, 213, 214, Evershine Tower, F-1, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan -302021

POSSESSION NOTICE

er of Hinduja Housing Finance Limited (HHFL) under the Securitization and Reconstruction of Financial 2 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest nder section 13(2) calling upon the below mentioned borrowers to repay the amount mentioned in the in 60 days from the date of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers of the said Act read with Rule 8 of the Security interest Enforcement Rules, 2002.

er & owers	Demand Notice Date & Amount (Rs.)	Symbolic Possession, Symbolic Possession Date & Amount
NKI (Co-Borrower)	04/01/2025 Rs 185138/-	29/04/2025 Rs 185138/- as on 31/12/2024
part and parcel of the property situated at. Patta No 4066 Khasra No 194 Village Shobhagpura GP n, 325215, Admeasuring area:- 1621 Sq.Ft. Bounded by: North: H/O Raju S/O Ramswrup, South: Open		
L (Borrower) 2. Mr. DEBI LAL MALI SH MALI (Co-Borrower)	04/01/2025 Rs 6,80,580/-	29/04/2025 Rs 6,80,580/- as on 31/12/2024
rt and parcel of the property situated at. Patta no 37, Gram Ranikpura Gram Panchayat Chamanpura ring area:- 10632 Sq.Ft. Bounded by: North: Pathwari & Kui, South: Bhairu Mali, East: Panchayat Padat,		
NDRA SINGH S/O GOPAL SINGH GH HADA (Co-Borrower)	04/01/2025 Rs 25,32,286/-	29/04/2025 Rs 25,32,286/- as on 31/12/2024
and parcel of the property situated at. PLOT NO A 31, KHASRA NO. 1021, GREEN ROYAL CITY, DEOLI RA, , Kota , Rajasthan , India - 324001, admeasuring area:- 703 Sq.Ft. Bounded by: North: Aam Rasta, -32.		
han Kayamkhani (borrower) 2. Mr. mkhani (Co-Borrower)	04/01/2025 Rs 7,88,580/-	29/04/2025 Rs 7,88,580/- as on 31/12/2024
t and parcel of the property situated at PATTA NO-19, GRAM-AKBARPURA, GP-LAMBIYA KHURD, PS- ural , Bhilwara , Rajasthan , India - 311024, admeasuring area:- 4620 Sq.Ft. Bounded by: North: Nala & war Ali & Jalal Khan.		
KHA PATHAN (Borrower) 2. Mrs. KHA (Co-Borrower)	04/01/2025 Rs 6,47,039/-	29/04/2025 Rs 6,47,039/- as on 31/12/2024
and parcel of the property situated at PLOT NO. 34, ARAJI NO.3488/2691, GANDHI NAGAR, REVENUE Rajasthan , India - 311001, admeasuring area:- 928 Sq.Ft. Bounded by: North: Gali , South: Plot No. 33,		
OUHAR (Borrower) 2. Mr. RAKESH o-Borrower)	04/01/2025 Rs 6,19,169/-	29/04/2025 Rs 6,19,169/- as on 31/12/2024
t and parcel of the property situated at PATTA NO 11 GP-DEVARIYA PS- SHAPURA DIST-BHILWARA ,		

MHASLA NAGAR PANCHAYAT

Retender Notice 2025-26

MHASLA Nagar Panchayat invites online tender from Company/ Contractor/ Organisation for **Construction of New Administrative Building of Mhasla Nagar Panchayat at Savar, Tal.- Mhasla, Dist.- Raigad. (2025_DMA_1142575_2)** Retender will be available from **05.05.2025, 11.00 a.m.** to **12.05.2025, 05.00 p.m.** on official website **https://mahatenders.gov.in** Tender will be opened online on **13.05.2025 at 05.00 p.m.**

O.N./99 MhNP/2025-26
Mhasla Nagar Panchayat Office,
Mhasla Dist. Raigad Dt. 02.05.2025

Sign/-	Sign/-
Chief Officer	**President**
Mhasla Nagar Panchayat	Mhasla Nagar Panchayat

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-134/232 Date : 03/05/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई स्थगन के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स चांड़क एसोसिएट्स, एम.एल.नम्बर - 8/2012, खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेड़िया चारणान, कँवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेड़ा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरड़ा, मोडियाला, छानमयवाससुर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक की रिवरबेड सेण्ड (माईनर मिनरल), खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 Million TPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 03.05.2025 को समय प्रातः 11.00 बजे स्थान - पंचायत समिति सभागार, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में जनसुनवाई नियत की गई थी। उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18553 दिनांक 02.05.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है।
2. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533(ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई स्थगन हेतु इस आशय की सूचना दी जानी अनिवार्य है।

भवदीय (शिव कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी

IDFC FIRST Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)
CIN : L65110TN2014PLC097792
Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031.
Tel : +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

APPENDIX IV [Rule 8(1)]
POSSESSION NOTICE
(For immovable property)

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 30.03.2024calling upon the borrower, co-borrowers and guarantors **1. MR. MANGILAL BHANA, 2. MS. MAMTA DEVI,to repay the amount mentioned in the notice being Rs.6,74,544.95/- (Rupees Six Lac Seventy Four Thousand Five Hundred Forty Four And Ninety Five Paise Only) as on 28.03.2024 within 60 days from the date of receipt of the said Demand notice.**
The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub – section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this **30th day of APRIL 2025.**
The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **THE IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) for an amount of Rs.6,74,544.95/- (Rupees Six Lac Seventy Four Thousand Five Hundred Forty Four And Ninety Five Paise Only) and interest thereon.**
The borrower's attention is invited to provisions of sub – Section (8) Of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF MORTGAGE PROPERTY

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING PATTA NO. 13, MISHAL NO. 63/2021-22, ADMEASURING 258.72 SQ. YDS., I.E. 2328.50 SQ. FT., GRAM PANCHAYAT BHAKHRIWALA PANCHAYAT SAMITI, TEHSIL ROHAT, VILLAGE MANDLI DARJIYAN, DISTRICT PALI, RAJASTHAN-306421, AND BOUNDED AS: EAST: SOHAN RAM / PAHLAD RAM / MANAK RAM, WEST: SUJA RAM/ CHOTHHA RAM, NORTH: NARAYAN LAL/ LALA RAM, SOUTH: ROAD & DOOR

Date:30-04-2025
Place:RAJASTHAN
Loan Account No:75642133

Authorised Officer
IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)